राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07]   पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का तीसरा दिवस   [संख्या: 03

शुक्रवार,

11 फरवरी 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11:00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, कल पूरे दिन सदन में गतिरोध रहा ...(व्यवधान)

डॉ. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो निलम्बित माननीय सदस्य हैं, उनको कम से कम बाहर किया जाय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपने स्थान पर जाएं। माननीय सदस्य, आपकी नहीं सुनूंगा। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ...(व्यवधान) कोई रिकार्ड नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: I am on leg. I am on leg. First you take my permission. I am on leg. Gentleman, I am on leg...(व्यवधान) you are a Parliamentarian, I am on leg. I am saying, I am on leg. If you don't want to do it, you have your rights to go outside. I am on leg. I said, I am on leg. I am saying, I am on leg.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: I will name you. Mr. Rathore, I will name you. Mr. Rathore, I will name you.

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 21

सिरसली ग्राम (जालसू) में गाड़िया लुहार परिवारों को बसाने की योजना

प्रश्न काल। प्रश्न संख्या 21 ।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्थान से नारेबाजी व बैनर प्रदर्शन)

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): (1) जी हां। जिला कार्यालय, जयपुर के पत्र क्रमांक 960 दिनांक 08.02.2021 द्वारा तहसील आमेर स्थित राजस्व ग्राम सिरसली के खसरा नम्बर 1360/550 रकबा 6.24 हैक्टेयर में से 0.18 हैक्टेयर खसरा नम्बर 542/1353 रकबा 0.07 हैक्टेयर किता 2 रकबा 0.25 हैक्टेयर चरागाह भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने एवं उक्त अधिनियम की धारा 102(क) के तहत संबंधित ग्राम पंचायत सिरसली के अधीन किये जाने के संबंध में प्रस्ताव राजस्व विभाग को प्राप्त हुआ था। प्रकरण में आवेदित भूमि की किस्म चरागाह श्रेणी की है, जो कि माननीय न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों द्वारा व्यापक जनहित में ही वर्गीकरण परिवर्तन किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं।

चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर वर्षों से बसी सघन आबादी को नियमितीकरण किये जाने हेतु राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 157/2021 दिनांक 20.12.2021 की पालना में दिनांक 27.12.2021 को पालिसी जारी की गई है एवं उक्त क्रम में राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 में संशोधन कर जारी अधिसूचना दिनांक 27.01.2022 के तहत प्रकरण का परीक्षणोपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु जिला कलेक्टर, जयपुर को विभागीय प04(02) राज-3/22 दिनांक 04.02.2022 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है। (परिशिष्ट-अ)

(2) चरागाह भूमि पर बसी आबादी को नियमित किये जाने हेतु जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा उक्त पालिसी के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(सम्पूर्ण प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, क्या आप यह बताने की स्थिति में हैं यह जमीन कब तक उनके खाते में हो जायेगी?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कैबिनेट ने जो पालिसी बनायी, महाधिवक्ता की राय के आधार पर उसमें जिला कलेक्टर को अधिकृत किया, वह सर्वे कर फोलोअप कैम्प जो अभी कोरोना की वजह से रुके पड़े थे, उसमें उसके सर्वे के आधार पर जल्दी ही कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: क्या आप कोई समय सीमा निर्धारित करने की स्थिति में हैं? मंत्री महोदय, क्या आप कोई समय सीमा निर्धारित करने की स्थिति में हैं?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो फोलोअप कैम्प हैं, यह एक जगह का नहीं पूरे राजस्थान का मैटर है, हर जगह सर्वे करके फोलोअप कैम्प में कर दिया जायेगा।

प्रश्न संख्या 22

बीकानेर में डीएमएफटी फंड से स्वीकृत कार्य

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22.

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

खान एवं पैट्रोलियम मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) बीकानेर जिले में डीएमएफटी फण्ड से 01 जनवरी, 2019 से 20 जनवरी, 2022 तक की अवधि में विभिन्न विकास कार्यों पर 673.77 लाख व्यय किये गये हैं। उक्त अवधि में स्वीकृत कार्यों की विधान सभावार सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। ट्रस्ट फण्ड में उपलब्ध राशि का उपयोग राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार जिले में खनन से प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के हित व लाभ के लिए किया जाता है। बीकानेर जिले में खनन से प्रभावित क्षेत्रों में गवर्निंग काउंसिल के अनुमोदन अनुसार ट्रस्ट फण्ड की राशि का उपयोग किया गया है।

(3) जी नहीं। विस्तृत विवरण प्रश्न के भाग संख्या 2 के जवाब में दिया गया है।

(सम्पूर्ण प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23.

कृषि उपज मण्डी समितियों में रिक्त पदों पर भर्ती

23. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समितियों में स्वीकृत पदों के अनुपात में कार्यरत कर्मचारी कम होने के उपरान्त भी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों एवं वर्तमान में सरकार द्वारा इसके लिए क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? कृषि उपज मण्डी समितियों में कुल रिक्त पदों का विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल): जी हां। राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों में कनिष्ठ सहायक के रिक्त 400 पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही हेतु अर्थना, निर्धारित पाठ्यक्रम एवं स्कीम राजस्थान इन्स्टीट्यूट आफ को-आपरेटिव एजुकेशन एण्ड मैनेजमेण्ट (राइसेम) को भेजी गई थी परन्तु भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी नहीं किये जाने एवं आवश्यक संसाधन की कमी से अवगत कराये जाने के पश्चात् सक्षम स्तर से निर्णय उपरान्त उक्त भर्ती की कार्यवाही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से कराये जाने हेतु अर्थना दिनांक 24.11.2021 को प्रेषित कर दी गई है। कृषि उपज मण्डी समितियों में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 144 मुख्य मण्डी यार्ड हैं, ...(व्यवधान) गौण मण्डी यार्ड हैं, 7 निजी मण्डी यार्ड हैं। इतनी बड़ी संख्या में मण्डियां होते हुए भी कर्मचारियों की संख्या नगण्य है और मात्र 400 पदों की भर्ती की बात कर रहे हैं। क्या मंत्री जी इन मण्डियों को सुचारु रूप से चलाने के लिए और किसानों के हित में काम करेंगे और क्या पूरी संख्या में आप कर्मचारी भर्ती करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और। मेरे क्षेत्र में तीन मण्डियां हैं इटावा, सुल्तानपुर, खातौली, वहां कितने पद खाली हैं और वह कब तक भर दिये जायेंगे?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के क्षेत्र में तीन मण्डियां पड़ती हैं। इटावा में 16 सृजित पद हैं, जिसमें से 6 पद भरे हुए हैं और 10 रिक्त पद हैं। दूसरी मण्डियों में जैसे ही हमको कर्मचारी मिलेंगे, भर्ती प्रक्रियाधीन है, तुरन्त आपके पदों को भर दिया जायेगा और तब तक के लिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कर्मचारी लगा रखे हैं।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): किस तारीख तक भर देंगे? मंत्री जी, डेट बता दीजिये।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): चयन बोर्ड से जैसे ही हमको कर्मचारी मिलेंगे, हम भर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

किशनगढ़ की गुंदलाव झील का सौन्दर्यीकरण

24. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की ऐतिहासिक गुंदलाव झील के चारों ओर पाथवे बनाने तथा पर्यटन की दृष्टि से झील का सौंदर्यीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यटन मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): जी हां। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में स्थित ऐतिहासिक गुंदलाव झील का सौंदर्यीकरण करवाने के संबंध में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत 34 करोड़ रुपये लागत की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर, अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, यह 34 करोड़ रुपये की जो डीपीआर बनी है, यह कब तक कार्यरूप में आ जायेगी? मेरा किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र पूरा इस झील के चारों तरफ बसा हुआ है और यह पूरी झील गन्दगी से भरी पड़ी है। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि यह जो डीपीआर बनी है, यह कार्यरूप में कब तक आ जायेगी? (व्यवधान)

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): प्रश्न समझ में ही नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: आप सुनो प्लीज। (व्यवधान)

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): 34 करोड़ की जो डीपीआर बनी है, वह कार्यरूप में कब तक आ जायेगी?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): देखिए, मैं आपको विस्तृत रूप से समझा देता हूं। इस संबंध में नगर परिषद् किशनगढ़ अजमेर द्वारा दिनांक 01/02/22 को तकनीकी स्वीकृति एवं नजरी नक्शा जिला परिषद्, अजमेर को भिजवाया जा चुका है। (व्यवधान) सक्षम स्वीकृति उपरांत नगर परिषद् द्वारा उक्त कार्य कराये जायेंगे।

सदन कूप में

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे व पोस्टर प्रदर्शन)

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी और देना चाह रहा हूं आपको। मेरे शहर में दो झीलें हैं हमीर सागर और गुन्दोलाव। मैं गुन्दोलाव के सौन्दर्यीकरण की बात कर रहा हूं और हमीर सागर

(श्री सुरेश टाक)
झील एक ऐसी बस्ती में बसी हुई है, जहां पर मेरा पूरा शहर बना हुआ है। इस झील में पूरे शहर का गंदा पानी, 20 कालोनियों का गंदे पानी का नाला नगर परिषद् द्वारा इस झील में डाला गया है और हमीर सागर झील का ओवरफ्लो गुन्दोलाव झील में नहर के माध्यम से जाता है।

मैं यह चाहूंगा कि आप नगर परिषद् किशनगढ़ को निर्देशित करें कि जो गंदा पानी हमीर सागर झील में जा रहा है जिसमें घरों का डिस्पोजल भी है और स्लाटर हाउस नहीं बना होने की वजह से, स्लाटर हाउस का गंदा खून भी इस झील से होता हुआ, इसका ओवरफ्लो गुन्दोलाव झील में जा रहा है। वह दोनों झीलों को प्रदूषित कर रहा है। (व्यवधान) मैं आज आपसे यह चाहूंगा कि आप नगर परिषद्, किशनगढ़ को निर्देशित करें कि समय सीमा के अन्दर ये जो गंदा नाला हमीर सागर में जा रहा है, इसको तुरन्त प्रभाव से बन्द करें ताकि झीलें प्रदूषित होने से बचें। इसके साथ ही एक और सवाल है कि गुन्दोलाव झील में भी नगर परिषद् ने गंदे पानी के नालों को खोल रखा है, जो कि बिलकुल गलत है। किसी भी सूरत में गन्दे पानी के नाले झीलों में नहीं जाने चाहिए। जितने भी नाले जा रहे हैं आप दोनों झीलों के लिए नगर परिषद् को निर्देशित कराएं कि गन्दे पानी के नाले तुरन्त प्रभाव से झीलों में जाने से रोके और इसकी समय सीमा तय करें। (व्यवधान) समय सीमा तय करेंगे तभी नगर परिषद् इस काम को कर पाएंगी, नहीं तो ये झीलें हमेशा प्रदूषित रहेंगी।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): सदस्य महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि ये लोग आवाज इतना कर रहे हैं सामने वाले सुनाई नहीं दे रहा है। (व्यवधान) अगर आप मेरे चैम्बर में आ जाएं, मेरे पास पूरी जानकारी है, बैठकर जैसा आप चाहेंगे, वैसा हो जायेगा।

प्रश्न संख्या 25

कोटा में स्थानीय विधायक व सांसद कोष से स्वीकृत राशि

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न संख्या 25, ग्रामीण विकास मंत्री जी।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) जी हां। विभाग को कोटा जिले में विधायक कोष व सांसद कोष के 65 लाख की राशि के दुरुपयोग के संबंध में माननीय विधायक महोदय विधान सभा क्षेत्र

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

सांगोद द्वारा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में सभागार निर्माण कार्य की शिकायत प्राप्त हुई थी। (परिशिष्ट-1)

कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगतिरत है।

(2) उक्त स्वीकृत कार्य को दिनांक 23.06.2016 को प्रारम्भ किया गया था, जिसकी पूर्ण कराने की अवधि दिसम्बर, 2017 थी।

कार्य में विधायक कोष से राशि रुपये 35.71 लाख व सांसद कोष से राशि रुपये 11.25 लाख एवं कार्यकारी संस्था श्री दिगम्बर जैन भगवान महावीर संस्थान दादाबाड़ी कोटा की हिस्सा राशि 21.43 लाख सहित कुल राशि 68.39 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

(3) जी नहीं। कार्य का मूल्यांकन कार्यकारी संस्था द्वारा उसे उपलब्ध करवायी गई प्रथम किश्त का उपयोग पूर्ण होने के बाद द्वितीय अथवा अंतिम किश्त की मांग किये जाने पर किया जाता है। कार्य पूर्ण होने पर कार्यकारी संस्था द्वारा अन्तिम किश्त की मांग के समय नियमानुसार मूल्यांकन करवाया जायेगा। वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है।

(4) वर्तमान में कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य माह फरवरी, 2022 के अन्त तक पूर्ण करा लिया जायेगा। विलम्बित कार्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सम्पूर्ण प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्री जोगिन्दर सिंह....

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक भरत सिंह कुन्दनपुर की मूल शिकायत यह थी कि पैसा यूनिवर्सिटी को अलाट किया गया और काम दूसरी संस्था के द्वारा करवाया, उसका मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी व पोस्टर प्रदर्शन)

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधायक कोष और सांसद कोष के द्वारा 5 विधायकों ने 10-10 लाख रुपये, 50 लाख रुपये और सांसद महोदय के माध्यम से 15 लाख, टोटल 65 लाख रुपये और दिगम्बर महावीर जैन संस्था, दादाबाड़ी के द्वारा उसकी हिस्से राशि 30 परसेंट यानी 31.43 लाख रुपये के समायोजन से प्रथम किश्त जारी की गयी थी।

प्रश्न संख्या 26

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न संख्या 26.

26. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नदबई में नवीन आवासीय सैनिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न स्थगित किया जाता है।

बलवान पूनियां। प्रश्न संख्या 27.

भादरा-नोहर में बकाया चकबंदी का कार्य

27. श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भादरा नोहर की बकाया चकबन्दी का कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भादरा के 24 चकों की री-फिटिंग के प्रकरण कब से लम्बित हैं एवं सरकार द्वारा उक्त लम्बित प्रकरणों से प्रभावित किसानों को कब तक खातेदारी दे दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उपनिवेशन मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) सिद्धमुख नोहर नहर परियोजना में वाप्कोस लिमिटेड द्वारा दिनांक 15.05.2017 से 118 ग्रामों में किलाबन्दी/मुरब्बाबन्दी का कार्य किया जा रहा है। पत्थरों की सप्लाई एवं उनकी मौके पर स्थापना कुल 118 ग्रामों में की जा चुकी है। सूची नम्बर 4, 116 ग्रामों की तैयार की जा चुकी है। सूची नम्बर 8, 114 ग्रामों की तैयार की जा चुकी है। पर्चा खतौनी 112 ग्रामों की तैयार की जा चुकी है। जमाबंदी लेखन 88 ग्रामों की तैयार की जा चुकी है। वर्तमान में जमाबन्दी लेखन का कार्य प्रगति पर है तथा सम्पूर्ण कार्य 31.05.2022 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(2) भादरा के 24 चकों के री-फिटिंग का मामला भूमि एकीकरण सन् 1959 से बकाया है। भूमि एकीकरण की कार्यवाही के दौरान काश्तकारों की भूमि एकीकृत कर दी गई है तथा भू-अभिलेख भूमि एकीकृत भूमि के अनुसार

(उपनिवेशन मंत्री)

तैयार कर दिया गया परन्तु तैयार अभिलेख के अनुसार काश्तकारों को कब्जा नहीं दिया गया है। काश्तकार भूमि एकीकरण की कार्यवाही से पूर्व जिस कदर काबिज थे उसी कदर अब भी काबिज है। इस प्रकार काश्तकारों के मौके पर कब्जे व जमाबन्दी के इन्द्राज में अन्तर है।

री-फिटिंग में उक्त 24 चकों में 21624 काश्तकार हैं जिसमें से लगभग 2500 काश्तकार प्रभावित हैं जिनके कब्जा और रिकार्ड में अन्तर है। जिसमें 346 गैर खातेदार खाते हैं। जिसमें से 143 खाते सैटलमेंट के गैर खाते हैं अर्थात् जिन्हें सैटलमेंट के दौरान सैटलमेंट अधिकारियों द्वारा बिना किसी अलाटमेंट आदेश/बिना सक्षम आदेश व अधिकारिता के गैर खातेदार दर्ज कर दिया था। उक्त प्रकरणों हेतु राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजना में सरकारी भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1955 में प्रावधान नहीं है।

इसके अतिरिक्त 149 प्रकरण पैरीफेरियल क्षेत्र में गैर खातेदारी के हैं साथ ही इनमें अधिकांश प्रकरणों में सैल रजिस्टर में खाता नहीं खुला है। काश्तकार के द्वारा आवेदन करने पर नियमानुसार मौके की एवं आबंटन पत्रावली की जांच उपरांत यदि ये सैटलमेंट के गैर खातेदार नहीं है तो उपखण्ड अधिकारी द्वारा सैल रजिस्टर में खाता खुलवाकर खातेदारी हेतु प्रस्ताव भिजवाने पर सम्भागीय आयुक्त द्वारा नियमानुसार निर्णय लिया जा सकेगा।

17 प्रकरणों में काश्तकारों द्वारा भूमि मूल्य जमा करवाये जाने उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

14 प्रकरणों में सैल रजिस्टर में खाता नहीं है, उनमें नियमानुसार मौके एवं कब्जा की एवं आबंटन पत्रावली की जांच करवाकर यदि ये सैटलमेंट के गैर खातेदार नहीं हैं तो उपखण्ड अधिकारी द्वारा सैल रजिस्टर में खाता खुलवाया जाकर नियमानुसार अनुमोदन उपरान्त खातेदारी प्रकरणों का निस्तारण किया जावेगा।

शेष 23 प्रकरण कब्जा नहीं होने एवं अन्य कारणों से विवादित प्रकरण हैं।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष जी, चकबन्दी की बात तो समझ में आयी। 112 चकों के कागज तैयार हैं, लेकिन पांचवें महीने तक की संभावना भी बता रहे हैं। पांचवें महीने तक मैं मान लेता हूं सरकार कर देगी, लेकिन ढाई हजार किसान ऐसे हैं, 60 साल बाद भी वह कब्जे में हैं, न तो डिग्गी बना सकते हैं, न फसल बीमा का फायदा ले सकते हैं, न केसीसी बना

(श्री बलवान पूनियां)

सकते हैं, वह जमीन से जुड़े हुए राज्य सरकार की किसी भी योजना का फायदा नहीं उठा सकते। ढाई हजार लोगों के लिए मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मैं यह चाहता हूं कि मंत्री जी यह बताएं कि इन लोगों का अधिकार दर्ज करने के लिए कितना वक्त लगेगा, उसके लिए इनकी क्या कार्ययोजना है?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो खण्ड (2) है, उसमें हमने सभी प्रकार के अलग-अलग कारण आपको बतायें हैं। अलग-अलग कई कारण हैं। 143 खाते सैटलमेंट के गैर खातेदार हैं, 149 खाते ऐसे हैं जो पैरीफेरियल में आ रहे हैं, वह भी गैर खातेदार हैं और 17 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें किसानों ने ही अपना पैसा जमा नहीं करवाया है और 14 प्रकरण ऐसे हैं जो सैल रजिस्टर खाता भी नहीं खुला है। 23 प्रकरण ऐसे हैं जो कस्टोडियन भूमि पर हैं, उनका आबंटन निरस्त हो चुका है। अलग-अलग कई कारण हैं। इस वजह से यह मामला बहुत लम्बे समय से चल रहा है। आपकी चिंता सही चिंता है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह आश्वस्त कर सकता हूं कि जैसे ही सत्र समाप्त होगा, उसके बाद हम खुद आपको लेकर वहां हनुमानगढ़ में अधिकारियों के साथ मीटिंग करके, जल्दी से इसका कोई निस्तारण निकालेंगे।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): ठीक है।

प्रश्न संख्या 28

बेटी-बचाओ-बेटी-पढ़ाओ योजनान्तर्गत आबंटित राशि

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 28.

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

(सम्पूर्ण प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती ममता भूपेश): (1) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत वर्ष 2019, 2020, 2021 में प्रदेश को धनराशि निम्न प्रकार से आबंटित हुई-

वर्ष	जिलों के लिए प्राप्त राशि	व्यय राशि
2019-20	8 करोड़ 86 लाख 61 हजार रुपये	4 करोड़ 36 लाख 37 हजार रुपये
2020-21	8 करोड़ 45 लाख 41 हजार रुपये	5 करोड़ 25 लाख 67 हजार रुपये
2021-22	6 करोड़ 94 लाख 60 हजार रुपये	2 करोड़ 28 लाख 35 हजार रुपये (31.01.2022 तक)

जिलेवार आबंटित राशि व्यय का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(2) जी नहीं। वर्तमान में योजनान्तर्गत ब्लाक टास्क फोर्स, जिला एवं राज्य टास्क फोर्स की नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। योजना की निगरानी हेतु राज्य स्तर से भी समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रदान किये जा रहे हैं।

(सम्पूर्ण प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, यह जो आंकड़े हैं, 2019-20, 2020-21 एलोकेशन व एक्सपंडीचर के बीच में अंतर है। जो राशि दी गई है, खर्च की गई है, उसमें अंतर है। (व्यवधान) इस अंतर को पूर्ण करने के लिए क्या करेंगे? (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राशि भारत सरकार द्वारा दो चरणों में दी जाती है, 50 लाख की राशि एक वर्ष में दी जाती है, जिसको 25-25 लाख में दो चरणों में दिया जाता है। प्रथम चरण अप्रैल से लेकर सितम्बर तक का। अगला चरण अक्टूबर से लेकर मार्च तक का। (व्यवधान) मैं सदन को, आपको जानकारी देना चाहती हूं, 2015 से 2018 के मध्य जो राशि आबंटित हुई थी, वह 12 करोड़ हुई थी, तीन वर्षों में। उस समय इन्होंने सिर्फ 28 प्रतिशत राशि खर्च की थी। हम लोगों ने, सरकार में आने के बाद, 2019 से 2021 के बीच, कोरोना काल के दौरान भी, हमारे यहां 11 करोड़ राशि आई और हमने लगभग 45 प्रतिशत राशि इसमें व्यय की। (व्यवधान) क्योंकि भारत सरकार समय पर पैसों का एलोकेशन नहीं करती, आबंटन नहीं करती है। अप्रैल का पैसा सितम्बर, अक्टूबर महीने तक आता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूं, अभी फरवरी माह चल रहा है, हमारी द्वितीय किश्त आनी चाहिए, जो अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच आती है, लेकिन सिर्फ 22 ज़िलों के अन्दर प्रथम किश्त आई है, दूसरी किश्त की तो बात ही नहीं करते। (व्यवधान) जो प्रोग्राम हम लोग करते हैं, उन प्रोग्रामों के लिए 6 महीने निकलने के बाद भारत सरकार पैसा देती है। जैसे गर्ल चाइल्ड, अगर हम लोगों को मनाना है, तो उसका समय निर्धारित है। हम अगर प्रोग्राम दिल्ली भेजते हैं तो वहां से 6 महीने बाद पैसा आता है, तो वह दिन ही चला जाता है।

अगर हमें बच्चियों का स्कूल प्रवेश उत्सव मनाना है, तो वह जुलाई

(श्रीमती ममता भूपेश)

माह में मनता है। उसका पैसा हमारे पास दिसम्बर में आता है, तो वह प्रोग्राम ही चला जाता है। (व्यवधान) इस योजना के तहत भारत सरकार की नीति निर्धारण है, इसके अन्दर इस तरह की योजना बना रखी है कि बच्चियों को वास्तविक लाभ नहीं मिलता। भारत सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिए, अगर वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को आगे बढ़ाना चाहती है।

राजस्थान में पिछले तीन वर्षों में, जो प्रश्न हमारी बहन ने लगाया, वह खुद मंत्री थीं, सिर्फ 22 प्रतिशत पैसा तीन वर्षों के अन्दर खर्च किया। अध्यक्ष महोदय, हमने लगभग 50 प्रतिशत इन तीन वर्षों में, कोरोना काल के दौरान भी पैसा खर्च किया। (व्यवधान)

प्रश्न संख्या 29

सूरजगढ़ में शुभशक्ति आवास योजना के लाभार्थी

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 29

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

राज्य मंत्री, श्रम (श्री सुखराम विश्नोई): (1) सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की शुभ शक्ति योजना में 1,253 तथा सुलभ्य आवास योजना में 24 आवेदन लम्बित हैं। आवेदनों के लम्बित रहने के मुख्यत: निम्न कारण हैं:-

i. मण्डल में अपर्याप्त कोष एवं विभाग में सीमित मानव संसाधन
ii. संवेदनशील योजनाओं जैसे सिलिकोसिस, मृत्यु सहायता, प्रसूति, शिक्षा एवं टूलकिट योजनाओं को प्राथमिकता
iii. कोरोनाकाल में निर्माण कार्य बाधित होने के कारण उपकर प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव

(2) दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2021 तक मण्डल की संवेदनशील योजनाओं जैसे मृत्यु सहायता, प्रसूति, शिक्षा एवं टूलकिट आदि योजनाओं के अन्तर्गत कुल 907 आवेदकों को लाभान्वित किया गया है, जिनका ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(संपूर्ण प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

रानीवाड़ा में गारण्टी अवधि की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

प्रश्न संख्या 30

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 30.

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): (1) विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में कुल 205.48 किमी लम्बाई की 66 सड़कें गारण्टी अवधि में हैं। इनमें से वर्तमान में 11 सड़कें, जिनकी लम्बाई 12.90 किमी है जो आंशिक क्षतिग्रस्त हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की जिन 11 सड़कों (लम्बाई 12.90 किमी) की संबंधित ठेकेदार द्वारा गारण्टी अवधि में मरम्मत कार्य नहीं किया गया उनको नोटिस दिये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। मरम्मत कार्य पूर्ण करवाया जाना दिनांक 15.02.2022 तक लक्षित है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त कुल 55 सड़कों की लम्बाई 63.54 किमी. का मरम्मत कार्य संबंधित संवेदकों द्वारा कर दिया गया है। जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(सम्पूर्ण प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 31

विप्र कल्याण बोर्ड का गठन

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 31.

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया।)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री टीकाराम जूली): विप्र कल्याण बोर्ड का दिनांक 10 फरवरी को गठन हो चुका है।

(सम्पूर्ण प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 32

सिन्दरू व हरजी गांव (सुमेरपुर) में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की कार्ययोजना

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 32.

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

राज्य मंत्री, आयुर्वेद शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सिन्दरू व आहोर के हरजी गांव में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय संचालित नहीं है। आयुष नीति 2021 के अनुसार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा गुणावगुण के आधार आयुर्वेदिक औषधालय खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) जी नहीं। अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

(सम्पूर्ण प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 33, माननीय मंत्री जी, 33.

कोटा सम्भाग में प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान के तहत जारी पट्टे

33. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

(1) कोटा सम्भाग में विगत तीन वर्षों में प्रशासन गांवों की ओर अभियान के तहत लोगों के कितने आवेदन प्राप्त हुए, उनमें से कितने आवेदनों का निस्तारण हुआ व कितने लम्बित हैं तथा कितने आवेदन निरस्त हुए हैं? पंचायत समितिवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सम्भाग में प्रत्येक पंचायत समिति को पट्टों के वितरण का कितना-कितना लक्ष्य दिया गया तथा उनमें से कितने पट्टे अब तक जारी किये गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त शिविरों में स्कूल, श्मशान और अन्य सरकारी भवनों के लिए एवं जन प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन किये जाने का प्रावधान था? यदि हां, तो उक्त सम्भाग में ऐसी भूमि कहां-कहां आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ने उक्त शिविरों के तहत कृषि योग्य सिवायचक भूमि को नीलाम और नियमन कर आबंटित करने का प्रावधान किया है? यदि हां, तो कोटा सम्भाग में अब तक कहां-कहां ऐसी भूमि आबंटित की गई? काश्तकार का नाम, आबंटित भूमि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) प्रशासन गांवों की ओर अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): (1) प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत कोटा सम्भाग में प्राप्त आवेदन, निस्तारण, खारिज एवं लम्बित आवेदनों का जिलेवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**जिला**	**आवेदन**	**निस्तारण**	**खारिज**	**लम्बित**
1	कोटा	294364	289216	562	4586
2	बूंदी	146828	142571	3584	673
3	झालावाड़	256021	253356	2665	0
4	बारां	326303	319832	2143	4328
योग		**1023516**	**1004975**	**12978**	**5563**

पंचायत समितिवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत पट्टों का शासन स्तर से कोई लक्ष्य नहीं दिया गया। कोटा सम्भाग में जारी किये गये पट्टों का जिलेवार विवरण निम्नानुसार है-

(राजस्व मंत्री)

क्र.सं.	जिला	जारी किये गये
1	कोटा	29693
2	बूंदी	30950
3	झालावाड़	21510
4	बारां	21592
योग		**103745**

कोटा सम्भाग में जारी किये गये पट्टों का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे व व्यवधान)

(3) जी हां। उक्त शिविरों में स्कूल, श्मशान और अन्य सरकारी भवनों के लिए एवं जन प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन किये जाने का प्रावधान था। कोटा सम्भाग में अभियान के दौरान आबंटित की गई भूमियों का जिलेवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	जिला	आबंटित भूमियों का विवरण
1.	कोटा	परिशिष्ट-ब पर संलग्न
2.	बूंदी	परिशिष्ट-स पर संलग्न
3.	झालावाड़	परिशिष्ट-द पर संलग्न
4.	बारां	परिशिष्ट-य पर संलग्न

(4) उक्त शिविरों के अन्तर्गत कृषि योग्य सिवायचक भूमि को आबंटित/नियमित करने का प्रावधान किया था। जिलेवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	जिला	आबंटित भूमियों का विवरण
1.	कोटा	शून्य
2.	बूंदी	शून्य
3.	झालावाड़	आबंटित 31 काश्तकारों का विवरण परिशिष्ट-ह पर संलग्न
4.	बारां	शून्य

(राजस्व मंत्री)

(5) प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 को सफल संचालन के लिए राज्य सरकार के द्वारा राज्य, जिला एवं सम्बन्धित विभागों के स्तर से नियंत्रण कक्ष/प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाकर प्रभावी प्रवेक्षण एवं समन्वय कार्यवाही की गयी। अभियान में व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पैम्फ्लेट, बैनर, पोस्टर, सोशल मीडिया पर डिजीटल कैम्पेन के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। अभियान में आमजन के कार्यों के त्वरित निष्पादन के लिए शक्तियों की आवश्यकता अनुसार प्रत्यायोजन किया गया। अभियान के दौरान जिला कलेक्टर/सम्भागीय आयुक्त/जिला प्रभारी सचिव/जिला प्रभार मंत्रीगण/राज्य सरकार एवं माननीय मुख्य मंत्री के स्तर से नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा की गयी। अभियान के दौरान प्राप्त लम्बित रहे कार्यों को पूरा किये जाने हेतु follow up शिविरों का प्रावधान किया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 34

नन्दीशाला खोलने की पंचायत स्तर पर कार्ययोजना

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

गोपालन मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) जी हां। सरकार द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित बजट 2019-20 में आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नन्दीशालाएं स्थापित करने बाबत घोषणा की गई थी। बजट 2021-22 में इस कार्य को और व्यापक रूप से करने की दृष्टि से अब इन नन्दीशालाओं को राशि 1.50 करोड़ रुपये के माडल के आधार पर बनाये जाने की घोषणा की गई है।

बजट घोषणा अनुरूप पंचायत समिति स्तर पर नन्दीशालाएं स्थापित करने बाबत दिशा-निर्देश दिनांक 27.08.2021 को जारी किये जा चुके हैं। नन्दीशाला संचालन करने वाली संस्थाओं का चयन संबंधित जिला गोपालन समितियों द्वारा किये जाने हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण वर्तमान तक प्रदेश में पंचायत समिति स्तरीय स्थापित नन्दीशालाओं की संख्या शून्य है।

(2) जिला गोपालन समिति, जयपुर द्वारा नन्दीशाला संचालन करने वाली संस्था का चयन करने हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के

(गोपालन मंत्री)

कारण जयपुर जिले की पंचायत समिति में वर्तमान तक नन्दीशाला खोले जाने की संख्या शून्य है।

(3) इस वित्तीय वर्ष में पंचायत स्तरीय समिति नन्दीशाला के लिए राशि रुपये 111.91 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। जिला गोपालन समितियों द्वारा नन्दीशाला संचालन करने वाली संस्था का चयन करने हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण वर्तमान तक प्रदेश में नन्दीशाला खोले जाने की संख्या शून्य है। जिलों को राशि आबंटन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(सम्पूर्ण प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या-35.

देवली उनियारा में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़कों का निर्माण

35. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत तीन वर्षों में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कितनी सड़कों का निर्माण कराया गया है? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र देवली उनियारा में बोर्ड द्वारा सड़क निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां, कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल): (1) प्रदेश में विगत 3 वर्षों में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों का विधान सभावार विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) मण्डी समिति द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रति वर्ष निर्माण कार्यों/सड़क निर्माण के प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं। जिन पर मण्डी की वित्तीय स्थिति के अनुसार निदेशालय द्वारा स्वीकृत करने का निर्णय लिया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में 03 मण्डियां क्रमश: मण्डी समिति देवली, दूनी एवं उनियारा का क्षेत्र आता है। उक्त तीनों मण्डियों से वर्ष 2021-22 में (जनवरी, 2022 तक) सड़क निर्माण के कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उसको मैंने ध्यान से सुना है और जो इन्होंने लिखकर दिया है, उसको पढ़ा है। इनका यह कहना है कि मण्डी समिति द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रति वर्ष सड़कों का निर्माण किया जाता है।

सर, मेरे यहां पर तीन मण्डियां हैं, तीनों की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, तीनों में पैसा है। मैंने मंत्रीजी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी अनुरोध किया था तो मंत्री महोदय, मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि इसी वित्तीय वर्ष में आप चाहे कमप्लीट नहीं करें पर इन रोड्स को शुरू तो कर दें। जब आपके पास पैसा है और मेरा आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है तो कृपया आप घोषणा करें।

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा अभी हाल ही में मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ था। उस पत्र को हमने प्रस्ताव के लिए 09.02.2022 को सम्बन्धित मण्डी को भिजवा दिया है। जैसे ही प्रस्ताव प्राप्त होंगे, माननीय सदस्य की सड़कों की स्वीकृति वित्तीय आधार पर कर दी जायेगी।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या इसी वित्तीय वर्ष में कर दी जायेगी? सर, अगर यह पांच साल बाद करेंगे तो फिर क्या मतलब है?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): सर, शीघ्र कर दी जायेगी। इसी वित्तीय वर्ष में जितना पैसा होगा, कर दी जायेगी।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): धन्यवाद।

प्रश्न संख्या 36

पर्यटन विकास कोष से कराये गये विकास कार्य

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

पर्यटन मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): (1) जी हां। राज्य बजट वर्ष 2021-22 में पर्यटन गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए पर्यटन विकास कोष में 500 करोड़ का प्रावधान किये जाने की घोषणा की गयी है। जिसमें से 200 करोड़ रुपये प्रदेश की Tourist Destination के रूप में Branding करने तथा 300 करोड़ रुपये आधारभूत संरचना व निवेश आदि के लिए खर्च किये जायेंगे।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे व व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप अध्यक्ष के खिलाफ भी बोल रहे हो। अध्यक्ष के खिलाफ भी बोल रहे हो।

पर्यटन मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): उक्त के क्रम में, राज्य के पर्यटन स्थलों पर स्वीकृत विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राजस्थान पर्यटन नीति-2020 के बिन्दु संख्या 3.5 के अन्तर्गत पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के सुविधार्थ सम्पर्क सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट मद से प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना निर्दिष्ट है।

इस निमित्त चिह्नित सड़क मार्गों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे व व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, एक मिनट बैठना। यह परिपाटी है कि चार आदमियों को बाहर निकाल रखा है और हाउस में आप यह कर रहे हैं, यह परिपार्टी है? आप पार्लियामेंटेरियन हैं? चार आदमियों को बाहर निकाल रखा है और आप हाउस में इनको लेकर हल्ला करवा रहे हैं और फिर भी मुझे यह कह रहे हैं। मंत्रीजी, जवाब दीजिए।

पर्यटन मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): (3) पर्यटन विभाग में स्थल विशेष को पर्यटक स्थल बनाने का प्रावधान नहीं है। स्थल विशेष पर्यटकों की आवाजाही से स्वत: ही पर्यटक स्थल बन जाता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, इसमें प्रोविजन किया है 500 करोड़ रुपये का।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): जी।

श्री अध्यक्ष: 500 करोड़ रुपये में से अभी तक 2020-21 में कितना पैसा खर्च हुआ?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): सर, जैसा मैंने अर्ज किया, इसमें जो विवरण है, एक सैकण्ड में मैं आपको अभी बताता हूं। पूरा विवरण बताऊं तो अभी लम्बा पड़ेगा लेकिन इसमें 500 करोड़ में से 200 करोड़ रुपये तो आलरेडी आ चुके हैं और जिसको Tourist Destination Branding के लिए ...(व्यवधान)

(सम्पूर्ण प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 37

बामनवास में प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान के तहत जारी पट्टे

श्री अध्यक्ष: श्रीमती इन्द्रा।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

पंचायती राज मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के तहत कुल 7174 लोगों ने आवेदन किया व 4062 को पट्टे जारी किये गये। जारी किये गये पट्टों की सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बामनवास में पारिवारिक विधिवत बंटवारे के अभाव में, चरागाह भूमि, सिवायचक, खातेदारी एवं वन भूमि इत्यादि के कारण कुल 3112 लोगों के आवेदन निरस्त किये गये हैं। निरस्त किये गये पट्टों की सूची परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) उक्त क्षेत्र में उक्त अभियान के तहत 22 विभागों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की कुल 3633 शिकायतों का निस्तारण किया गया है। निस्तारित प्रकरणों की विभागवार व संख्यावार सूची परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(सम्पूर्ण प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 38

अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान हेतु संचालित योजनाएं

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान हेतु अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

विगत 3 वर्षों में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए सरकार द्वारा राशि 45617.44 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया एवं उसमें से राशि 43115.14 लाख रुपये का व्यय किया गया। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सम्पूर्ण प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे व व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 39.

संसदीय परम्पराओं का मुझे ज्ञान दे रहे हैं। संसदीय परम्पराओं का उल्लंघन करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो राजेन्द्र राठौड़ को जाता है।

(श्री अध्यक्ष)

जो उपनेता बनकर यहां पर माननीय सदस्यों से हल्ला करवा रहे हैं। चार सदस्यों को कल बाहर निकाला। आपने आज चारों माननीय सदस्यों को सदन में रखा। उनको हाउस से बाहर रखते। परम्परा यह होती है। All powers are vested with the Speaker. मुझे गाइड करने की जरूरत नहीं है। खुद गाइड होइए पहले और अच्छे पार्लियामेन्टेरियन बनिये। (व्यवधान) आप जो यह परम्परा डाल रहे हो, वह पुरानी है। अध्यक्ष ने चार सदस्यों को बाहर निकालने का निर्णय कर रखा है। आप अध्यक्ष के निर्णय के बाद भी उनको हाउस में लाकर हल्ला करवा रहे हैं। यह परम्परा बनाना चाहते हैं। आप जो परम्परा बना रहे हैं न, यह इतिहास लिखा जाएगा कि राजेन्द्र राठौड़ जो अपने आपको पार्लियामेन्टेरियन कहता था, वह राजस्थान में पार्लियामेंट की परम्पराओं को तोड़ने का श्रेय इनको जाता है। माननीय मंत्रीजी, आप बोलिये।

प्रश्न संख्या 39

मांडलगढ़ में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

अगला प्रश्न। श्री गोपाल लाल शर्मा।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती ममता भूपेश): (1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में 2 बाल विकास परियोजनाएं क्रमश: माण्डलगढ़ एवं कोटड़ी संचालित हैं। परियोजना माण्डलगढ़ के अन्तर्गत 242 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र 50 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र एवं परियोजना कोटड़ी में 71 मुख्य एवं 9 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं।

विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग में 372 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं जिनमें 244 आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवन में, 95 आंगनबाड़ी केन्द्र विद्यालय में, 9 आंगनबाड़ी केन्द्र सामुदायिक एवं अन्य भवनों में संचालित हैं तथा 24 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं। परियोजनावार एवं आंगनबाड़ी केन्द्रवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका तथा आशा सहयोगिनी के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

क्र.सं.	परियोजना	रिक्त पद			
		आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	आंगनबाड़ी सहायिका	आशा सहयोगिनी
1	माण्डलगढ़	9	1	10	10
2	कोटड़ी	1	0	2	1
	योग-	**10**	**1**	**12**	**11**

रिक्त पदों को उपनिदेशक द्वारा जिला स्तर पर समय-समय पर विज्ञप्ति जारी कर भरा जाता है, जो कि एक सतत प्रक्रिया है।

(सम्पूर्ण प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 40

पाली स्थित लेबर कॉलोनी (शिवाजी नगर) का नगर परिषद् को हस्तान्तरण

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री ज्ञानचंद पारख।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

श्रम राज्य मंत्री (श्री सुखराम विश्नोई): (1) गठित प्रबंध समिति की बैठक दिनांक 06.11.2020 में लेबर कालोनी (शिवाजी नगर) को श्रम विभाग से नगर परिषद्, पाली को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया जिसके तहत नगर परिषद्, पाली द्वारा श्रम विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु खाली भू-भाग पर क्वार्टर निर्माण करने के पश्चात् कालोनी नगर परिषद् को हस्तान्तरित की जाएगी। उक्त निर्णयानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) बिन्दु 1 में दिये गये विवरण अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सम्पूर्ण प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 41

रेवदर में सम्पर्क सड़कों का निर्माण

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जगसी राम।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रेवदर की तहसील रेवदर में भटाणा से जावल (मगरीवाडा) की दूरी 8 किमी है। जिसका निर्माण करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

भटाणा जो कि एक ग्राम पंचायत है, के अन्तर्गत आने वाले गांव यथा सेबराखेड़ा, कम्बोइयाखेड़ा व पावटी जनगणना वर्ष 2011 के पश्चात् घोषित राजस्व ग्राम हैं, जो डामर सड़क मार्ग से जुड़े हुए नहीं हैं। सेबराखेड़ा एवं कम्बोईयाखेड़ा वर्ष 2012-13 में नवीन घोषित राजस्व ग्राम हैं तथा पावटी वर्ष 2015 में नवीन घोषित राजस्व ग्राम हैं।

इस प्रकार उक्त ग्रामों को वर्ष 2011 के पश्चात् नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया गया है।

क्षेत्रीय जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से मांग की जा रही उक्त चारों सड़कों का निर्माण करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(2) उक्त कार्यों का निर्माण करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(सम्पूर्ण प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रीजी के द्वारा वीसी का कार्यक्रम हुआ था। उसमें हमने राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, दूरी क्षेत्र बहुत है, पश्चिमी राजस्थान के अन्दर ढाणी और गांवों का विस्तार हुआ है। भारत सरकार आज तक उस जनगणना को आधार मानकर प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं को जोड़ती है। हमने ग्रामीण विकास मंत्रालय को निवेदन किया है कि जनगणना हुए 20 साल हो गये। काफी पापुलेशन बढ़ गयी है, गांव ढाणियों का विस्तार हो गया है। राजस्थान के लिए सड़कों की जरूरत है। हमने भारत सरकार से निवेदन किया है कि 2011 की जनगणना को आधार मानकर 250 से 500 की आबादी के गांवों की सड़कों का शीघ्र निर्माण करवाया जाये। भारत सरकार उस पर क्या विचार विमर्श करेगा, इसका जवाब भारत सरकार देगी लेकिन हमारी सरकार का प्रयास है कि जनता के लिए सड़कों का निर्माण हो और निश्चित तौर पर आगे हम लोग इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद।

प्रश्न संख्या 42

श्रीगंगानगर में विशेष योग्यजन हेतु आस्था योजना का संचालन

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती संतोष।

(माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) जी हां। श्रीगंगानगर जिले में जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2021 तक उक्त योजना के तहत 819 परिवारों को आस्था कार्ड जारी किये गये हैं। आस्था कार्ड धारकों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। योजना के तहत आस्था कार्ड धारकों को बीपीएल के समान सुविधाएं प्रदान किये जाने का प्रावधान है। उक्त योजना के तहत रसद विभाग श्रीगंगानगर के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर जिले में आस्था कार्ड धारकों को बीपीएल राशन कार्ड धारकों में सम्मिलित कर उनके समान सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। समस्त लाभान्वितों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) आस्था कार्डधारी का जिला श्रीगंगानगर में कोई भी आवेदन पत्र लम्बित नही है।

(4) यदि किसी वंचित परिवार का आवेदन आता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(सम्पूर्ण प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आस्था योजना के अन्दर ऐसे परिवार जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन होने पर उनकी वार्षिक आय एक लाख बीस हजार रुपये से अधिक नहीं हो, उन परिवारों को आस्था कार्ड जारी किया जाता है। यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को वर्ष 2013-2014 जब हमारी संवेदनशील सरकार थी, उस समय इन परिवारों को राज्य सरकार से सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा बी.पी.एल. के लिये जो योजनाएं चलायी जा रही हैं, जैसे कि एक रुपये किलो गेहूं और निशुल्क चिकित्सा सुविधा और पेंशन की योजनाएं यह लाभ मिलेंगे, यह जारी किया गया जिससे इन परिवारों को बी.पी.एल. के समान सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना, ऊर्जा विभाग द्वारा बी.पी.एल. कार्डधारकों को 50 यूनिट प्रतिमाह के उपभोग पर अनुदानित विद्युत दर से विद्युत उपलब्ध करवाना है।

साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, पेंशन योजना, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एवं खाद्य एवं नागरिक

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)
आपूर्ति विभाग द्वारा एक रुपये किलो गेहूं योजनाओं के तहत बी.पी.एल. के समकक्ष सुविधाएं दी जा रही हैं।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसे परिवार, जिसमें दो या दो से अधिक सदस्य होने पर विशेष योग्यजन हों, उनके यू.डी.आई.डी. कार्ड, यानी कि यूनिक डिसएबेलिटी आई.डी. बने हुए हैं, उन परिवारों के लिये जारी किये जाने वाले आस्था कार्ड यू.डी.आई.डी. कार्ड डाटा के माध्यम से निदेशालय के स्तर पर ही प्रिंट करवाकर जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिला स्तर पर हम वितरित कर रहे हैं। वर्तमान सरकार के द्वारा ऑफलाइन आवेदन के स्थान पर ऑनलाइन प्रक्रिया भी संधारित की जा रही है जिससे कि डिजिटल आस्था कार्ड हम जारी कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वर्तमान में ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों ही व्यवस्था जो हमारे आस्था कार्डधारी हैं, उनके लिए दी जा रही हैं। साथ ही साथ निदेशालय स्तर से अब तक 17,786 डिजिटल आस्था कार्ड प्रिंट करवाकर सम्बन्धित जिलाधिकारियों को वितरित किये जाने हेतु भिजवाये जा चुके हैं।

श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 2014 से पहले मात्र 396 कार्ड बने थे। वर्ष 2013 से 2018, जो कि इनका समय रहा है, इन पांच सालों के अन्दर मात्र 235 कार्ड आप लोगों के द्वारा बनाये गये और हमने 188 कार्ड और करके 819 डिजिटल आस्था कार्ड अभी तक हमने बनाये हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि यू.डी.आई. कार्ड योजना के अन्तर्गत श्रीगंगानगर जिले में 49 कार्ड की सूची प्राप्त हुई है, जिसका आस्था कार्ड बनाना अभी प्रक्रियाधीन है और जिन परिवारों के आस्था कार्ड ऑफलाइन बने हुए हैं और ऑनलाइन कार्ड नहीं बन पाये हैं, उनको भी हम वर्तमान में सारी सुविधाएं दे रहे हैं।

इसके साथ ही साथ, मैं यह भी कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आम लोगों के लिये, समाज के उस तबके के लिये काम कर रहा है, जो वंचित वर्ग है। जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग काम कर रहा है और मैं यह बताना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि पिछले तीन महीनों के अन्दर हमने लगभग पांच लाख नई पेंशन भी स्वीकृत की है। लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ इस सदन को

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

बताना पड़ रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जो पेंशन योजना है, जिसके अन्दर भारत सरकार का हिस्सा भी होता है और राज्य सरकार का भी हिस्सा होता है, इस स्कीम के अन्दर लगभग 90 से 95 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार का है और भारत सरकार मात्र पांच प्रतिशत हिस्सा दे रही है और उसके अन्दर भी इतने नियम और कानून बनाये जा रहे हैं जिससे लोगों की पेंशन अटके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दु:ख है यह कहते हुए कि भारत सरकार ने एक राइडर लगा दिया है कि इस लाइन के बाद में हम पेंशन नहीं बांधेंगे। ऐसा कौनसा राइडर हो गया, क्योंकि अगर हम वृद्धजनों को पेंशन दे रहे हैं और कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है और पेंशन का हकदार है तो उसे संख्या में आप रोक नहीं सकते, उसको पेंशन देने के लिये आप लोग प्रतिबद्ध हैं। इसके लिये माननीय अशोक जी गहलोत ने मोदी जी को चिट्ठी लिखी है कि आप लोग इसके अन्दर इसका दायरा बढ़ाइये। आप लोग जिस प्रकार के नियम-कानून लेकर आ रहे हैं अलग-अलग विभागों के अन्दर, जिस प्रकार से आपने पी.एच.ई.डी. के अन्दर आप लोगों ने 90 प्रतिशत, जो भारत सरकार की राशि आती थी, उसको घटाकर 45 प्रतिशत कर दिया। इसी प्रकार से जो पेंशन आती हैं, उन पेंशन की स्कीमों के अन्दर भी माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने उस राशि को घटा दिया है, राइडर लगा दिये गये हैं। हर प्रकार से यह प्रयास किया जा रहा है कि गरीबों की मदद नहीं हो। आप लोगों ने जो बी.पी.एल. लोगों को अनाज मिलता है, गेहूं मिलता है, आपने पिछले एक साल से उस गेहूं पर रोक लगा रखी है। आप लोगों ने उस पर राइडर लगा दिया कि जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उसको अनाज नहीं मिल सके। आप लोगों ने पहली बार इस बजट के अन्दर मनरेगा का जो काम है, उसका बजट नहीं बढ़ाया। आप लोग चाहते हैं कि जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब तबका है, जो असहाय है, उसको जो मदद सरकार करना चाहती है, उनको जो भी राशि है, उस पर आप रोक लगाना चाहते हैं, उन पर आप कटौती करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विपक्ष के लोगों से कि, 25 के 25 सांसद यहां से चुनकर केन्द्र सरकार के अन्दर बैठे हैं और आज तक जो समाज कल्याण की योजनाएं हैं, जो समाज के वंचित वर्ग की योजनाएं हैं, जो पिछले वर्ग के लोगों की योजनाएं हैं, उनके लिये कितने सांसदों ने आवाज उठायी? कितने सांसदों ने यह कहा है कि केन्द्र सरकार

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

पेंशन की राशि बढ़ाये, कितने सांसदों ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने गेहूं पर जो रोक लगा रखी है, उस रोक को हटाया जाये ताकि उस गरीब आदमी को, जिसकी मजबूरी है कि रोटी, कपड़ा और मकान उसको मिले, उस पर आप लोगों ने रोक लगा रखी है, उसकी रोटी छीनने का आप काम कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा गरीब का अनाज बन्द करके आप बड़े बनने वाले नहीं हो, गरीब की पेंशन को रोककर आप बड़े बनने वाले नहीं हो। यह इस प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री हैं, जिन्होंने जो विशेष योग्यजन हैं, उनको 2 हजार स्कूटी के लिये पहली बार इस बजट के अन्दर घोषणा की और उनको हम बांट रहे हैं। पेंशन, जो केन्द्र सरकार आज भी 100 रुपये और 200 रुपये दे रही है, वह पेंशन राजस्थान सरकार 750, 1000 और 1500 रुपये तक भी दे रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना के अन्दर जो लोग हमारे बीच से चले गये, जो अकाल का ग्रास बने, उन लोगों के लिये राजस्थान के अन्दर समाज कल्याण विभाग के द्वारा उन लोगों की मदद की जा रही है। हमने घर-घर जाकर उनके फार्म भरे। उन परिवारों की विधवाओं को 1500 रुपये हमने दिये, उनके बच्चों को पालनहार का लाभ दिया। एक लाख रुपये की उनको मदद की और साथ ही साथ जो छोटे बच्चे हैं, अनाथ हैं, 18 साल के कम उम्र के हैं, उनके लिये पांच लाख रुपये की योजना आदरणीय अशोक जी गहलोत ने राजस्थान के अन्दर लागू की ताकि उन परिवारों की मदद हो सके।

आपका क्या करें, हिन्दुत्व के नाम पर बात करते हो और जब देश के अन्दर कोरोना काल आया उस समय आपने यू.पी. के अन्दर लाशों को नदियों के अन्दर बहा दिया। नदियों के अन्दर लाशें बहायी गयीं। एक तरफ राजस्थान है, जहां राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जो लाश है, उसका ससम्मान अन्तिम संस्कार किया जाएगा और उसकी अस्थियों को भी हरिद्वार के अन्दर विसर्जन किया जाएगा। हरिद्वार स्पेशल बसें यहां पर चलायी गयीं ताकि उन लोगों की मदद हो सके। जो लोग चले गये, जाने के बाद में भी उनके परिवार वालों से किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं की। यह राजस्थान सरकार है, जो गरीब के, पिछड़े के, मजदूर के हित के लिये उसके साथ खड़ी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा और आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा जब मजदूर पलायन कर रहा था, जब मजदूर सड़कों

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

पर निकल रहा था, जब मजदूर मरने लगा था, उस समय आप लोगों के द्वारा उनकी मदद नहीं की गयी। राजस्थान सरकार ने उन लोगों की मदद की, उन लोगों के लिये रोडवेज बसें चलायीं और मुझे कहते हुए शर्म आती है कि आप लोगों द्वारा दिल्ली से हम पर रोक लगायी गयी कि राजस्थान सरकार मजदूरों के लिये बसें चला रही हैं। यह आपकी मंशा है, यह आपकी सोच है, जो आप लोग सोचते हो मजदूरों के लिये।

मैं अभी देख रहा था मजदूरों के लिये मोदी जी भाषण दे रहे थे कि यह कोरोना कांग्रेस ने फैलाया है, यह कोरोना उन मजदूरों ने फैलाया है। आप लोगों की सोच पर शर्म आती है, जो उस मजदूर के लिये, जो हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर आया, उसके लिये आप कह रहे हो कि उसने कोरोना फैलाया। विदेशों से जो लोग आये, आपने उनको नहीं रोका और जो हमारा मजदूर, हमारा गरीब, जो बेचारा अपने घर आने के लिये हजारों किलोमीटर पैदल चलकर आया, उसके लिये कह रहे हो कि कोरोना फैला रहा है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपके जो बड़े-बड़े अमीर लोग, जो बाहर से आते हैं, उन लोगों पर रोक नहीं लगायी, उनके प्लेन नहीं रोके गये। अगर कांग्रेस ने इन गरीब की टिकट बनवा दी, रेल की टिकट कांग्रेस ने बनवा दी। बस उसको फ्री उपलब्ध करा दी तो आप कहते हो कि कोराना आप लोगों ने फैलाया है। शर्म आनी चाहिये। आप लोगों को शर्म आनी चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीब के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो गरीब का हक खायेगा वह जड़-मूल से जायेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

(12.00 बजे)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: और करो, और जोर से ...(व्यवधान) और जोर से ...(व्यवधान) और जोर से, और जोर से ...(व्यवधान) और जोर से, आवाज कम आ रही है। और जोर से, आवाज नहीं आ रही है। और जोर से ...(व्यवधान) आवाज ही नहीं आ रही है।

(श्री अध्यक्ष)

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

निलम्बित सदस्यों के साथ पुनः सदन में प्रवेश स्वस्थ परिपाटियों के विपरीत

संसदीय लोकतन्त्र की बात कर रहे हैं। आज दिन तक प्रश्नकाल कभी भी समाप्त नहीं हुआ। यह प्रश्न काल का जो मजाक उड़ाने का काम किया ना, वह राजस्थान के इतिहास में लिखा जायेगा। संसदीय लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है। विरोध करने का अधिकार है लेकिन सरकार पर और संसद में अपनी कार्यवाही थोपने का अधिकार नहीं है। इस तरह से कार्यवाही थोपकर आप संसदीय लोकतन्त्र को मजबूत नहीं कर सकते। कल आप भी सत्ता में आओगे। आप जो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो वह संसदीय लोकतन्त्र को कमजोर करेगा। आप अपनी बात कीजिये, सरकार अपनी बात कहेगी और जनता निर्णय करेगी, पर जनता के निर्णय करने का अधिकार आपको नहीं है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में व्यवधान)

यह हाउस डिबेट करने के लिए है। डिस्कशन करने के लिए है। डिसेन्ट करने के लिए है। अपनी बात कहने के लिए विपक्ष को पूरा अधिकार है और सत्ता पक्ष को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। लेकिन सदन में इस तरह से कार्यवाही थोपने का जो काम कर रहे हैं, वह मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम है। अभी भी मैं आपसे निवेदन करता हूं, संसदीय लोकतन्त्र का निर्वहन करिये। इस प्रश्नकाल की गरिमा को बनाये रखिये।

आपको पूरा अधिकार है, आप अपना प्रोटेस्ट करिये। लेकिन यदि आपके सदन के सदस्यों को बाहर निकाला है तो यह तरीका नहीं होता है कि उनको अन्दर आने के लिए आप इस तरह की अव्यवस्था करें।

कटारिया साहब, यह बहुत दुर्भाग्य है। मैंने कल आप पर विश्वास किया था। मैंने कहा था कि आपके सदस्य आकर बैठेंगे। मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। मैंने इन सबकी इच्छा के खिलाफ फैसला किया। आपको रात को तकलीफ नहीं हो। आप अपने घर पर जायें। आप बैठकर निर्णय करें लेकिन हाउस में आकर, जिन सदस्यों को निकाला गया, उनके साथ बैठकर इस तरह का काम करें, यह मैंने कभी अपेक्षा नहीं की थी।

मैं अभी भी आपसे अपील करना चाहता हूं कि जिन 4 माननीय सदस्यों को कल बाहर निकाला है, वह ना पक्ष की लॉबी में जाकर बैठें। आप सदन में आकर बैठें कि क्या चर्चा करनी है, मैं बात करने के लिये तैयार हूं। लेकिन सदन में इस तरह का निर्णय करने का जो आप काम कर रहे हैं, वह

(श्री अध्यक्ष)

दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके उन 4 सदस्यों को ना पक्ष में बैठायें। फिर मेरे चैम्बर में आइये, फिर जो बात करनी है वह बात करेंगे। लेकिन जबसे आपने यह परम्परा बनाई है, मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में सबसे गलत काम हो जायेगा। मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूं, कटारिया साहब, मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं ये उप नेता हैं। मैं फिर अपील करना चाहता हूं कि 4 सदस्य जो कल बाहर निकाले हैं, वह ना पक्ष की लॉबी में जाकर बैठें। फिर मेरे चैम्बर में आकर बात करें। मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। लेकिन यदि इस तरह की कार्यवाही करने का काम करेंगे तो यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण काम होगा। सदन चलेगा और आपकी इच्छा हो जो करना। नहीं जाना आपको? मैं आपको विनम्र शब्दों में फिर बोल रहा हूं। कल सदन में निर्णय हुआ था कि 4 सदस्यों को निलम्बित किया है। मैंने कल आप सबकी भावना को समझकर कहा कि आप जाइये अपने घर पर और कल ना पक्ष में चारों सदस्य जायेंगे। आप लोग बैठकर फैसला करिये। मुझे कोई तकलीफ नहीं, पर वह 4 सदस्य हाउस में आकर, आपके साथ बैठकर इस तरह का व्यवहार करें यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आप 4 सदस्यों को ना पक्ष में बैठाइये। आपको जो बात करनी है, मेरे चैम्बर में आकर बात करिये।

आप इस तरह की संसदीय परम्परा बनाना चाहते हैं? प्रश्नकाल भी नहीं होने देना चाहते हैं? कटारिया जी, आप सबसे सीनियर आदमी हैं। कोई उदाहरण बताओ आप, प्रश्नकाल जब डिस्टर्ब हुआ 4 बार, तब प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद सबसे पहले चर्चा होती है उस बात पर। आप आ जाइये इस बात पर। चर्चा करनी है, मैं प्रश्नकाल समाप्त कर देता हूं। प्रश्नकाल भी समाप्त नहीं होना चाहिये। चर्चा भी नहीं होनी चाहिये। हम चाहे वैसे सदन चलना चाहिये। सरकार को हम कहें वैसा निर्णय करना चाहिये। यह संसदीय लोकतन्त्र में नहीं होता है। आपको विरोध करने का पूरा अधिकार है। लेकिन विरोध करने के पहले आप अपनी बात कहें। सरकार की बात सुनें। जनता सुने। उसके बाद आप विरोध करें। आप तो कहें कि नहीं, हम तो कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, सीबीआई की जांच हो। यह संसदीय लोकतंत्र की परम्परा नहीं है। मैं इसलिए आपसे अपील करना चाहता हूं, मैं आपकी सब बात सुनूंगा, मैं

(श्री अध्यक्ष)

अभी नहीं सुनूंगा, पहले 4 सदस्य न पक्ष में जाकर बैठेंगे, तब मैं आपकी बात सुनूंगा। बाकी मैं नहीं सुनूंगा।

माननीय सदस्य ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप लीडर आफ अपोजिशन नहीं हैं। आप लीडर आफ अपोजिशन नहीं हैं, don't behavel ike leader of opposition, always.

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभी चलेंगे ...(व्यवधान) नहीं, नहीं, सभी चलेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप सब चले जाओ ...(व्यवधान) हमको छोड़कर ...(व्यवधान) पर हमने आपके सामने एक बात यह भी रखी कि आप पूछो, किस प्रकार से आपके मंत्री गाली देते हैं।

श्री अध्यक्ष: मेरे मंत्री नहीं हैं। आपके भी मन्त्री हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपका मतलब, इस सरकार का मंत्री।

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा ना कि आपके भी मंत्री हैं। आप गुस्सा मत करो। आपके भी मंत्री हैं। मेरे मंत्री नहीं हैं। राजस्थान सरकार के मंत्री हैं। आप प्रेम से, आराम से बोलें। गुस्सा नहीं करें। आप आराम से बोलें।

अनुरोध एवं मांग

रीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण की स्वतन्त्र एजेंसी से जांच

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपने जो कार्यवाही की वह नियमों के तहत की, 4 लोगों को आपने बाहर निकाला, आपने बड़ा मन रखकर यहां तक अलाउ किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आपके चैम्बर में यह भी कहकर गये थे कि एक बार आप पूरी की पूरी फुटेज निकालकर देख लें। देखने के बाद अगर कांग्रेस के लोगों का भी और मंत्री का व्यवहार इस सदन के उपयुक्त नहीं था या उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, वह इसकी गरिमा को घटाता है तो उन पर भी एक्शन होना चाहिये, तब तो न्याय होगा। बाकी एकतरफा न्याय हुआ, इसके कारण से दु:ख था।

हम भी चाहते हैं कि व्यवस्था ठीक हो। हम क्या चाहते हैं? मैंने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपसे भी निवेदन किया, मैं एक शिक्षक रहा हूं। मैंने कालेज में नहीं पढ़ाया, लेकिन स्कूल में जरूर पढ़ाया। एक अध्यापक रहा हूं। यह जो एक गैंग बन गयी है। मेरे समय में भी पेपर आउट हुए थे। मैं स्वीकार करने में कभी घबराता नहीं हूं। मेरे समय में भी हुआ है। यह राजस्थान में ऐसा माफिया गैंग तैयार हो गया है, जो लाखों बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करता ही चला जा रहा है।

मैं सोचता हूं कि पहले भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, कुछ लोगों के खिलाफ केस बनाये होंगे। अबकी बार भी इस प्रकार का केस बना है। मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मेरी बात कहीं आपको सच लगे तो उस पर विचार करिये। सारे राजस्थान के पेपर्स की सुरक्षा व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस की थी। यह शिक्षा संकुल ही ऐसी क्या विशेष जगह थी, जिस जगह पर केवल राजीव गांधी स्टडी सर्किल के नामजद लोगों को यहां पर नियुक्त किया? आप कह सकते हो कि नियुक्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नियुक्त किये गये, उनमें से कुछ लोग पकड़े भी गये। उनके खिलाफ कार्यवाही हुई, केस बना, समझ में आता है। लेकिन उनको लगाने का काम किसने किया? इस प्रकार के घटिया लोगों को जिनके पहले भी इस प्रकार के दोष हो चुके हैं, उनको आप उस पेपर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपो। जब बाड़ ही खेत को खा जाती है तो फिर जांच केवल उन्हीं की नहीं होगी, उनको लगाने वाले लोगों की भी होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यस।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जिन्होंने इस प्रकार के लोगों को लगाकर इन लाखों बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है।

मेरा यह कहना है कि परीक्षा जिस जगह हो रही है, होने दो। आपने 62 हजार साथ मिला दिये, बहुत अच्छा, स्वागत योग्य है। आप उस परीक्षा के प्रोसेस को शुरू करिये ताकि बच्चों की जिंदगी के साथ किसी प्रकार की तकलीफ न हो। उनके मन में भी इस बात की पीड़ा है कि आखिर 19 से लेकर हम इंतजार कर रहे हैं, परीक्षा होगी, परीक्षा होगी, हमारा सलेक्शन होगा। सलेक्शन फेयर हो, इसका सब स्वागत करते हैं। लेकिन सलेक्शन में इस प्रकार की नकलबाजी होकर, योग्य व्यक्ति तो पिछड़ जाये और इस प्रकार की यह जो गैंग है, यह कोचिंग सेंटरों के साथ मिली हुई है। अगर इसका

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पुख्ता प्रयास करोगे, यहां तक कि अगर मैं और मेरी पार्टी का भी कोई व्यक्ति इस गैंग में शरीक हो तो उन सबका पर्दाफाश होना चाहिए। यह गैंग राजस्थान में खतम होनी चाहिए ताकि लाखों बच्चों की जिन्दगी के साथ ये जो तमाशा चल रहा है, इस तमाशे का एंड होना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि परीक्षा अपनी जगह आप कराओ, सलेक्शन आप अपनी जगह कराओ, इन बच्चों को नौकरी आप अपनी जगह दो, जिस प्रोसेस से भी देना हो उस प्रोसेस से दो पर उसमें पवित्रता बनी रहे। सीबीआई जांच में समय लग सकता है, यह मैं भी जानता हूं, लेकिन आज जिन लोगों ने इनको यहां लगाया, राजीव गान्धी स्टडी सर्किल के कौन लोग हैं, ये प्राइवेट लोग कैसे आये, ये प्राइवेट कालेज चलाने वाले व्यक्ति के हाथ में आपने उसकी स्ट्रोंग रूम की चाबी कैसे दी और चाबी से टूटा है पेपर कोई तोड़कर नहीं निकाला गया है, पेपर विधिवत निकला है और उसमें से काटकर पेपर निकाला है। अब तक एसओजी ने जिस प्रकार की कार्यवाही की, मैंने पहले ही दिन से स्वागत किया। मुझे राजस्थान की पुलिस पर यह आज भी इतमीनान है कि हमारी पुलिस में कई अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन चूंकि इसको लगाने वाले लोग वो मंत्री और ऊंचे स्तर के लोग हैं, उनको मेरा एसओजी का राठौड़ बुलाकर इंट्रोगेशन नहीं कर सकता है, इसका इंट्रोगेशन करने के लिए कोई स्वतंत्र पार्टी चाहिए जो इन बेईमानों को भी पकड़े ताकि सारी की सारी लिंक खुल जाये और उसमें जो भी दोषी हो, मैं हूं, मेरी पार्टी का हो सकता है, इधर हो सकता है, उधर हो सकता है, मन में सबके एक ही इच्छा है कि इन बच्चों के साथ न्याय हो, इन बच्चों की सही परीक्षा हो, इन बच्चों को अपना हक मिले। ये आप और हम सब चाहते हैं और जैसे रेत माफिया होता है, शराब माफिया होता है वैसे ही राजस्थान में एक लम्बे समय से ऐसे माफियाओं की गैंग तैयार हो गयी है और इनके सरगना ये सारे के सारे कोचिंग सेंटर के लोग मिलेंगे जो पेपर पांच करोड़ रुपये में बिका, आप और मैं बाजार में खड़े रहकर दस-दस लाख रुपये में बेचेंगे क्या, कब तक बेचेंगे, कब तक पेपर के पैसे वसूल होंगे? पेपर बेचने का मतलब पहले से ही कोचिंग सेंटरों से कोई न कोई समझौता है। एक साथ ही पेपर जायेगा इसलिए उन सारे कोचिंग सेंटरों की भी जांच हो। मेरे जमाने से लेकर आज तक जो भी परीक्षा हुई उसके रिजल्ट का वेरीफिकेशन करो, उनको साथ मिलाने की कोशिश करो कि आखिर ये इतना अच्छा परिणाम देते हैं, इतना अच्छा आ रहा है तो यहीं क्यों आता है? इसी से एक-एक गांव में, मेरे गांव में 11 सीआई, एसआई

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बने हैं, एक-एक गांव में, एक गांव में, मतलब यह है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी है कि जिस प्रकार से गिरोह चल रहा है, इस गिरोह को तोड़ना पड़ेगा और उसके लिए कोई न कोई पुख्ता व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह बीजेपी और कांग्रेस का भी सवाल नहीं है, उन सारे बच्चों का सवाल है जो बड़ी मेहनत करके अपनी गरीबी में पढ़कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी कुछ तबीयत बराबर नहीं है इसलिए मैं मूल रूप में एक बात कहता हूं कि उन बदमाशों का पता लगाने के लिए जो भी एजेंसी, मजबूत एजेंसी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्य मंत्री हो, चाहे गुलाब चन्द हो या कोई चन्दजी हो, उन सब बेईमानों का पता लगाकर उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही हो ताकि भविष्य में इस प्रकार का जो ताण्डव चल रहा है, सात-आठ साल से और ये गैंग लगातार, लोगों के ध्यान में भी कइयों के तो है, पुलिस के ध्यान में भी कई बार की गैंग हैं, मैं सोचता हूं कि उन सारे प्रकरणों की जांच को अलग कर दीजिये, बच्चों की परीक्षा और उनका सलेक्शन अलग कर लीजिये, दो टुकड़ों में बांटकर इसको करने का प्रयास करिये तो राजस्थान की जनता और राजस्थान के बच्चे आपको और मुझको, दोनों को इस बात के लिए बधाई देंगे कि आपने जो निर्णय किया वो बच्चों के हित में किया, किसी पार्टी के हित में नहीं, किसी और के हित में नहीं, आज अगर इतने लाख बच्चे हैं तो एक करोड़ जनता उसके बच्चे-बच्चियां और परिवार प्रभावित हो रहे हैं। उनके दर्द को कोई समझता है? 2018 से लेकर आज 2022 में आ गये, वो बच्चे नौकरी के लिए तरस रहे हैं और इस कारण से मैं चाहता हूं कि इस जांच में किस तरह से कोई तरीका आये जिसके कारण से दोषी किधर भी हो, चाहे कोई भी हो, मैं चाहता हूं कि वो पकड़ में आना चाहिए और उसके आधार पर होना चाहिए। आपने जो बात कही, हमने पहले दिन से आपसे निवेदन किया था कि यह घटना केवल बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है और हिन्दुस्तान में ऐसा उदाहरण हमारे यहां पेश हो गया कि 24 लाख बच्चों ने तैयारी की और जाकर कुछ हजार लोग इस चोर रास्ते से घुसकर नौकरियां प्राप्त करे और वह ईमानदार बच्चा तरसता रह जाये, ये तो कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। हम जन-प्रतिनिधि भी हैं तो हम किसी के बाप भी हैं, किसी बच्चे के रिश्तेदार भी हैं। हमारा सबका धर्म बनता है उसके प्रति

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

न्याय कैसे हो, इस कारण से विरोध दिमाग में है और मन से है, केवल नाटकबाजी से नहीं है।

श्री अध्यक्ष: धारीवाल साहब।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा आसन से जो व्यवस्था दी गयी थी और जो विपक्ष के सदस्यों से निवेदन किया गया था कि जिन चार सदस्यों को कल दस फरवरी को यहां सदन से निलम्बित किया गया था जब तक ये सेशन चलेगा तब तक, बात उस पर उठानी चाहिए थी। अगर इनको डिस्कशन ही करना है तो बाकायदा हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, आप काहे के लिए यहां पेपरबाजी लेकर आते हो। आइये, मुकाबला करिये, करिये मुकाबला, उठाइये बात को, जवाब सुनिये हमारा कि हम क्या जवाब देते हैं आपका। आपके वक्त में जो कारनामे हुए हैं एक-एक को गिनायेंगे, एक-एक को गिनायेंगे कि आपने कितनी सीबीआई की इंक्वायरियां दे दीं? आपके टाइम पर पांच-पांच बार लीक हुआ पेपर और एक की भी सीबीआई इंक्वायरी दे दी? आप सीबीआई को इंक्वायरी देने का क्या मतलब है? ये सब पालिटिकल है आपका, टोटल पालिटिकल है आपका, दिल्ली के इशारे पर आप लोग यह सब कर रहे हो। आप आइये न, मुकाबला करिये, हमसे कहिये, अगर आप आदेश दें तो सरकार स्टेटमेंट देने का तैयार है। मुकाबला करने को तैयार है, इनका कच्चा-चिट्ठा खोलने को तैयार है। वस्तुस्थिति बताने को तैयार है कि वस्तुस्थिति क्या है। जिन लड़कों के भविष्य के साथ आप खेलना चाहते हो, उसमें डिले करना चाहते हो ताकि उनकी भर्ती नहीं हो, हम उसी बात को लेकर आपको बताना चाहते हैं कि क्या चीज है। फिर इतना सब कुछ बवाल करने की, नारेबाजी करने की और अनर्गल प्रचार करने की, झगड़ा करने की।

श्री बलवान पूनियां वहां पर भाषण दे रहे थे उस वक्त भी देखिये आप, बराबर उनकी गैलरी में जाना और उनके आगे-पीछे घूमकर उनको रोकने की कोशिश करना, शुरुआत तो उससे हुई। उससे शुरुआत हुई है यह आपकी जानकारी में है और यह आपने खुद ने देखा है, लेकिन आप खुद उस बात को छिपा रहे हो। मैं आपसे यह उम्मीद नहीं करता हूं, आप इतने सीनियर आदमी हो और बड़े रेस्पेक्टेड आदमी हो, कम से कम सत्य घटना का तो विवरण दीजियेगा, मेरा आपसे यही निवेदन है। आप चाहते हैं न कि जितना भाषण आपने दिया है तो फिर हमारा भी जवाब सुन लीजियेगा। आप टाइम तय कर

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

दीजियेगा, कल का, परसों का, जब का चाहें आप, तब का तय कर दीजियेगा, लेकिन उन चार सदस्यों को अगर आप लेकर आते हैं तो फिर मैं मेरा प्रस्ताव पढ़ता हूं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, माननीय मंत्रीजी।

देखिये, मैं समझता हूं कि यहां पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, जो बात है उसकी गरिमा को समझें, जैसा कटारिया साहब ने कहा कि गैंग है, उस गैंग के बारे में पता लगाना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह से ऐसी घटनाएं नहीं हों और नौजवान बच्चे जिनके मन में कल्पना सरकारी नौकरी की कल्पना है उनको, जो डिजर्व करते हैं, सही तरीके से उनको नौकरी मिले यह प्रश्न एक गम्भीर प्रश्न है। सीबीआई की जांच करना विपक्ष की अपनी मांग है, सरकार का अपना तरीका है, मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता, पर मैं जो गम्भीरता है उसका देखते हुए निवेदन करना चाहता हूं, कटारिया साहब आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक पक्ष जो घटना हुई उस पर बाद में अपन चर्चा कर लेंगे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की मैं निन्दा करता हूं। कोई भी सदस्य बोल रहा हो उसको जाकर आब्स्टेकल नहीं किया जाना चाहिए। आपका राइट है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन बोलने वाले का भी अपना अधिकार है, गरिमा को बनाये रखें। मैं आशा करता हूं कि हमारी परम्परा रही है कि हम सदन की गरिमा को बनाये रखेंगे और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो इसके लिए हम बैठकर चर्चा करेंगे, लेकिन आप मेरी बात यदि ठीक समझें, मैं चाहूंगा कि जैसे आपने अपना वक्तव्य दिया, सरकार भी अपना वक्तव्य दे दे और हम सब मिल-बैठकर इस बात पर निर्णय करें कि इन चीजों को रोककर किस तरह से राजस्थान में परीक्षा को इस तरह की गैंगवालों से मुक्त करवाकर परीक्षा करवा सकें। यदि आप ठीक समझें तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा और आप सब कहें तो बैठकर बात करके मंडे को अपन बैठकर डिस्कशन कर लेंगे इस पर और डिस्कशन करके दो पार्ट में जैसा कटारिया साहब ने कहा, एक परीक्षा होने का काम है उसको नहीं रोका जाना चाहिए, क्रिमिनल लाइबिलिटी के अन्दर हम कैसे आदमी जो क्रिमिनल हैं, जिन्होंने इस घटना को इस अंजाम तक पहुंचाया है, उनका आइडेंटीफिकेशन कर लें। एसओजी की जितनी अभी तक जांच हुई है, मैं समझता हूं कि कटारियाजी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि एसओजी के कारण ही हम इस जगह पर पहुंचे हैं कि इस तरह से पेपर लीक हुआ है

(श्री अध्यक्ष)

इसलिए एसओजी का वर्शन भी सरकार दे दे, फिर मिल-बैठकर यदि आप उचित समझें कि इस पर आगे बढ़ना है तो कटारिया साहब और आपकी पार्टी को पूरा अधिकार है कि हम एसओजी के एक्सप्रेशंस हैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपका जो भी मत हो वह रहे, लेकिन मैं समझता हूं कि सदन में एक बार सरकार का वर्शन और यह वर्शन सुनने के बाद कैसे हम राजस्थान में इस मीनेस को रोकें और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, उस सम्बन्ध में हम सब बैठकर सदन में चर्चा करें ताकि राजस्थान की नौजवान पीढ़ी के लोगों को लग सके कि राजस्थान विधान सभा के जो दो सौ सदस्य चुनकर आये हैं, वो उसके लिए चिंतित है और भविष्य में राजस्थान में ऐसी घटना नहीं हो उसका फूलप्रूफ काम करने का हम काम करें। मैं समझता हूं कि इस भावना के साथ हम सदन की कार्यवाही प्रारम्भ करें। उन चार सदस्यों के बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैम्बर में आ जायें, बैठकर बात कर लेंगे। उसमें जैसा आपने कहा कि यू-ट्यूब में देखना, जो भी, जिसकी भी घटना है, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उस घटना को कंडेम करते हैं और उसको कंडेम करने के बाद जो भी रेस्पोंसिबल होगा उसके सम्बन्ध में बैठकर मैं निर्णय करूंगा।

आप मुझे यह अधिकार दें कि मैं उस घटना को देखकर यह निर्णय करूं, पर मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके क्वेश्चन आवर में, कटारिया साहब, मैं आपसे और राजेन्द्र जी से कहना चाहता हूं, मैंने बड़ी गम्भीरता से देखा, क्वेश्चन आवर की सैंक्टिटी को जब भी यहां तीन-चार बार हाउस में क्वेश्चन आवर खतम हुआ है तो उसी समय उसकी चर्चा हुई है। यदि आपकी इच्छा यह रहती कि क्वेश्चन आवर खतम करके हमें चर्चा करनी है तो मुझे बहुत खुशी होती कि हम रीट पर चर्चा करना चाहते हैं लेकिन क्वेश्चन आवर की सैंक्टिटी को डिस्टर्ब करने पर, I feel annoyed, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि मेहरबानी करके क्वेश्चन आवर की गरिमा को बनाये रखें। ज़ीरो आवर में आपको पूरा अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, वेल में आने का अधिकार है, लेकिन क्वेश्चन आवर में कम से कम, मैं पक्ष और विपक्ष, सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी सैंक्टिटी को बनाये रखें और क्वेश्चन आवर जब भी हो, उसमें डिस्टर्ब करने का काम नहीं करें। मैं यह आप सबसे अपेक्षा करता हूं। मैं कटारिया जी, राजेन्द्र जी, धारीवाल साहब, चीफ

(श्री अध्यक्ष)

व्हिप को अपने चैम्बर में आमन्त्रित करता हूं। जो कल की घटना हुई उसके सम्बन्ध में मैं पूरा सत्य देखने के बाद, जैसा आपने कहा है, जो भी पक्ष है, जिसकी गलती है, उसके सम्बन्ध में क्या निर्णय करना है, यह अधिकार मुझे दें, मैं बैठकर उसका निर्णय करूंगा।

मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं, मेहरबानी करके, इस राजस्थान की संसदीय परम्पराएं सब जगह कोट की जाती हैं, हम डिफर भी करते हैं, हम अपनी बात को भी रखते हैं, प्रोटेस्ट ही नहीं एक्स्ट्रीम प्रोटेस्ट भी करते हैं, पर उसके बाद हम ऐसी परम्पराओं का निर्वहन करते हैं, जिनके आधार पर राजस्थान की जनता को यह लगता है कि विधान सभा वह प्लेटफार्म है, जहां डिबेट भी होता है, डिस्कशन होता है, डिसेंट होता है और उसके बाद एक निर्णय होता है जो कि राजस्थान के हित में होता है।

आप और हम सब मिलकर इस रीट परीक्षा में राजस्थान की जनता को एक मैसेज दें कि हम सबने कलेक्टिवली मिलकर इस बीमारी को पकड़ा है, इसका इलाज किया है और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, उसके लिए कदम उठाने का काम किया है। इस भावना के साथ मैं एक बार पुन: आपसे निवेदन करूंगा कि ज़ीरो आवर के बाद आप मेरे चैम्बर में आ जायें और तब तक माननीय सदस्य 'ना' पक्ष लॉबी में बैठे रहें, उसके बाद जैसा भी आप चाहेंगे, हम बैठकर बात कर लेंगे। यदि मेरा निर्णय आपको ठीक लगे तो उसे मानेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। राजेन्द्र सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आसन सर्वोपरि है और हम सब लोगों का कर्त्तव्य भी है कि हम आसन का सम्मान करें और कई बार सदन में उत्तेजना से हम वैल में आते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है, पर जिस प्रकार नेता प्रतिपक्ष ने कहा, विषय की गम्भीरता को देखते हुए पूरे राजस्थान में जब बेरोज़गार सड़कों पर आ गये तो हमारी पार्टी का भी एक निर्णय हो गया और हमने उस बात को आगे बढ़ाया। अब मैं उस बात को लम्बा नहीं करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी अच्छी बात कही, पर हमारे चार साथियों का निलम्बन जो हुआ, कल की घटना को दो टुकड़ों में बांटकर नहीं देखा जा सकता।

वे अगर वैल में यहां आये तो उसके साथ ही मंत्रीगण ने जिस प्रकार की गाली-गलौच की, मैं समझता हूं, ब्रूटल मेजोरिटी के आधार पर उन चारों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का निलम्बन सबसे पहले रद्द किया जाये। अध्यक्ष महोदय, यदि विधान सभा में आगे कोई कार्यवाही हो, मुझे क्षमा करें, हम उन चारों को बाहर बैठाकर सदन की कार्यवाही में भाग लेने में असमर्थ रहेंगे, इसलिए पहले आप यू-ट्यूब पर देखकर उन चारों के निलम्बन को रद्द करें। जो कल व्यवहार हुआ, मैं नहीं कहूंगा कि निलम्बन आप कराओ, हमारे पास मेजोरिटी है, हम प्रस्ताव रखेंगे, प्रस्ताव गिर जायेगा, पर आप उन्हें प्रताड़ित करें ताकि सदन की कार्यवाही चले। हम बहस करने को तैयार हैं और बहस होगी तो रीट से ही प्रारम्भ होगी, क्योंकि मुद्दा यही है। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, एक बार चाहे आप सदन स्थगित कर दें, जब तक इस बारे में निर्णय नहीं होगा, तब तक हम असमर्थ हैं सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए।

श्री अध्यक्ष: आपकी भावना मैं समझता हूं। ज़ीरो आवर समाप्त करके करें या पहले करें?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप एक बार स्थगित कर दें। पहले हम लोग बैठकर इस विषय पर बात करते हैं और बात करने के बाद, उन चारों के बारे में, चाहे उन्होंने किया तो मैंने यह नहीं कहा कि आपने गलत किया। अगर मान लें, आपने हाउस के नियम के तहत उनको बाहर निकाला, वह आपका अधिकार है, मैं उसको न नहीं करता हूं, लेकिन उसके साथ की जो घटना हुई, मैंने कल भी आपको यही कहा था कि उन सबको साथ लेकर यदि हम निर्णय करेंगे तो निर्णय हमारा फेयर होगा और फिर बैठकर बातचीत करके आगे के क्या स्टेप्स हो सकते हैं, उसके बारे में यदि हम और आप एक ही राय के बनते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक उन लोगों के बारे में फैसला नहीं होगा, तब तक हमारा आना और यहां रहना सम्भव नहीं है।

आप एक बार स्थगित कर दें, स्थगित करने के बाद बातचीत में इनका और हमारा क्या मन बनता है, देखते हैं। अंततोगत्वा, मैं मन से कह रहा हूं उन बच्चों के बारे में, चाहे वे आपके हों, मेरे हों, किन्हीं पड़ोसियों के हों, लेकिन उसके साथ इस परीक्षा की सच्चाई के आधार पर उनके जीवन का आगे का भविष्य बने तो यह आपके लिए, मेरे लिए, राजस्थान के लिए बहुत सम्मानजनक होगा। उसका कोई तो स्थायी रास्ता, चाहे वह बड़ा आदमी हो, चाहे कोई भी आदमी इसकी लपेट में आया है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ताकि राजस्थान एक उदाहरण बना सके कि इतने बड़े-बड़े लोगों को भी इस प्रकार की सज़ा मिल सकती है।

अगर हरियाणा का फैसला हो सकता है और मुख्य मंत्री भी जेल जा सकते हैं तो मैं सोचता हूं, इस निर्णय के आधार पर चाहे मैं जाऊं या कोई भी जाये, अगर जेल भी जाना पड़े तो उसे भेजकर एक उदाहरण बनाना पड़ेगा ताकि उन बच्चों को हम यह विश्वास दिला सकें कि ये सारे जन-प्रतिनिधि आपके हक के लिए हर प्रकार से लड़ने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.25 बजे 13.25 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय: 13.25 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है-

(1) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर की.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रार्थना इतनी-सी है कि हम पूरे राजस्थान के बेरोजगारों की मंशा के अनुसार एक मांग के आधार पर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस रीट की सी.बी.आई. से जांच के लिए जब तक सरकार अपना मन्तव्य प्रकट नहीं करेगी तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि संसदीय कार्य मंत्री महोदय विराजे हुए हैं, ये साफ-साफ कहें कि आप सीबीआई से जांच कराना चाहते हो या नहीं चाहते हो?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं करवाना चाहते हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: .....क्षतिग्रस्त सड़कों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से बारां जिले में वनकर्मियों द्वारा नियम विरुद्ध वन क्षेत्र की सीमा से बाहर बजरी से भरे वाहनों के चालान काटने व केस दर्ज करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से प्रतापगढ़ जिले में नाबालिग युवतियों के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा सामूहिक बलात्कार किये जाने की घटना से स्थानीय निवासियों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(4) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में राशन सामग्री का वितरण क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से पुन: प्रारम्भ करवाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री बाबु लाल (झाडोल), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के कोटड़ा उपखण्ड के ग्राम जुड़ा में अनुसूचित जाति की लड़की का अपहरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण मार्गों पर रेलवे अण्डरब्रिजों का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा रीट परीक्षा सहित गत तीन वर्षों में आयोजित की गयी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सी.बी.आई. से जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा रीट परीक्षा सहित गत तीन वर्षों में आयोजित की गयी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सी.बी.आई. से जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा रीट परीक्षा सहित गत तीन वर्षों में आयोजित की गयी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सी.बी.आई. से जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा रीट परीक्षा सहित गत तीन वर्षों में आयोजित की गयी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सी.बी.आई. से जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री नरेन्द्र नागर, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा रीट परीक्षा सहित गत तीन वर्षों में आयोजित की गयी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सी.बी.आई. से जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(12) श्री हरेन्द्र निनामा, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा रीट परीक्षा सहित गत तीन वर्षों में आयोजित की गयी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सी.बी.आई. से जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री कालूराम, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा रीट परीक्षा सहित गत तीन वर्षों में आयोजित की गयी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सी.बी.आई. से जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा रीट परीक्षा सहित गत तीन वर्षों में आयोजित की गयी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सी.बी.आई. से जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा रीट परीक्षा सहित गत तीन वर्षों में आयोजित की गयी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सी.बी.आई. से जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(16) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा रीट परीक्षा सहित गत तीन वर्षों में आयोजित की गयी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सी.बी.आई. से जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(17) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा रीट परीक्षा सहित गत तीन वर्षों में आयोजित की गयी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सी.बी.आई. से जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(18) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा रीट परीक्षा सहित गत तीन वर्षों में आयोजित की गयी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सी.बी.आई. से जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(19) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा रीट परीक्षा सहित गत तीन वर्षों में आयोजित की गयी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सी.बी.आई. से जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(20) श्री गोपीचंद मीणा, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा रीट परीक्षा सहित गत तीन वर्षों में आयोजित की गयी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सी.बी.आई. से जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(21) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा रीट परीक्षा सहित गत तीन वर्षों में आयोजित की गयी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सी.बी.आई. से जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(22) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा रीट परीक्षा सहित गत तीन वर्षों में आयोजित की गयी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सी.बी.आई. से जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(23) श्री ललित कुमार ओस्तवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा रीट परीक्षा सहित गत तीन वर्षों में आयोजित की गयी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सी.बी.आई. से जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(24) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा रीट परीक्षा सहित गत तीन वर्षों में आयोजित की गयी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सी.बी.आई. से जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(25) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा रीट परीक्षा सहित गत तीन वर्षों में आयोजित की गयी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सी.बी.आई. से जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(26) श्री रूपा राम, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा रीट परीक्षा सहित गत तीन वर्षों में आयोजित की गयी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सी.बी.आई. से जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(27) श्री जोगेश्वर गर्ग, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा रीट परीक्षा सहित गत तीन वर्षों में आयोजित की गयी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सी.बी.आई. से जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(28) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा रीट परीक्षा सहित गत तीन वर्षों में आयोजित की गयी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सी.बी.आई. से जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(29) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से आर.ए.एस. की मुख्य परीक्षा तीन-चार माह के लिए स्थगित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(30) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से सेना भर्ती रैली आयोजित करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री बलजीत यादव एवं श्री बलवान पूनियां को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर में विभिन्न ग्राम पंचायतों के सड़क मार्ग से होकर बहने वाली नदियों पर पुल व पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ के जिला अस्पताल को मेडिकल कालेज से सम्बद्ध रखे जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में राजकीय महाविद्यालय के अधूरे भवन का कार्य पूर्ण करवाने तथा रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।

(4) श्री सुरेश सिंह रावत, सदस्य की ओर से बीसलपुर परियोजना के तहत केवल अजमेर को ही पानी का वितरण किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से आहोर विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की पेयजल समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में।

(7) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से गिर्वा पंचायत समिति की प्रोपर्टी को खुर्द-बुर्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिंडवाड़ा-आबू के चिकित्सालय में सिलिकोसिस बीमारी के इलाज हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों को लगाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द हुरड़ा के गुलाबपुरा शहर में सरकारी कालेज खोलने के सम्बन्ध में।

(10) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ की सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में ग्राम पंचायतों को नरेगा कार्य हेतु राशि स्वीकृत नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से सीएडी चम्बल कोटा के अन्तर्गत भूमि विकास वृत्त एवं अधीनस्थ कार्यालयों को यथावत रखे जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री बलजीत यादव।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

आर.ए.एस. की मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम परिवर्तन के दृष्टिगत स्थगन

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जब कोई भी संस्था कोई भी परीक्षा आयोजित करती है तो उस परीक्षा में आने वाले पाठ्यक्रम को विज्ञप्ति के साथ ही जारी करती है, लेकिन आरपीएससी ने आरएएस परीक्षा, 2021 की विज्ञप्ति जारी की। उस वक्त आर.ए.एस. की मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी नहीं किया गया और जब आर.ए.एस. की पूर्व परीक्षा का परिणाम आ गया, उस परिणाम के भी 10 दिन बाद आरपीएससी ने आर.ए.एस. मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी किया, जो कि पूर्व के पाठ्यक्रम से अलग था।

अध्यक्ष महोदय, पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु के संकलन हेतु समय की आवश्यकता होती है और खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र के परीक्षार्थी हैं, जो गरीब परिवार से आने वाले हैं, जो किसान परिवार से आते हैं, उनके इतने सोर्सेज नहीं होते हैं कि वे तुरन्त उस पाठ्यक्रम का कलेक्शन कर पायें। जो कोचिंग करते हैं, जिनके कान्टेक्ट होते हैं, उनको शायद कम समय में पाठ्य वस्तु मिल सके, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले स्टूडेंट हैं, उनको नहीं मिल पाती है। इस कारण जो आर.ए.एस. की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, वे बहुत ही तनाव में हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे

(श्री बलजीत यादव)

हैं कि हमारी मांग जायज है, क्योंकि यूपीएससी ने जब पाठ्यक्रम में बदलाव किया था तो उसने कई महीने का समय दिया, कई महीनों के लिए परीक्षा को आगे के लिए स्थगित किया, ताकि पाठ्य वस्तु का संकलन कर सकें, पर पता नहीं आरपीएससी की क्या हठधर्मिता है या सरकार को कौन-सा अहंकार है कि वह स्टूडेंट की जायज मांग को भी सुनने का तैयार नहीं है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, इसमें न तो कोई आपका बजट लग रहा है, न इससे कोई नुकसान होने वाला है। सरकार को सिर्फ निर्णय करना है कि जो स्टूडेंट हैं, जिनके सपनों को बिखेरने का काम आरपीएससी कर रही है, उनके सपने बिखरने का जो डर है, गरीब स्टूडेंट में, उनके डर का निवारण सरकार करे। सरकार आरएएस की जो मुख्य परीक्षा है, उसको दो-तीन महीने के लिए स्थगित करे जिससे उन स्टूडेंट्स को पढ़ने का सही समय मिल जाये। ये कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, इससे किसी का कोई अहित नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सब लोगों की मांग है, इसलिए अहंकार को त्यागकर सरकार को आगे बढ़कर उनसे बात करनी चाहिए और उनकी मांग को सहानुभूति रखते हुए तुरन्त पूरा करना चाहिए, क्योंकि अभी 25 तारीख को परीक्षा होने वाली है, समय नहीं है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आशा रखता हूं कि राजस्थान की सरकार उनकी मांग को मानेगी। उन गरीब, मजदूर, किसान के बच्चों को भी अपने सपनों को पूरा करने का अवसर देगी। ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया, बहुत-बहुत आपको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बलवान पूनियां।

सेना में भर्ती रैली का लम्बे समय से आयोजन नहीं होना

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष जी, विधान सभा के नियम 50 के तहत मैं सेना भर्ती रैली के आयोजन के सम्बन्ध में बात करना चाहता हूं। कोरोना के बाद राजस्थान के लाखों युवा सेना की भर्ती देखना चाहते हैं। हमारे झुंझुनूं एआरओ सेन्टर, जहां मेरा जिला हनुमानगढ़ और हमारी तहसीलें उसमें

(श्री बलवान पूनियां)

शामिल हैं। पिछले तीन साल से कोई सेना की भर्ती रैली नहीं हुई है। जो नौजवान सेना की तैयारी करते हैं, सुबह-शाम ग्राउंड पर जाते हैं, जो गरीब हैं, समय उनके पास बहुत कम होता है। अपनी आजीविका के बाद ग्राउंड पर तैयारी करते हैं, वे तीन साल से इंतजार कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने, हमने पहले चिट्ठी भी लिखी है कि सेना के नियमों को देखते हुए, क्या प्रयास किये हैं और उन प्रयासों के बाद सेना की तरफ से क्या जवाब आया है और कितने दिनों में सारे एआरओ सेन्टरों पर भर्ती की जायेगी ताकि नौजवानों को मौका मिले।

अध्यक्ष जी, जो नौजवान तीन साल से भर्ती देख नहीं पाये हैं, क्या उनको ओवर ऐज होने से बचाने के लिए सेना अपने नियमों में ढील देगी और उनको दो साल या तीन साल का बेनिफिट देगी? यह सवाल भी नौजवानों के सामने है। इसलिए, मेरी पुरज़ोर मांग है कि राजस्थान सरकार भारत के रक्षा मंत्रालय से बात करके, सेना भर्ती रैली का आयोजन करवाये। जो नौजवान सेना में जाना चाहते हैं और जो सेना का जज्बा भी रखते हैं, उनकी भावनाओं को भी पूरा करें और उनको रोजगार दिलाने का काम करें। राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से इस पर जवाब भी जनता को देगी और नौजवानों को तुरन्त सेना भर्ती रैली का आयोजन करवाकर सारे एआरओ सेन्टरों पर तुरन्त प्रभाव से नौकरी दिलवाने का, रोजगार दिलवाने का काम करेगी और उन नौजवानों को भारत माता की सेवा करने के लिए और फौज में जाने के सपने को पूरा करने का मौका देगी, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको प्रोटेस्ट करना है चेयर के सामने। Don’t obstruct the member. माननीय सदस्य, आपको प्रोटेस्ट करना है, चेयर के सामने, बोलने वाले के सामने आप नहीं करेंगे प्लीज। आपको जो भी कहना है, चेयर के सामने करें।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

295, श्री जगसी राम (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया),

श्री धर्मेन्द्र कुमार (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया),

श्री जोराराम कुमावत (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया),

श्री सुरेश रावत (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया),

श्री छगनसिंह (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया),

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया),

(श्री अध्यक्ष)

श्री फूल सिंह मीणा (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया),

श्री समाराम गरासिया (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया),

श्री जब्बर सिंह सांखला (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया),

श्री गिरधारीलाल।

श्रीडूंगरगढ़ में सड़कों का निर्माण

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने प्रक्रिया और नियम 295 के तहत बोलने का मौका दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में वर्तमान वित्त वर्ष में बादनूं से लालमदेसर छोटा, लालमदेसर बड़ा से बीदासरिया, समन्दसर से माणकरासर, जैसलमेर से अभयसिंहपुरा, कोटासर से दुसारणां पींपासरिया, अमृतवासी से रुस्तम धोरा, रिड़ी से केऊ मार्ग तक एवं अभयसिंहपुरा से नाइयों की ढाणी जैसलसर तक सड़कों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई थी। तमाम स्वीकृतियों एवं टेण्डर के बाद कार्य की समय सीमा समाप्त होने जा रही है किन्तु ठेकेदार ने इन सड़कों का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया है।

अत: मेरा आग्रह है कि उक्त सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करवायें। इसके अलावा बादनूं से सूडसर, कुचौर आथूणी से कुचौर अगुणी एवं बादनूं से कुचौर अगुणी तक की सड़कों का नवीनीकरण किया जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, लिखा हुआ पढ़ें अलग से नहीं।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: मेरे पास कापी है।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): सड़क निर्माण की स्वीकृति के बावजूद भी कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सदन से आग्रह है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। प्लीज बैठें।

श्री गोपी चन्द मीणा (माननीय सदस्य द्वारा नहीं पढ़ा गया)

श्री रामनारायण मीना।

सीएडी चम्बल कोटा के अधीन भूमि विकास वृत्त एवं अधीनस्थ कार्यालयों को यथावत रखना

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सीएडी

(श्री रामनारायण मीना)

चम्बल कोटा के अन्तर्गत भूमि विकास वृत्त एवं अधीनस्थ कार्यालयों को यथावत रखा जाने के लिए नियम, 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। सिंचित क्षेत्र विकास चम्बल परियोजना क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र की 2,29,000 हैक्टेयर भूमि में खेत सुधार कार्य भारत सरकार की मदद से केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत किये जा रहे हैं।

खेत सुधार कार्य वैज्ञानिक/तकनीकी रूप से कृषि भूमि को विकसित करके अधिक उपज प्राप्त करने के उद्देश्य से इस प्रकार विकसित किये जाते हैं कि नहरों का जल सिंचाई हेतु प्रत्येक खेत तक निर्बाध रूप से पहुंच सके अतिरिक्त जल के निकास हेतु जल निकास तंत्र विकसित किया जाये, खेतों को चौरस आकार देकर समतलीकरण किया जाये एवं प्रत्येक खेत पर निर्बाध रूप से आवागमन हेतु रास्तों का निर्माण किया जाये, जिससे लगातार नहरी पानी से सिंचाई के कारण जल भराव व भूमि का ऊसर होने से रोका जाये एवं किसानों की आय में वृद्धि की जा सके। खेत सुधार कार्यों से सिंचाई जल की बचत होने से सिंचाई क्षमता में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होती है एवं काश्तकारों को अच्छी पैदावार होने से उनकी आय में वृद्धि होती है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

इस हेतु कार्य भूमि विकास वृत्त कोटा के अधीन विभिन्न खंडीय कार्यालयों द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। अब तक मात्र 1,59,000 हैक्टेयर में ही खेत सुधार कार्य करवाये गये हैं। दिनांक 01.04.2017 से भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता बंद कर दिए जाने से वर्तमान में लगभग 7,000 हैक्टेयर कृषि भूमि में खेत सुधार कार्य किया जाना शेष है। पूर्व निर्मित क्षेत्र सुधार क्षेत्रों में ड्रेनों की सफाई एवं धोरों को पक्का करने का कार्य भी शेष है। गणेशगंज लिफ्ट परियोजना में तो अभी तक धोरे भी निर्मित नहीं करवाये जा सके हैं। विभाग द्वारा वर्तमान में राज्य मद के अभाव में महात्मा गांधी नरेगा से ड्रेनों की सफाई एवं धोरों को पक्का करने का कार्य किया जा रहा है। राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं पड़ रहा है। किंतु ऐसी स्थिति में भी सिंचित क्षेत्र विकास चंबल परियोजना क्षेत्र में भूमि विकास वृत्त कोटा एवं अधीनस्थ खंडीय कार्यालयों को समाप्त किये जाने का जनहित के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। सिंचित क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर एक खंडीय

(श्री रामनारायण मीना)

कार्यालय की आवश्यकता रहती है। ऐसी स्थिति में कृषकों के लिए लाभकारी विभाग को समाप्त या कम करना उचित नहीं है।

अतः अनुरोध है कि जनहित के मद्देनजर भूमि विकास वृत्त सीएडी चंबल कोटा के अधीन कार्यरत खंडीय कार्यालयों को यथावत रखा जाने तथा भारत सरकार से किसानों के हित में पुन: केन्द्रीय सहायता राज्य को उपलब्ध करवाने के लिए अनुरोध करने की कृपा करते हुए इन्हें समाप्त किये जाने के आदेश को निरस्त करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

गृह विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गृह विभाग एवं विधि विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.36(1)गृह-9/09 पार्ट दिनांक 11.08.2021 जिसके द्वारा राजस्थान विष संग्रहण एवं विक्रय नियम, 2015 में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: प.6(2)गृह-12/कारा/2019 दिनांक 30.09.2021 जिसके द्वारा राजस्थान कारागार नियम, 1951 के भाग 23 के नियम 3(क) के प्रावधानांतर्गत पूर्व में मनोनीत कतिपय व्यक्तियों को 02 वर्ष की अवधि हेतु विभिन्न कारागृहों के लिए गैर सरकारी दर्शक मनोनीत किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 22.09.2021 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना जी.एस.आर. संख्या 113 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 22.09.2021 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना एस.ओ. संख्या 234 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(5) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 22.09.2021 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना एस.ओ. संख्या 234 दिनांक 03.05.2020 एवं एस.ओ. संख्या 304 दिनांक 27.07.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(6) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 01.10.2021 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना जी.एस.आर. संख्या 113 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(7) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 01.10.2021 जिसके द्वारा राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अधीन कारित अपराधों का निर्धारित शमन राशि पर शमन किये जाने हेतु कतिपय अधिकारियों को अधिकृत किया गया है;

(8) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 15.10.2021 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना जी.एस.आर. संख्या 113 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(9) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 15.10.2021 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना एस.ओ. संख्या 591 दिनांक 01.10.2021 में संशोधन किया गया है;

(10) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 11.11.2021 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना जी.एस.आर. संख्या 113 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(11) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 11.11.2021 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना एस.ओ. संख्या 234 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(12) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 11.11.2021 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना एस.ओ. संख्या 234 दिनांक 03.05.2020 एवं एस.ओ. संख्या 304 दिनांक 27.07.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(13) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 11.11.2021 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना एस.ओ. संख्या 391 दिनांक 17.10.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(14) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 30.12.2021 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना जी.एस.आर. संख्या 113 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(15) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 30.12.2021 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना एस.ओ. संख्या 234 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(16) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 30.12.2021 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना एस.ओ. संख्या 304 दिनांक 27.07.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(17) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 30.12.2021 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना एस.ओ. संख्या 391 दिनांक 17.10.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(18) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 07.01.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना जी.एस.आर. संख्या 113 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(19) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 07.01.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना एस.ओ. संख्या 234 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(20) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 07.01.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना एस.ओ. संख्या 304 दिनांक 27.07.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(21) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 07.01.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना एस.ओ. संख्या 391 दिनांक 17.10.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(22) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 10.01.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना जी.एस.आर. संख्या 113 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(23) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 10.01.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना एस.ओ. संख्या 234 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(24) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 10.01.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना एस.ओ. संख्या 304 दिनांक 27.07.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(25) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 10.01.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना एस.ओ. संख्या 391 दिनांक 17.10.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(26) अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 24.01.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना जी.एस.आर. संख्या 113 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है; एवं

(27. अधिसूचना संख्या: प.9(16)गृह-5/2020 दिनांक 24.01.2022 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना एस.ओ. संख्या 234 दिनांक 03.05.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

विधि विभाग

अधिसूचना संख्या: एफ-7 (170/1) रालसा/संस्था./विनियम-संशोधन/2021/ 11866 दिनांक 26.07.2021 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री बुलाकी दास कल्ला।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान लोक सेवा आयोग का 71वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 71वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

जयपुर विकास प्राधिकरण के अंकेक्षित वार्षिक लेखे (वर्ष 2020-21)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा-64 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण के अंकेक्षित वार्षिक लेखे वर्ष 2020-21 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री परसादी लाल मीणा।

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1)(बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड का 16वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: डा. महेश जोशी।

राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 37वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान जल विकास निगम के मेमोरेन्डम आफ आर्टिकल के नियम-114 के अन्तर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 37वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविंद राम।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-35(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री भंवर सिंह भाटी।

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का षष्ठ वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21)

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का षष्ठ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 सदन की मेज पर रखता हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद। श्री बलवान पूनियां।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी कल की बात लगातार करना चाहता हूं। आपने मुझे इजाजत दी, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, चेयर को एड्रेस करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): मैं कल जिक्र कर रहा था किसान क्रेडिट कार्ड से जो परिस्थितियां किसान के सामने बनी हैं। यह अकेले राजस्थान में ही नहीं किसान क्रेडिट कार्ड एसबीआई बैंक जो लीड बैंक होता है पूरे हिन्दुस्तान का, लीड बैंक ने जो नियम बनाये हैं, अध्यक्ष महोदय, वो नियम ऐसे बने हैं कि 6-6 महीने तक एक किसान की केसीसी नहीं बन पाती। आज से पांच साल पहले यह स्थिति थी किसान केसीसी के लिए बैंक में जरूरी कागजात लेकर के जाता, बैंक 6 माह के बाद किसान को ऋण देता और किसान छठे महीने ऋण चुकाने के लिए उसका ब्याज भरने के लिए बैंक में जाता। आज एसबीआई बैंक ने जो नियम बनाये हैं, रिजर्व बैंक ने जो गाइड-लाइन बनायी है उस गाइडलाइन के चलते तहसील मुख्यालय से बैंक से कागज जायेगा जिला मुख्यालय पर और जिला मुख्यालय के बाद 6-6 महीने तक लगातार बैंकों में केसीसी के कागजात पड़े रहने के बाद किसान को किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है। मैं यह जिक्र इसलिए कर रहा हूं सदन के भीतर कि किसानों को किस तरीके से कमजोर किया जाये, ये उपाय ढूंढे जा रहे हैं। जहां किसान को और ज्यादा सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने की जरूरत थी, वहीं किसान के खेतों को समतलीकरण करने की जरूरत थी, जहां खालों पर वाटर कोर्स बनाने के लिए खर्च करने की जरूरत थी, 2014-15 में सीएडी विभाग को खतम किया। ये इसी बात से चीजें जुड़ी हुई हैं कि खेती और खेती से किसान का मोहभंग कैसे हो इसलिए अबकी बार यह बजट में प्रावधान किया कि जीरो बजट की खेती होगी और खेती से जुड़े हुए तमाम जो बजट थे, चाहे उर्वरक का था, चाहे खाद-बीज का था उसमें कटौती की गयी।

(समय: 13.48 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, अगर किसान का केसीसी बनाने में आसानी से सरकार मदद करे तो देश में ऐसे किसान भी हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के 95 प्रतिशत किसान समय पर ब्याज भरते हैं जिससे उनका प्रीमियम कटता है और समय पर प्रीमियम कटने के बाद जब खेतों में नुकसान होता है तो इसी राजस्थान के भादरा तहसील के किसानों को अब तक 800 करोड़ रुपये पिछले तीन साल में फसल बीमा क्लेम मिला इसलिए हम मांग करते हैं कि भारत सरकार बैंकों के लिए और ज्यादा खुला हाथ रखे और पूरे देश में किसान को आसानी से केसीसी उपलब्ध करवाये।

(श्री बलवान पूनियां)

मैं बात करना चाहता हूं किसान के विकास की बात आये, गांव के विकास की बात आये तो सड़कों पर, सभापति महोदय, पिछले दो-तीन साल में भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ने सड़क पर बहुत कम खर्च किया है। मैं थोड़े दिन पहले देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री को सुन रहा था, उन्होंने बड़े जोर की बात कही। वो कह रहे थे कि हमने सड़कें इतनी चिकनी बनायी हैं जिसका कोई अन्दाजा नहीं, लेकिन, सभापति महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वो ऐसी सड़कें गिनायें पूरे देश में जिन सड़कों के निर्माण के बाद उन्होंने किसी भी सड़क पर जाने वाले ट्रांसपोर्टर से, सड़क पर जाने वाले किसी भी आदमी से उन्होंने टोल नहीं वसूला हो। जब कोई आदमी 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिये सड़क खरीद रहा है तो फिर किसी भी सरकार को अपनी पीठ थपथपाने का कोई मतलब नहीं बच जाता। अगर कोई आदमी खरीदकर सड़क पर यात्रा कर रहा है, कोई सड़क को 24 घंटे के लिये भाड़े पर लेकर उस पर से गुजर रहा है तो फिर देश के केन्द्रीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारी सड़कों के जरिए कितने भी कोरीडोर स्थापित करना चाह रहे हों, खेती योग्य 31 प्रतिशत भूमि आप ले जाओगे और वह 31 प्रतिशत भूमि न सिर्फ सड़क बनाने के काम में लोगे, वह सारी की सारी जमीन आप बड़ी कम्पनियों को या फिर बड़े भू-माफियाओं को लुटाने का काम करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सभापति महोदय, ये बेशकीमती जमीनें किसान के हाथ से या फिर छोटे-छोटे किसानों के हाथ से निकल जायेंगी और उनके पास आजीविका का दूसरा साधन नहीं बचेगा। इसलिए मैं केन्द्र व राज्य सरकार से मांग करना चाहता हूं कि सरकार सड़क पर ऐसा फ्रेम करे एक भी इंच जमीन किसी किसान की जाए तो उसको डीएलसी रेट का कम से कम 20 गुणा फालतू दे ताकि वह दूसरी जगह जमीन का प्रबन्ध कर ले या उसका रीहेबिलेशन हो।

सभापति महोदय, जो बात मैं कल थोड़ी कह पाया था, मुझे संतुष्टि नहीं होगी अगर मैं देश की बात नहीं करूं। कल शाम को मेरे पास एक गरीब आदमी का फोन आया जिसका खाद्य सुरक्षा में तीन साल से नाम नहीं जुड़ा। उसने कहा कि मेरी बात आज आपने सदन में बड़ी जोरदार तरीके से उठाई। सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 यह बात कहता है कि कानूनी रूप से ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत लोग और शहरी आबादी के 50

(श्री बलवान पूनियां)

प्रतिशत लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है, अधिकार के रूप में वह कह सकता है। 50 फीसदी आबादी शहर की और 75 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्र की हम सब जनप्रतिनिधियों से मांग करती है लेकिन पिछले तीन साल से एक ही बात सुन रहे हैं कि भारत सरकार ने पोर्टल बन्द कर रखा है। सभापति महोदय, यह मैं नहीं कह रहा, यह देश के रिसर्च इंस्टीट्यूट कह रहे हैं कि देश में खाद्य सुरक्षा को कमजोर करा गया। खाद्य सुरक्षा कमजोर होने की वजह से गरीब आदमी के मुंह का निवाला छीनने का काम किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिये राज्य सरकार भी और राज्य सरकार से जुड़े हुए सारे लोग और हमारे सारे विधायक भारत सरकार से मांग करेंगे कि गरीब को राशन कैसे उपलब्ध कराया जाये।

सभापति महोदय, मैं हंगर स्ट्राइक की बात करूं, आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं ...(व्यवधान) उस दर से विकास करने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था कोविड 19 महामारी की शुरुआत से पहले ही सुस्त होना शुरू हो गयी थी। वर्ष 2017 और वित्त वर्ष 2020 के बीच वित्तीय क्षेत्र में कमजोरी के साथ निजी उपभोग की वृद्धि में भी गिरावट हुई और विकास दर 8.3 प्रतिशत से गिरकर 4.0 प्रतिशत तक आ गयी। वित्त वर्ष 2021 में अर्थव्यवस्था में 7.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी है। सभापति महोदय, जब अर्थव्यवस्था चौपट हो रही हो, जब तेजी से अर्थव्यवस्था गिर रही हो, जहां गरीब का निवाला रोकने का काम किया जा रहा हो, जहां नरेगा में बजट की कटौती हो रही हो, जहां केसीसी बनाने में किसान को दिक्कतें आ रही हों, जहां मण्डी में किसान का अन्न न खरीदा जा रहा हो, उस समय ये नारे अच्छे नहीं लगते।

सभापति महोदय, जिस भर्ती की आप बात कर रहे हैं और मेरे विपक्ष के साथी पिछले तीन दिन से बात कर रहे हैं, मैं पुरजोर मांग करना चाहता हूं कि एसओजी इसके जांच के दायरे को बढ़ाये और उन तमाम लोगों को पकड़े जिन्होंने न सिर्फ रीट 2020 को बल्कि 2021 को डिस्टर्ब किया था, उसमें पेपर लीक किया था। उससे पहले जो तमाम भर्तियां हुईं जिसमें जो गड़बड़ी की, उन तमाम की भी जांच करें और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें। जिन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम जिन पेपर माफियाओं ने किया, वे सीख़चों के पीछे जायें। सभापति महोदय, मैं आपको

(श्री बलवान पूनियां)

याद दिलाना चाहता हूं 2018 से पहले की 11 भर्तियां ऐसी थीं जिनका पिछले तीन साल में समाधान किया गया। हजारों हजार नौजवान चाहे वह एलडीसी भर्ती हो, चाहे वह दूसरी भर्ती के नौजवान हों, चाहे आरएएस भर्ती के नौजवान हों, जो बार-बार पिछली अटकी हुई भर्तियों को पूरा करवाने की मांग कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने से नौजवान का भला नहीं होगा बल्कि हर क्षेत्र में चाहे पुलिस, चाहे प्रशासन, चाहे आरएएस, चाहे आईएएस, हर जगह जो भर्तियों में कटौती हुई है, उनको हमें गौर से देखना होगा। सभापति महोदय, यह तो ठीक है रीट में पेपर लीक हो गया और रीट का आरोप किसी पर लगाया जा रहा है। एसओजी जांच कर रही है, जांच में क्लीयर कर देगी, पर, सभापति महोदय, हिन्दुस्तान किस ओर जा रहा है, जहां आरक्षण पर चोट हो रही है। 2021 में भारत में आईएएस बनाने के लिये कोई पेपर का आयोजन नहीं हुआ। चर्चा तो यह है कि हमारे +++ की बेटी भी आईएएस में सलेक्ट हुई है, जिसने कोई पेपर नहीं दिया। भारत की सरकार 1100 पदों पर आईएएस लेने जा रही है जिसमें कोई पेपर नहीं होने वाला है, कोई आरक्षण नहीं होगा, कोई पेपर का संकट इन्होंने छोड़ा ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में नौजवानों के लिए हम मांग करना चाहते हैं कि सरकार ऐसा कानून बनाये कि कोई पेपर लीक करना तो दूर की बात पेपर के लिए किसी के पास फोन भी नहीं कर पाये कि आपकी सैटिंग है या नहीं है। रीट से पहले सब नेताओं के पास, सब विधायकों के पास इतने फोन आते थे कि रीट में सैटिंग है या नहीं। यह सैटिंग का शब्द कहां से आया। सभापति महोदय, उस आदमी को पकड़ने की जरूरत है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि नौजवानों के साथ खिलवाड़ तब होगा जब नौजवान पेपर की तैयार कर रहे हो, जैसे अभी मेरे साथी कह रहे थे कि आर.ए.एस. के लिए, उससे पहले एईएन भर्ती का मसला था, सिलेबस के लिए बच्चे दो महीने लड़े। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पूर्व ऊर्जा मंत्री जी का जिन्होंने हमारी इस बात को माना भी था और उन्होंने सिलेबस को सही कर दिया था। आज आर.ए.एस. के बच्चे कह रहे हैं कि हमारा सिलेबस ठीक करो, हमारा सिलेबस जो बदल दिया गया, पेपर आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आरपीएससी जो पेपर आयोजित करे, देश में आरपीएससी का जो बड़ा महत्व था, उस आरपीएससी को अपनी पहचान को वापस मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। राजस्थान का भर्ती बोर्ड

(श्री बलवान पूनियां)

जो बिना किसी कलंक के, जो बिना किसी बात के भर्तियां आयोजित करता था, उस बात को आगे बढ़ाने की जरूरत है। सभापति महोदय, राजस्थान में कोई सैटिंग नहीं चलती थी, राजस्थान में कोई पेपर लीक नहीं होते थे। हमें वापस उसी दौर को कायम करना है।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ भी दिलाना चाहूंगा कि थोड़े दिन पहले राजस्थान में एसआई के लिए खिलाड़ियों की 11 पदों पर भर्ती हुई थी, जिसमें भी यहां के अभ्यर्थी यह कह रहे हैं कि राजस्थान का एक भी अभ्यर्थी नहीं हुआ। उस भर्ती की भी जांच करवाने का काम करे और नौजवानों के साथ न्याय करे। सभापति महोदय, न्याय अपनी जगह है और न्याय की अवधारणा अपनी जगह है। इस सदन में बैठे सारे लोग हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की सरकार एसआई भर्ती में भी न्याय करेगी, आरएएस के एग्जाम को भी आगे बढ़ायेगी।

सभापति महोदय, मैंने कल भी मेरी बात रखी थी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद राजस्थान का बजट आयेगा। राजस्थान के बजट में राजस्थान की सरकार स्वास्थ्य से लेकर स्कूल, शिक्षा, सड़क तक में तेजी से विकास करने का काम करेगी। जल जीवन मिशन में पूरे प्रदेश में अच्छा काम चल रहा है। पिछली बार जब जल जीवन मिशन में राजस्थान की सरकार ने काम किया, उसको आगे बढ़ाते हुये इन तीनों मुद्दों पर सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य पर सरकार तेजी से काम करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विपक्ष के साथियों को सद्बुद्धि आयेगी। हंगर इंडेक्स में जो हिन्दुस्तान पूरी दुनिया में ...(व्यवधान) स्थान पर चला गया है, इनको इससे कुछ सबक आयेगा, यह सीखेंगे और हमारे 25 के 25 एमपी भारत सरकार से हमारे राजस्थान के लिए विभिन्न योजनाओं में पैसा लाने का काम करेंगे। इसके लिए हमारे विपक्ष के साथी मजबूती से उनको गाइड भी करेंगे।

सभापति महोदय, आज यह सैट तो हो गये थे, तैयार भी हो गये थे लेकिन पता नहीं पीछे से फिर किसने उखाड़ दिया, इसका पता तो आप ही करेंगे। मुझे बोलने का वक्त दिया और मुझे मेरी बात कहने का वक्त दिया, इसके लिए मैं मेरी तरफ से और भादरा की जनता की तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं धन्यवाद।

(समय: 14.00)

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण इस सदन में प्रस्तुत किया है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह जी डोटासरा ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसके प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए अपनी बात रखना चाहूंगा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, पिछले तीन साल में जितना काम अशोक गहलोत साहब की सरकार ने किया है, महामहिम ने इसमें जो उल्लेख किया है, वह उससे भी कम है। इस सरकार के कामकाज के बारे में और बहुत कुछ लिखा जा सकता था। मैं आपके सामने निवेदन करूंगा प्रजातंत्र के अन्दर किसी भी सरकार के कामकाज के बारे में निर्णय जनता करती है और जनता के माध्यम से सरकार को पता चलता है कि ये काम उनकी सरकार किस तरह से कर रही है। राजस्थान के अलग-अलग जिलों के अन्दर जो उप चुनाव हुए जो लोग जनादेश को नहीं मानकर व्यर्थ के प्रपंच में अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, राजस्थान के उप चुनावों में राजस्थान की जनता ने उनको सन्देश दिया। जहां भारतीय जनता पार्टी को न केवल चौथे स्थान पर जाना पड़ा, इनको अपनी जमानत तक गंवानी पड़ी। इनकी आपसी लड़ाई का आलम ये रहा कि इनकी सरकार के एक पूर्व मंत्री के बहकावे में आकर पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे के बेटे के निवास पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के इशारे पर पथराव किया गया। यहां तक कि इतने दिन बीतने के बाद भी उस मुकदमे में जांच समिति ने कोई कार्यवाही नहीं की।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करूंगा कि राजस्थान का ही नहीं, देश के प्रमुख अख़बार राजस्थान पत्रिका ने पिछले दिनों एक सर्वे किया और उस सर्वे के अन्दर मंत्रियों के कामकाज, विधायकों के कामकाज और विपक्ष के कामकाज पर राजस्थान के लोगों की राय जानी। मुझे बहुत आश्चर्य है कि देश के प्रमुख अख़बार राजस्थान पत्रिका के द्वारा इनको आईना दिखाने के बाद भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजस्थान पत्रिका के सर्वे में क्या कहा गया? मैं आपके सामने निवेदन करूंगा।

श्री सभापति: माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया अपने सदस्यों से कहें कि वे आसन को सम्बोधित करें। बिलकुल नहीं, आप सारे के सारे इधर देखिए।

(श्री सभापति)

क्या मजाक है? संसदीय परम्पराओं का निर्वहन करें। आप इधर देखिए। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राजस्थान पत्रिका लिखता है, पन्द्रहवीं विधान सभा विपक्ष की भूमिका को लेकर मेगा सर्वे और राजस्थान पत्रिका ने लिखा, विपक्ष ने अपने कामकाज से जनता को प्रभावित नहीं किया, पिछले तीन साल में राजस्थान में विपक्ष जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। सर्वे में 66 प्रतिशत से अधिक लोगों ने माना कि विपक्ष जनता की आवाज नहीं बन सका। 68 फीसदी से अधिक लोगों का मानना है कि विपक्ष जनहित के मुद्दों पर राज्य सरकार को विधान सभा में घेरने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा। इतना ही नहीं, सर्वे में शामिल आधे लोगों ने ये कहा कि सरकार को गिराना विपक्ष का एकमात्र मकसद रहा। 53 फीसदी लोगों ने कहा कि उनको कोई उम्मीद नहीं है कि आने वाले वक्त में भी बीजेपी के लोग अपनी कोई भूमिका निभा सकेंगे।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, जिन पांच बिन्दुओं पर सर्वे में राय सामने आयी, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता के सामने रखना चाहता हूं। क्या विपक्ष जनता की आवाज बन पाया? 67 फीसदी लोगों ने कहा, नहीं। क्या विपक्ष जनहित के मुद्दों पर राज्य सरकार को विधान सभा में घेरने में कामयाब रहा? 69 परसेंट लोगों ने कहा, नहीं। कोरोना काल में क्या विपक्ष ने सरकार के साथ मिलकर जनता की मदद की? 50 फीसदी लोगों ने कहा, नहीं। क्या सरकार को गिराना विपक्ष का असली मकसद था? 51 परसेंट लोगों ने कहा कि बीजेपी सरकार को गिराना चाहती थी। इतना ही नहीं जो पांचवां सवाल राजस्थान पत्रिका ने राजस्थान के लोगों के सामने रखा, अगले दो साल में क्या विपक्ष और सशक्त भूमिका निभा पायेगा? 54 फीसदी लोगों ने कहा, नहीं।

श्री सभापति: विराजिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं पुन: आग्रह करूंगा कि अपने माननीय सदस्यों से कहें कि आसन को सम्बोधित करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष, अपने सदस्यों से कहें कि आसन की ओर देखें। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैंने आपके सामने निवेदन किया कि किस तरीके से राजस्थान पत्रिका में भारतीय जनता

(श्री संयम लोढ़ा)

पार्टी के नाकारापन, भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन, भारतीय जनता पार्टी की दिशाहीनता को उजागर किया और इन तीन साल में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के लोगों को अपने कर्म से किस तरह हताश किया, वह राजस्थान पत्रिका ने एक आईना दिखाया।

श्री सभापति: राजेन्द्र जी, डाक्टर बुलाना है क्या?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के बिन्दु संख्या 80 के माध्यम से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि सभी मनुष्य एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और उन्हें ये अधिकार भी है कि वे अपने साथ अच्छे व्यवहार की मांग करें।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, आपके ठीक पीछे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा की फोटो लगी हुई है। (व्यवधान) हमारी सरकार और हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोत, महात्मा गांधी के आदर्श को आत्मसात करके लगातार सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: राजेन्द्र जी, इनको इधर ले जाओ। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): समाज में सबसे पीछे बैठा हुआ जो आदमी है, उसको उन्होंने गले लगाकर, एक सम्मानजनक जीवन देने का काम अपनी सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से किया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: डाक्टर को कह दिया, आ रहे हैं। इनको चैम्बर में ले जाओ। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैंने कल ही कहा था कि उनको खड़े मत रखो। वह उम्रदराज हैं, बैठ जाओ, पर माने नहीं। कल भी उनकी तबीयत खराब हो गई। आज फिर तबीयत खराब हो गई। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, अशोक गहलोत की सरकार इनका भी ध्यान रखेगी।

श्री सभापति: चैम्बर में ले जाओ एक बार।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इनको ले जाने के लिए गाड़ी बुला ली गई है और यह व्यवस्था की जा रही है कि इनका ठीक से इलाज हो। (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, इस सरकार ने एक के बाद एक तीन लहरों का सामना किया।

श्री सभापति: राजेन्द्र जी, डाक्टर को बुलाया है, आप इनको चैम्बर में क्यों नहीं लेकर जाते, डाक्टर को बुला लिया है, आप इनको चैम्बर में ले जाओ। आप पीछे चैम्बर में ले जाओ। नेता प्रतिपक्ष, वहां चैम्बर में ले जाओ इनको। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जितने लोग संवेदना रखने वाले थे, वह तो माननीय सदस्य के साथ चले गये और जो बिना संवेदना के हैं, वह यहां अभी तक खड़े हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, किन विपरीत परिस्थितियों में अशोक गहलोत ने राज संभाला था, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ...(व्यवधान) एक बदहाल अर्थव्यवस्था अशोक गहलोत को सौंपी थी। इसके अन्दर पहले साल में ही फिस्कल डेफिसिट जो तीन फीसदी की मियाद में होना चाहिए, पहले साल से ही इन्होंने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने का काम किया। 2015-16 में उसको 9 परसेंट पर लाकर पहुंचा दिया। राजकोषीय घाटा, इनकी पूरी सरकार के कार्यकाल में तीन प्रतिशत की सीमा से बढ़कर रहा। प्रति व्यक्ति आमदनी घट गई और पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक आक्रोश का माहौल था। बीजेपी के नेता जहां-जहां जाते थे नौजवान लोग एक नारा लगाते थे, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुन्धरा तेरी खैर नहीं। माननीय सभापति महोदय, वह नतीजों के अन्दर सामने आ गया। (व्यवधान) इसके बाद विपरीत परिस्थितियों में अशोक गहलोत साहब ने सरकार संभाली। लोगों का भरोसा लौटा। आत्मविश्वास का संचार हुआ। गरीब लोगों को उम्मीद पैदा हुई। आते ही पहले साल में, इन बीजेपी वालों ने गरीब आदमी का एक रुपये किलो का गेहूं बंद किया था, अशोक गहलोत की सरकार ने आते ही उन गरीबों को एक रुपये किलो गेहूं चालू किया।

माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में, हमेशा से हर सरकार, चाहे अशोक गहलोत की सरकार 1998 से 2003 तक रही हो, चाहे 2008 से 2013 तक रही हो, चाहे अब 2018 से 2023 की सरकार को, सोशल सिक्योरिटी में अशोक गहलोत की सरकार का काम आउटस्टेण्डिग है। पूरे देश में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। विधवाओं को 500 रुपये पेंशन मिलती थी, अशोक गहलोत की सरकार आई और पेंशन को बढ़ाकर 750 रुपये किया गया। जिनको 750 मिलती थी, उनको बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया। हर घर तक सीधी सहायता पहुंचाने का काम अशोक गहलोत ने किया है।

(श्री संयम लोढ़ा)

सभापति महोदय, पूरी मानव जाति का दुर्भाग्य था कि कोरोना आ गया। भारत सरकार को दिसम्बर, 2019 में ही पता चल गया था कि चाइना के वुहान में कोरोना का पहला पेशेंट सामने आ गया और WHO ने 11 मार्च, 2020 को उसे पेंडेमिक घोषित कर दिया। जब यह पता चल गया कि वैश्विक महामारी के रूप में कोरोना आया है, जो आवश्यक कदम भारत सरकार को उठाने चाहिए थे, वह नहीं उठाए। राष्ट्रीय उड़ानें तत्काल बंद करनी चाहिए थीं, वह नहीं कीं। चाइना से केरल में लड़के आ गये। भारत के अन्दर पहले कोरोना के मरीज केरल में 13 जनवरी को डायग्नोस्ट हो गए लेकिन उसके बाद भी नरेन्द्र मोदी ने अन्तरराष्ट्रीय उड़ानों को बंद नहीं किया, अन्तरराष्ट्रीय उड़ानें आती रहीं। एयरपोर्ट पर किसी तरह का कोरोना टैस्ट का कोई इंतजाम नहीं किया। सिर्फ स्क्रीनिंग करके लोगों को अपने गांवों में जाने दिया गया, उसका नतीजा हुआ कि कोरोना का वायरस भारत के गांव-गांव तक पहुंच गया।

माननीय सभापति महोदय, अचानक से, जैसी आदत है उनकी, शाम को पता नहीं कौनसी गोली खाते हैं, आठ बजे टीवी पर अवतरित हुए और कहा कि देश में लॉकडाउन। सारे संसाधन बंद। पूरे देश के अन्दर चिंता का वातावरण बन गया। लोगों में भगदड़ मच गई। हज़ारों-लाखों परिवार अपने घर जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े। आपने देखा होगा कोरोना की महामारी में लोगों को क्या कष्ट नहीं झेलने पड़े। गुजरात की सरकार ने गाड़ियों में भर-भर कर लोगों को गुजरात के बोर्डर पर छोड़ दिया। उनको जाना था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कैसे पहुंचाया जाए? ऐसे वक्त में अशोक गहलोत उन सारे लोगों के लिए एक तारणहार के रूप में सामने आये। पूरी सरकार, पूरे संसाधन लोगों की सेवा में झोंक दिये।

आपको याद होगा, अशोक गहलोत ने पूरे राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को एक संदेश दिया और राजस्थान की सरकार का यह मंत्र बना "कोई भूखा नहीं सोये"। कोरोनो के उस कठिन समय में राजस्थान में बच्चा भी भूखा नहीं सोया। करोड़ों फूड पैकेट बांटे गये, प्रवासी मजदूर आये, उनके लिए स्पेशल रेलगाड़ी लगाई गयी। रेलगाड़ियां किराये पर ली गयी। हर एसपीओ को यह जवाबदारी दी गई कि एक भी आदमी सड़क पर पैदल चलते हुए नहीं दिखना चाहिए। रोडवेज़ बसें लगीं, आप और हम सब लोग भी शामिल थे, हमने हज़ारों लोगों को रवाना किया। उनको अपने घरों तक पहुंचाया। उनके खाने की व्यवस्था की।

(श्री संयम लोढ़ा)

मैंने उस वक्त प्रधान मंत्री को चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद सात चिट्ठियां प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखीं, जितने भी भारत के लोग हैं, जो इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं, उनके खाते में दस-दस हजार रुपये डाल दो। नरेन्द्र मोदी ने हमारी नहीं सुनी। निर्मला सीतारमण ने आकर भारत की संसद में 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज डिक्लियर किया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

आज तक उस 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में से पांच रुपये किसी आम नागरिक को प्राप्त नहीं हुए।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर अशोक गहलोत साहब ने 33 लाख परिवारों के खातों के अन्दर 5500 रुपये डाले, 33 लाख परिवारों को। क्या हाल थे जब कोरोना आया? जो पहला सैम्पल हमने लिया, उसको भी टैस्ट करवाने के लिए पूना भेजना पड़ा था लेकिन आज लगातार क्षमता विकसित की गयी और राजस्थान 1 लाख 45 हजार कोरोना टैस्ट करने की क्षमता के साथ खड़ा है।

माननीय सभापति महोदय, आप हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य से तुलना करें, कोरोना में राजस्थान की रिकवरी रेट देखिये, कोरोना में राजस्थान की मृत्यु रेट देखिये, आपको सबमें राजस्थान अव्वल दिखाई देगा। इतना ही नहीं, अमरीका के राष्ट्रपति की प्रेस एडवाइजर ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत के कोरोना प्रबन्धन को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बताया। इतना ही नहीं, खुद नरेन्द्र मोदी ने जब-जब मुख्य मंत्रियों की बैठक ली, उसमें मुख्य मंत्रियों को यह कहा कि अरे, तुम अशोक गहलोत से कुछ सीखो कि कोरोना का प्रबन्धन कैसे किया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, उस कठिन समय में अशोक गहलोत ने चालीस हजार आक्सीजन कान्सन्ट्रेटर उपलब्ध करावाये। क्या हालत थी? (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: उप नेता महोदय, संसदीय परम्पराओं का निर्वहन करें। माननीय सदस्यों से यह कहें कि आसन को सम्बोधित करें। मैं अलाउ नहीं करूंगा। आसन को सम्बोधित करें। (व्यवधान) आसन को दिखाइये आप। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अनेक जिलों में यह परिस्थितियां थीं कि आक्सीजन का उत्पादन नहीं होता था तो जगह-जगह से आक्सीजन की व्यवस्था की गयी। 40 हजार आक्सीजन कान्सन्ट्रेटर उपलब्ध करवाये गये और एक भी आदमी को आक्सीजन की कमी से राजस्थान में अशोक गहलोत ने मरने नहीं दिया।

माननीय सभापति महोदय, आज तीसरी लहर के लिए जो तैयारी चालू की, एक अभियान छेड़ दिया, सारे विधायकों को लगाया, सारे मंत्रियों को लगाया कि हर जिले में आक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगने चाहिए। 473 स्थानों पर आक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाये और आज हम यह कह सकते हैं कि राजस्थान में किसी भी तरह की चुनौती आये, राजस्थान अशोक गहलोत के नेतृत्व में इसके मुकाबले के लिए तैयार खड़ा है।

माननीय सभापति महोदय, मार्च 2020 में 5909 आक्सीजन बैड राजस्थान के पास थे, अशोक गहलोत के प्रयासों से आज राजस्थान के पास 28 हजार आक्सीजन बैड हैं। आई.सी.यू. के 1211 बैड मार्च, 2020 में थे और आज 6 हजार आई.सी.यू. के बैड राजस्थान में उपलब्ध हैं, इलाज की कोई कमी नहीं है। बी.जे.पी. की सरकार से अगर आप तुलना करेंगे, 2018 से तुलना करेंगे तो आक्सीजन बेड और आई.सी.यू. बैड पांच गुना बढ़ गये हैं, मात्र इन तीन सालों में।

माननीय सभापति महोदय, एक वह बी.जे.पी. की सरकार थी, जिसमें यह भामाशाह कार्ड लिये और उस भामाशाह कार्ड, जो हमारे पैसे से बने उसमें भारतीय जनता पार्टी का निशान, कमल का निशान लगा दिया। इतना ही नहीं, वसुन्धरा राजे का फोटो लगा दिया। एक गवर्नमेंट डाकूमेंट का, गवर्नमेंट मनी का, जनता के पैसे का निर्मम दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया।

माननीय सभापति महोदय, अशोक गहलोत की सरकार आयी, मुख्य मंत्री चिरंजीवी योजना लायी और 1 करोड़ 33 लाख परिवार उस चिरंजीवी योजना से जुड़े हैं। चिरंजीवी योजना में 7 लाख 41 हजार परिवारों को कैशलेस सुविधा दी गयी और 930 करोड़ रुपये चिरंजीवी योजना के माध्यम से लोगों पर खर्च किये गये।

माननीय सभापति महोदय, नि:शुल्क दवा योजना में 760 करोड़ रुपये व्यय किये गये। नि:शुल्क जांच योजना में रोजाना डेढ़ लाख लोगों की नि:शुल्क जांच होती है।

(श्री संयम लोढ़ा)

जब पहले अशोक गहलोत साहब मुख्य मंत्री थे तो एक सपना राजस्थान को उन्होंने दिखाया कि शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में मैं राजस्थान को आगे लेकर जाऊंगा। यह जो प्राइवेट कालेज इंजीनियरिंग और मेडिकल में अलाउ किये हैं, यह अशोक गहलोत साहब की सोच की देन है और अब जब वे तीसरी बार मुख्य मंत्री बने हैं तो आज छह मेडिकल कालेज चालू कर दिये हैं और 16 मेडिकल कालेजों में से छह का काम शुरू कर दिया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक पिछड़े जिले से आता हूं। नीति आयोग, भारत सरकार ने मेरे जिले को आकांक्षी जिलों में शामिल किया है। मैं सिरोही की जनता की तरफ से अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद दूंगा कि सिरोही को भी 330 करोड़ रुपये का मेडिकल कालेज उन्होंने दिया और इससे भी ज्यादा उनकी इच्छा शक्ति है कि उसका न केवल काम शुरू किया बल्कि यह एलान किया है कि 2022-23 में मेडिकल कालेज का पहला बैच वहां पर पढ़ाई शुरू कर देगा और त्वरित गति से उसका काम चल रहा है।

राजस्थान के हर जिले में नर्सिंग कालेज दिया है। मेडिकल कालेज तो हो ही जायेगा। हर जिले में नर्सिंग कालेज होगा। हमारे बच्चे, पिछड़े जिले के बच्चे, जो दूर-दूर जाकर नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, आज उनको अपने जिले के अन्दर नर्सिंग की शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो सकेगी और मेडिकल कालेज के लिए नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध करवाने में भी एक सहायता मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। हमारे यहां पर गर्भवती महिलाओं की पहले यह हालत थी कि गांव में ही अपना प्रसव करवाती थीं या दाई के पास प्रसव करवाती थीं और नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे 2019-2021 में यह बताया है कि संस्थागत प्रसव भारत में 88 महिलाएं करवाती हैं लेकिन राजस्थान में 95 महिलाएं संस्थागत प्रसव करवा रही हैं। आप देखिये कि राजस्थान को कहां से कहां पर लाकर खड़ा किया है और राजस्थान के लोगों में किस तरीके से उन्होंने जागरूकता बढ़ायी है कि आज वे चिकित्सा संस्थान में आकर अपनी प्रसव सुविधा प्राप्त कर रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, कौनसा ऐसा क्षेत्र है जिसमें इस सरकार ने काम नहीं किया है? उद्योग, पहले एकल खिड़की योजना लायी गयी थी, वह

(श्री संयम लोढ़ा)

एकल खिड़की योजना वास्तव में एकल खिड़की नहीं हुई। योजना बनाने के बाद भी उद्योगपतियों को जगह-जगह पर चक्कर काटने पड़ते थे, धक्के खाने पड़ते थे। अशोक गहलोत साहब एक कानून लाये और कानून के जरिए बदलाव किया और यह व्यवस्था की कि जो भी अपना नया उद्योग शुरू करना चाहेगा, राजस्थान के तमाम कानूनों से उसको तीन साल के लिए मैं रिलेक्स करता हूं और आज उसी का नतीजा है कि तेज गति से राजस्थान औद्योगीकरण की तरफ आगे बढ़ रहा है।

उद्योग मंत्रीजी यहां पर दिख नहीं रहे हैं मुझे, लेकिन अलग-अलग क्षेत्र के अन्दर राजस्थान में विशिष्ट जोन बना है। जहां ज्वैलरी का काम ज्यादा है वहां ज्वैलरी का जोन, जहां ग्रेनाइट का काम ज्यादा है वहां ग्रेनाइट जोन, जहां इमिटेशन का काम ज्यादा है वहां इमिटेशन जोन, कहीं खिलौने का काम है, वहां खिलौने का जोन, कहीं दवाइयां हैं, वहां दवाइयों का जोन। इस तरीके से राजस्थान के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई, नई गति देने का काम किया। हमारे माननीय मंत्री बामनिया जी, माननीय मंत्री धारीवाल जी, माननीय माननीय मंत्री परसादी लालजी, माननीय मंत्री टीकाराम जी जूली पूरा राजस्थान हीं नहीं घूमे, दुबई तक जाकर आये हैं और लाखों करोड़ रुपये का निवेश राजस्थान के लिए लेकर आये हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां एक कहावत थी, खेलने से बच्चों को हतोत्साहित करते थे कि खेलेगा तो बिगड़ जाएगा और मां-बाप खेल में बच्चों को बढ़ावा नहीं देते थे। हम ऐसे मुल्क में हैं जहां 52 परसेंट बच्चे कोई खेल नहीं खेलते। मां-बाप चिन्ता करते हैं कि यह खिलाड़ी तो बन जाएगा, आगे इसका भविष्य क्या होगा लेकिन अशोक जी गहलोत को धन्यवाद देना होगा कि उन्होंने नियमों के अन्दर फेरबदल किया कि जिसकी डिग्री में रशिया लिखा हुआ है या अमेरिका लिखा हुआ है उसी को नौकरी नहीं मिलेगी वरन् जिसके पीछे राजस्थान लिखा हुआ है, उसको भी नौकरी मिलेगी। सभापति महोदय, चार सौ खिलाड़ियों को आउट आफ टर्न नौकरी देने का काम अशोक जी गहलोत की सरकार ने किया। इतना ही नहीं, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। अवनी लेखरा और जो भी खिलाड़ी हैं, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। खेलों का भी पहले आयोजन हुआ और अब फिर पूरे राजस्थान के अन्दर ग्रामीण ओलम्पिक का आयोजन अशोक गहलोत साहब करवा रहे हैं और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 26 लाख

(श्री संयम लोढ़ा)

बच्चों ने ग्रामीण ओलम्पिक में खेलने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। दुनिया के इतिहास में यह पहला ईवेन्ट होगा कि जिसके लिए 26 लाख बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है।

माननीय सभापति महोदय, एक तरफ ये लोग हैं जो किसानों का गला घोंटना चाहते हैं। संविधान में दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर पर कोई भी कानून बनेगा तो स्टेट बनाएगा लेकिन भारत के किसानों का गला घोंटने के लिए ये तीन काले कानून लेकर आये और सात सौ किसानों को अपनी आहूति देनी पड़ी। यह किसान की ताकत थी कि नरेन्द्र जी मोदी जैसे अपने आपको 56 इंच का सीना बताने वाले आदमी को किसानों के आगे नाक रगड़नी पड़ी और वो तीनों कानून वापस लेने पड़े।

माननीय सभापति महोदय, मैं अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद दूंगा कि 70 साल के इतिहास में पहली बार कृषि बजट अलग से लाने का निर्णय किया और पन्द्रहवीं विधान सभा का यह सातवां सत्र इस बात का साक्षी बनेगा कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार कृषि का बजट अलग से पेश किया जायेगा। सभापति महोदय, अशोकजी गहलोत साहब की प्रेरणा से तीन साल के अन्दर राजस्थान के किसानों को 36 हजार 357 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया गया है। एक सपना लेकर चले कि हर ग्राम पंचायत में कोआपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए। पूरे राजस्थान के अन्दर किसान भाइयों को, नागरिकों को प्रेरित किया गया कि आप आइये, हम हर ग्राम पंचायत में सोसाइटी बनाना चाहते हैं। 2021-22, केवल एक साल के अन्दर 418 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया गया।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लेकर आये। यह योजना क्या है? हर किसान के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है एक हजार रुपये। इस योजना की बदौलत राजस्थान में पांच लाख किसानों का बिल जीरो पर आ गया। हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और अधिक सहूलियतें दी जाएंगी। इन्होंने कहा कि हम पांच साल में किसानों की बिजली का कोई पैसा नहीं बढ़ाएंगे। हम इस वायदे पर कायम रहे और किसानों के बिजली के पांच पैसे भी नहीं बढ़ाये गये। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इन तीन सालों में 2 लाख 41 हजार किसानों को कनेक्शन दिये गये और 16 लाख घरों के कनेक्शन दिये गये और इस बात की चेष्टा की जा रही है कि तमाम सुविधाएं राजस्थान के नागरिकों को मिल सकें।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, हमारे पशुपालन मंत्री लालचन्द जी कटारिया तो गायब हैं लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं। इन्होंने 877 पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले। 166 पशु चिकित्सा उप केन्द्रों को चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया। हमारे गोपालन मंत्री प्रमोदजी भाया बड़े समाज सेवी हैं। बीजेपी के लोगों ने तो 50 लाख रुपये दिये नन्दी गौशाला के लिए, जिला स्तर पर। मेरे जिले से गोपालन मंत्री आते थे। वह वहां पर नन्दी गौशाला स्थापित नहीं कर सके लेकिन चूंकि प्रमोद जी खुद गौशाला चलाते हैं, उनको पता है कि गौशाला के लिए क्या संसाधन चाहिए। ये नया प्रस्ताव लेकर आये। डेढ़ करोड़ रुपया हर जगह पर नन्दी गौशाला के लिए दिया जा रहा है। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों के अन्दर चार नन्दी गौशाला के प्रस्ताव स्वीकृत कर दिये गये हैं। आने वाले वक्त में सिरोही में भी पथमेड़ा गौशाला और जो स्वामी दत्सरानन्दजी हैं, उनकी प्रेरणा से दस हजार नन्दी गौशाला सिरोही के अन्दर स्थापित करने जा रहे हैं। अर्बुदा गौशाला की पांच हजार बीघा भूमि उनको उपलब्ध करवायी जा रही है। जो बड़े पशु को 32 रुपये मिलते थे, अशोक गहलोत साहब ने बढ़ाकर 40 रुपये किया। छोटे पशु को 16 रुपये मिलते थे, उसको बढ़ाकर 20 रुपये किये। पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर गायों की सेवा में, गौमाता की सेवा में काम करने में सबसे पहले नम्बर पर अगर कोई सरकार है तो वह अशोक गहलोत की सरकार है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक और निवेदन करना चाहूंगा। वर्ष 2013 के अन्दर मेघवाल समाज सिरोही में लड़कियों के छात्रावास के लिए भूमि आबंटित हुई। लीज राशि का बीस लाख रुपये का डिमाण्ड निकाला गया। बीजेपी के पांच साल के राज में मेघवाल समाज वह पैसे भर नहीं पाया। मैंने मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया कि आप लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हो, यह बीस लाख रुपये की लीज राशि का माफ करो। फाइल चली लेकिन अधिकारियों ने उस पर टिप्पणी लिख दी कि एक समाज को उसका लाभ कैसे दें? अशोक गहलोत साहब ने निर्देश दिये कि पूरे राजस्थान में ऐसे कमजोर वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने के लिए मुख्य मंत्री सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 मुख्य मंत्रीजी ने दी और उसमें हमारा प्रस्ताव लगा हुआ है तो कमजोर वर्ग के लोगों को इस सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना में लाभान्वित किया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, हमारे बहुत से प्रतिभावान बच्चे, जिनके

(श्री संयम लोढ़ा)

परिवार की हालत ठीक नहीं होती पर मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता है, कोई आर.ए.एस. का एग्जाम देना चाहता है, कोई आई.ए.एस. का एग्जाम देना चाहता है तो संसाधन नहीं होते। अशोक गहलोत साहब ने मुख्यमंत्री अनुकृति कोचिंग योजना के माध्यम से राजस्थान के इन प्रतिभावान बच्चों को सहायता प्रदान की। ये बच्चे सरकारी सहायता के जरिये आई.ए.एस. बन सकेंगे, आर.ए.एस. बन सकेंगे, डाक्टर बन सकेंगे, इंजीनियर बन सकेंगे, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बन सकेंगे। इस तरीके से इन बच्चों का भविष्य संवारने का काम अशोक गहलोत की सरकार कर रही है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

राजस्थान में 123 नये डिग्री कालेज अशोक जी गहलोत साहब ने खोले और 23 डिग्री कालेज को पी.जी. में क्रमोन्नत किया। सारा सदन, सारे विधायक इस सदन में यह कहते रहे कि लेक्चरर नहीं हैं, लेक्चरर नहीं हैं। लेक्चरर की भर्ती चल रही थी, लेकिन इसी बीच में अशोक गहलोत साहब ने विद्या सम्बल योजना दी, जिसके माध्यम से सैकड़ों की संख्या में लेक्चरर लगाकर कालेज के अन्दर बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की गयी और इस सरकार ने करोड़ों रुपया विद्या सम्बल योजना के अन्दर खर्च किया।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा ऐतिहासिक महात्मा गांधी नरेगा योजना में 62 लाख लोगों को रोजगार दिया गया, जो राजस्थान के इतिहास में एक कीर्तिमान है। कोरोना के टाइम में बहुत-से लोगों के जॉब कार्ड बने हुए नहीं थे, बाहर से प्रवासी लोग आये थे, हमारी सरकार ने तय किया कि जैसे ही आता है, इसका जॉब कार्ड बनाओ और इस तरीके से आते ही जॉब कार्ड बनाये गये और लाखों प्रवासी लोग, जो बाहर से आये थे, उनको रोजगार उपलब्ध कराया गया।

माननीय सभापति महोदय, 10 लाख पट्टे 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान में बांटे गये और इन्दिरा रसोई योजना, जो इतना एक बेहतरीन विकल्प साबित हुआ कि हजारों की तादाद में लोग शाम को जाकर, सुबह जाकर उस इन्दिरा रसोई योजना में भोजन करते हैं। माननीय सभापति महोदय, हर थाली पर 17 रुपये का अनुदान अशोक गहलोत जी की सरकार दे रही है। माननीय सभापति महोदय, 5 करोड़ 55 लाख लोगों ने इन्दिरा रसोई योजना में भोजन किया है।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, यह बजरी माफिया के नायक पिछले पूरे पांच साल बजरी को वैध रूप से नहीं चला सके। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मंत्री प्रमोद भायाजी को कि जिन्होंने इस माफिया राज को खतम करने के लिये चार जिलों के अन्दर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ प्राप्त करके वैध बजरी खनन को चालू करवाया। टोंक, राजसमन्द, भीलवाड़ा और जालौर, इन चार जिलों के अन्दर वैध रूप से बजरी खनन का कार्य शुरू कर दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में इस सरकार के प्रयास से पूरे राजस्थान के अन्दर वैध बजरी खनन शुरू हो सकेगा और इन्होंने जो माफिया पनपाया है, उस माफिया को हम जड़-मूल से उखाड़ सकेंगे।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, अशोक गहलोत साहब ने एक बहुत बेहतरीन निर्णय किया और पुलिस के अधिकारियों में डर खतम किया कि आप इस बात की चिन्ता नहीं करें कि मुकदमे ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। जो भी नागरिक आपके पास आएं, उसका मुकदमा दर्ज करो। एस.पी. के आफिस में एफ.आई.आर. दर्ज करने की व्यवस्था की और उसके कारण से पहले कोर्ट से मुकदमे दर्ज होते थे, 33.4 प्रतिशत केसेज कोर्ट के जरिये दर्ज होते थे, माननीय सभापति महोदय, वह घटकर अब 16 प्रतिशत पर आ गया है। आज राजस्थान के 711 थानों के अन्दर स्वागत कक्ष के निर्माण का काम चालू है और 110 में उदघाटन कर दिया गया है। पहले किसी भी मुकदमे के अनुसन्धान में, वह बलात्कार का है, 274 दिन एवरेज लगते थे, माननीय सभापति महोदय, वह घटकर अब 79 पर आ गया है।

माननीय सभापति महोदय, गांव का बच्चा, उसके मां-बाप यह चाहते थे कि उनके बच्चे को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मिले, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण वह शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पाते थे। मैं धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत साहब को और गोविन्द सिंहजी डोटासरा को, कि वह महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल कांसेप्ट लेकर आये और राजस्थान के अन्दर 562 जगहों पर महात्मा गांधी इंगलिश मीडियम की स्कूल खोली और 86 हजार बच्चों का अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन हुआ। एक वह समय था जब सरकारी स्कूलों के अन्दर बच्चे नहीं आते थे, आज वह समय आया है कि सरकारी स्कूल को लाटरी निकालकर बच्चों को एडमिशन देना पड़ रहा है।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने एग्रीकल्चर फैकल्टी 358 जगहों पर खोल दी हैं और 61,625 शिक्षकों को नियुक्ति दी है। इस साल 60 हजार शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। माननीय सभापति महोदय, 2021-22 में 10 लाख नामांकन बढ़ा है, जो अपने आपमें एक कीर्तिमान है। सभापति महोदय, यह क्या हो रहा है? (व्यवधान) इंस्पायर्ड अवार्ड योजना, जो भारत सरकार की है, 2020-2021 के अन्दर पूरे देश में पहला स्थान राजस्थान को मिला था और इस साल अशोक गहलोत साहब ने घोषणा की है कि जिस स्कूल के अन्दर 500 से ज्यादा बालिकाएं हैं, वहां लड़कियों का कालेज खोला जाएगा।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: आप विराजें। माननीय सदस्य, इधर-इधर, आसन की तरफ, इधर आइए आप। वक्ता को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इधर आइए आप लोग। आसन की तरफ आइए। आप आसन को सम्बोधित कीजिए। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): रेवेन्यू रिकार्ड ऑनलाइन करने का काम बहुत मेहनत से चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, 369 राजस्थान की तहसीलों में से 321 तहसीलें ऑनलाइन कर दी गयी हैं। माननीय सभापति महोदय, पूरे देश में नरेन्द्र मोदीजी ने योजना आयोग को खतम किया और नीति आयोग को लेकर आये। नीति आयोग ने पूरे देश के 100 पिछड़े जिले चयनित किये और ऐसे पैरामीटर्स तय किये कि इन पैरामीटर्स के आधार पर काम करना है, इन जिलों को बेहतर प्रदर्शन करना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इसमें भी जो नीति आयोग का निर्णय है, राजस्थान के 12 जिलों को रैंकिंग के अन्दर पहला स्थान 2021 में मिला है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा जवाई बांध पुनर्भरण की योजना पश्चिमी राजस्थान की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अनेक जिलों को उसके माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन उस जवाई पुनर्भरण योजना में नरेन्द्र मोदी और गुजरात की सरकार सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा 25 नवम्बर, 2019 को केन्द्रीय जल आयोग ने जो संशोधित मांगें थीं, वह सब्मिट कर दी गयीं, लेकिन इसके बाद भी आज तक केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जवाई पुनर्भरण योजना की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है। राजस्थान

(श्री संयम लोढ़ा)

सरकार बार-बार केन्द्रीय जल आयोग को स्मरण पत्र लिख रही है, लेकिन केन्द्रीय जल आयोग और राजस्थान से चुने हुए मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत वहां पर नरेन्द्र मोदी के गुलाम बने हुए हैं और राजस्थान के हितों की पैरवी नहीं कर रहे हैं। अगर गजेन्द्र सिंह शेखावत एक क्षत्रिय की भांति राजस्थान की जनता की बात रखते, तो जवाई पुनर्भरण योजना का अब तक काम शुरू हो जाता और गुजरात के धरोई बांध को लेकर बार-बार गुजरात सरकार इसके अन्दर अवरोध पैदा कर रही है और पिछले पांच साल से जवाई पुनर्भरण की योजना स्वीकृत नहीं हो पा रही है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के 25 बीजेपी के सांसदों को और कांग्रेस के दो राज्य सभा सांसदों से यह विनती करता हूं कि वह एक साथ इकट्ठे होकर प्रधान मंत्रीजी से मिलने जाएं। जिससे जवाई पुनर्भरण योजना का कार्य स्वीकृत हो सके और पश्चिमी राजस्थान को न केवल पीने के लिये बल्कि खेती के लिये भी पूरा पानी मिल सके।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, 2019 में महात्मा गांधी नरेगा में 3286.55 लाख मानव दिवस सृजित किये गये। उससे बढ़कर के 2020-21 में 4605 लाख मानव दिवस सृजित किये गये। 2021-22 में अब तक, 08 फरवरी तक, 3592 लाख मानव दिवस सृजित किये गये।

माननीय सभापति महोदय, जो बीजेपी की सरकार में बहुत कम खर्चा हुआ था नरेगा में, उस खर्चे में भी राजस्थान में बढ़ोतरी हुई है। 2019-20 में 6,70,170 लाख रुपये खर्च हुए। उसकी तुलना में 2020-21 के अन्दर 9,79,605 लाख रुपये खर्च हुए। इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने में, न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध कराने में राजस्थान अग्रणी भूमिका निभा रहा है। लेकिन भारत सरकार बार-बार मजदूरी का भुगतान रोककर, मेटेरियल कम्पोनेण्ट का पैसा रोककर ग्रामीण लोगों के प्रति, नरेगा योजना के प्रति लगातार सौतेला बर्ताव कर रही है। इतना ही नहीं, इस साल के बजट में 2021-22 की तुलना में महात्मा गांधी नरेगा के अन्दर 25 हजार करोड़ रुपया हिन्दुस्तान को कम आबंटित किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे बीजेपी के दोस्त आलोचना तो बहुत कर सकते हैं लेकिन मैं अब उन पुरस्कारों का उल्लेख करने वाला हूं जो भारत सरकार ने राजस्थान को दिये हैं। सर्वाधिक आवास पूर्ण कैटेगरी के अन्दर

(श्री संयम लोढ़ा)

राजस्थान को पहला स्थान पूरे भारत में मिला है। पंचायत समिति में भी, पूरे देश के अन्दर राजस्थान की घाटोल पंचायत समिति को पहला स्थान मिला है। योजना के बेहतरीन क्रियान्वयन के लिये डूंगरपुर जिले की रेटा पंचायत की ग्राम सरपंच श्रीमती सविता देवी को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ग्राम विकास अधिकारी, अजीतपुरा, पंचायत समिति भादरा, जिला हनुमानगढ़ को पूरे देश में बेहतरीन क्रियान्वयन के लिये पुरस्कृत किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, बीजेपी की सरकार ने एक बहुत जन विरोधी निर्णय किया था जो किसी पारिवारिक कारण से, गरीबी होने के कारण, परिवार के हालात ठीक नहीं होने के कारण पढ़ नहीं पाया था वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा। मैं मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद दूंगा, जिन्होने यह निर्णय किया और पंचायती राज अधिनियम 2019 की धारा 19 में संशोधन करके, उन सब लोगों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से मुक्त किया और चुनाव लड़ने का एक मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, वैसे तो बीजेपी की सरकार राजस्थान की माली हालत खराब करके गयी थी लेकिन अशोक गहलोत ने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसमें काम नहीं हुआ हो। राजस्थान के अन्दर पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन किया। 57 नयी पंचायत समितियां बनायीं। 1456 नयी ग्राम पंचायतें बनायीं। इस तरीके से राजस्थान में इस समय 352 पंचायत समितियां और 11307 ग्राम पंचायतें हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, बजट घोषणा 2021-22 की पालना में राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के अतिरिक्त प्रमोशनल पदों का भी नये सिरे से निर्धारण किया। नयी पदोन्नति के अवसर हमारे कार्मिकों को उपलब्ध कराये। 385 अतिरिक्त विकास अधिकारी और 32 सहायक विकास अधिकारी के पद सृजित किये। हमारे ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी, गांवों में सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं, उनकी पूरी जिन्दगी ग्राम विकास अधिकारी के रूप में निकल जाती है। उनमें एक हताशा का भाव था, निराशा का भाव था लेकिन इस सरकार ने उनकी प्रतिभा को समझा और इसमें नये पद सृजित करके हमारे उन भाइयों को पदोन्नति के अवसर दिये।

माननीय सभापति महोदय, जो विशेष भत्ता ग्राम विकास अधिकारियों

(श्री संयम लोढ़ा)

को 1500 रुपये मिलता था, उसको बढ़ाकर 2250 रुपये किया। अतिरिक्त कार्य भत्ता 2500 रुपये मिलता था, उसको बढ़ाकर 3750 रुपये किया।

गरीब कल्याण रोजगार अभियान, 2020 में भी राजस्थान को पूरे भारत में तीसरा पुरस्कार मिला है। इसके साथ ही 2021 की परियोजना निर्माण में भी नवाचार के लिये सिल्वर स्काच अवार्ड राजस्थान के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्राप्त हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, नेशनल वाटर अवार्ड में भी उदयपुर जिले को जल संरक्षण के अन्दर दूसरा पुरस्कार मिला। जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि आशान्वित जिलों में बारां जिले को पूरे हिन्दुस्तान में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अशोक गहलोत जी की जब पहली बार सरकार थी तब 5 लाख पट्टे बांटे थे। इस बार उन्होंने जब यह अभियान शुरू किया, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हमें 10 लाख पट्टे बांटने हैं। हमें प्रसन्नता है कि हमारे अधिकारियों की मेहनत से, हमारे जन-प्रतिनिधियों की सक्रियता से, हमारे जन -प्रतिनिधियों की सजगता से 137751 पट्टे अभी तक वितरित किये जा चुके हैं। जो कुल पट्टे जारी किये हैं वह 10 लाख हैं। अलग-अलग नियमों के अन्दर अलग-अलग हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, 17342 पेयजल योजनाएं इन अभियानों में स्वीकृत हुईं। 4 लाख 31 हजार जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी हुए। 87 हजार शौचालयों की स्वीकृतियां जारी हुईं।

माननीय सभापति महोदय, दीनदयाल उपाध्याय का आज जन्म दिन है। इनको शर्म आनी चाहिए कि एक महापुरुष के जन्म दिन पर यह आज क्या हरकतें कर रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार राजस्थान की कोटा जिला परिषद् को प्राप्त हुआ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। कृपया संसदीय परम्पराओं का निर्वहन करें। इधर आइये आप। आसन की तरफ आइये आप लोग। बार-बार कहने के बावजूद भी आप मान नहीं रहे हैं। इधर आइये आप लोग। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार 2021 का जिला परिषद् कोटा को

(श्री संयम लोढ़ा)

प्राप्त हुआ। पंचायत समिति कोटड़ा को प्राप्त हुआ। पंचायत समिति चिड़ावा को प्राप्त हुआ। ग्राम पंचायत त्यौदा, जिला झुंझुनूं, ग्राम पंचायत चानणा, जिला गंगानगर, ग्राम पंचायत थूर, जिला उदयपुर, ग्राम पंचायत निदेरा कलां, जिला धौलपुर, ग्राम पंचायत बर, जिला पाली, इन सभी को राष्ट्रीय स्तर के दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार प्राप्त हुए।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार ग्राम पंचायत भोजासर, जिला झुंझुनूं को प्राप्त हुआ। बाल हितैषी ग्राम पंचायत अवार्ड ग्राम पंचायत मिण्डा, हमारे डिप्टी चीफ व्हिप महेन्द्र चौधरी साहब बैठे हुए हैं इनके क्षेत्र की ग्राम पंचायत है, उसको प्राप्त हुआ।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: उप नेता महोदय, आप निर्वहन नहीं कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बाल हितैषी ग्राम पंचायत का पुरस्कार प्राप्त हुआ। ग्राम पंचायत विकास योजना में ग्राम पंचायत अड़वड़, पंचायत समिति मुण्डवा, जिला नागौर को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके सामने निवेदन करूंगा कि पूरे हिन्दुस्तान में दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान किस तरीके से बेहतर काम कर रहा है।

(समय : 15.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, जो बजट अलोटमेंट है, किस हैड में किस सरकार ने कितना किया है, वह मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा। माननीय सभापति महोदय, 2021-22 में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्चा किया दिल्ली की सरकार ने लेकिन दिल्ली की सरकार के 25 परसेंट खर्चे के मुकाबले राजस्थान की सरकार ने भी 19 प्रतिशत पैसा शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया। इन बीजेपी के लोगों को यह सुनना चाहिए कि आपकी पार्टी की सरकारें जहां पर हैं वहां पर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कितना खर्चा किया।

माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 13 परसेंट, मध्य प्रदेश सिर्फ 17 परसेंट, कर्नाटक सिर्फ 13 परसेंट, गुजरात सिर्फ 14 परसेंट और इनकी तुलना में राजस्थान ने 19 परसेंट शिक्षा पर बजट का पैसा खर्च किया है। माननीय सभापति महोदय, सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशंस, पूरे भारत सरकार के अन्दर पश्चिम बंगाल सर्वोच्च है जिसने अपने बजट का 15.4

(श्री संयम लोढ़ा)

फीसदी पैसा इस पर खर्च किया है। माननीय सभापति महोदय, बीजेपी रूल स्टेट में उत्तर प्रदेश ने मात्र 4.8 परसेंट जबकि इसकी तुलना में राजस्थान ने 6.7 परसेंट खर्च किया है। कर्नाटक ने सिर्फ 6 परसेंट, हिमाचल प्रदेश 4.8 परसेंट, गुजरात 3.6 परसेंट, इस तरीके से चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे समाज कल्याण का मामला हो, चाहे न्यूट्रिशंस का मामला हो, अशोक गहलोत की सरकार इन बीजेपी रूल्ड स्टेट से कहीं अधिक बेहतर है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके सामने कृषि का निवेदन करूंगा। पूरे मुल्क में छत्तीसगढ़ वह प्रान्त है जिसने अपने बजट का सबसे अधिक पैसा कृषि पर खर्च किया है। माननीय सभापति महोदय, 17.2 परसेंट छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि पर खर्च किया है और बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में मात्र आपने 2.7 परसेंट पैसा कृषि पर खर्च किया है। हरियाणा में सिर्फ 3.5 परसेंट किया है। गुजरात में 4.4 परसेंट किया है। इनसे बेहतर राजस्थान 5.1 परसेंट पर है एग्रीकल्चर में, तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी की सिर्फ बातें हैं और इनका बजट अलोकेशन स्टेट बजट का आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दूसरे राज्यों की तुलना में आम जनता के हित में कितना काम कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके सामने हैल्थ पर अपनी बात रखूंगा। हैल्थ पर सबसे ज्यादा खर्चा किया है दिल्ली की सरकार ने। जो बजट पारित किया उसका 15.9 परसेंट पैसा दिल्ली की सरकार ने बजट पर खर्च किया है और राजस्थान ने 7 परसेंट पैसा बजट का हैल्थ पर खर्च किया है लेकिन यूपी की सरकार इसमें भी फिसड्डी है 6.3 परसेंट। मध्य प्रदेश उससे भी फिसड्डी है, 5.4 परसेंट और कर्नाटक उससे भी फिसड्डी है 5.3 परसेंट और हिमाचल 6.7 परसेंट और गुजरात जहां से प्रधान मंत्री आते हैं वहां पर हैल्थ सेक्टर पर अपने बजट अलोकेशन का सिर्फ 5.7 परसेंट पैसा खर्च किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार हैल्थ सेक्टर में भी इन बीजेपी रूल्ड स्टेट से कहीं ज्यादा काम कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, अब रूरल डवलपमेंट, सबसे बेहतरीन काम देश में ग्रामीण विकास पर मणिपुर की सरकार ने किया है जिसने अपने बजट अलोकेशन का 20 परसेंट पैसा ग्रामीण विकास पर खर्च किया है। राजस्थान 6.9 परसेंट पर है लेकिन बीजेपी रूल्ड स्टेट उत्तर प्रदेश 5.4 परसेंट, उत्तराखण्ड 6.5 परसेंट, मध्य प्रदेश 5.8 परसेंट, हरियाणा 4.8 परसेंट,

(श्री संयम लोढ़ा)

हिमाचल प्रदेश 3.1 परसेंट, गुजरात 3.3 परसेंट, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, ये ऋण भी माफ करते हैं और लाखों करोड़ रुपयों का ऋण इन पूंजीपतियों का माफ करते हैं। 2014 में नरेन्द्र मोदी ने भाषण दिया, भाइयों और बहनो, किसान भाइयों, आपका जो यह कर्जा है, अब यह नरेन्द्र मोदी का कर्जा है लेकिन इन सात साल के अन्दर कभी उनको यह सुध नहीं मिली कि ये किसानों का कर्जा, नेशनलाइज्ड बैंकों का कर्जा माफ कर दें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा रोड एंड ब्रिज के बारे में, इसमें पूरे देश के अन्दर सबसे बेहतरीन काम अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने किया है। जिसने अपने बजट एलोकेशन का 12.7 परसेंट पैसा रोड और ब्रिज पर खर्च किया है। माननीय सभापति महोदय, इसमें भी राजस्थान की तुलना में बीजेपी रूल्ड स्टेट मध्य प्रदेश, बीजेपी रूल्ड स्टेट हरियाणा पीछे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऊर्जा के क्षेत्र में किसान, किसान चिल्लाते हैं, किसानों को मुफ्त बिजली देने की बात करते हैं, अपने आपको किसानों का हितैषी बताने की चेष्टा करते हैं लेकिन बीजेपी शासित राज्य बिजली के क्षेत्र में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं वह मैं आपके माध्यम से सदन में निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, पूरे देश में ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्चा कोई स्टेट कर रहा है तो गोवा की सरकार कर रही है, वहां की सरकार अपने बजट अलोकेशन का 13.5 परसेंट पैसा बिजली पर खर्च कर रही है। राजस्थान की सरकार 8.4 परसेंट पैसा बिजली पर खर्च कर रही है लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य उत्तर प्रदेश मात्र 5.4 परसेंट खर्चा कर रहा है। इसी तरीके से हरियाणा मात्र 5.7 परसेंट कर रहा है, हिमाचल प्रदेश मात्र 1.3 परसेंट कर रहा है, गुजरात मात्र 6.5 परसेंट कर रहा है। कोई ऐसा आपके क्षेत्र नहीं मिलेगा जिसमें राजस्थान सरकार की तुलना में ये बीजेपी के लोग बढ़िया काम कर रहे हों। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि आज हम सब लोग चाहे सरकार आपकी रही हो, हमारी रही हो, पुलिस राजस्थान की सरकार की प्राथमिकता में कभी नहीं रही। हम पुलिस के कांस्टेबल को मात्र 2000 रुपये मैस भत्ता देते हैं और जिस अपराधी को वह कोर्ट में लेकर जाते हैं उसका भी मैस भत्ता 2100 रुपये है। माननीय सभापति महोदय, आप अंदाजा लगाइये कि एक पुलिस कांस्टेबल 2000 रुपये महीने के अन्दर कैसे रोटी खा सकता है।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा कि पुलिस के हैड के ऊपर कोई सबसे ज्यादा खर्चा कर रहा है तो नागालैण्ड की सरकार कर रही है, 10.3 परसेंट, अपने बजट अलोकेशन का नागालैण्ड की सरकार पुलिस पर खर्च करती है। इसमें हम सभी लोग पिछड़े हुए हैं। राजस्थान सरकार मात्र 3.2 परसेंट खर्च कर रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार जब बजट पेश किया जाये तो उसमें पुलिस पर खर्चा बढ़ाया जाये जिससे अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को आसानी रहे। आज क्या होता है, अपराधियों के पास 160 की स्पीड में भागने वाली गाड़ी है, हमारे पुलिस के थानेदार के पास एक बोलेरो है वह 100 के आगे दम तोड़ने लगती है इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि लगातार हर सरकार में पुलिस विभाग की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया है, उनकी उपेक्षा की गयी है। हमें इसको देखना चाहिए कि पुलिस लाइन में हमारे जवानों के रहने के लिए पूरे मकान उपलब्ध हों, थानों के अन्दर उनके रहने के लिए मकान उपलब्ध हों, उनको संसाधन उपलब्ध हों जिससे वे अपराधियों को पकड़ सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण में पूरे देश में सबसे ज्यादा खर्चा कर्नाटक करता है, 8.5 परसेंट। लेकिन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स - उत्तराखण्ड 2.60 परसेंट, यूपी 4.0 परसेंट, हिमाचल प्रदेश 1.9 परसेंट। इस तरीके से सिंचाई के क्षेत्र में भी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स ज़ीरो परफामर्स हैं।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, Welfare of SC/ST, OBC and minorities, इसमें आंध्र प्रदेश की सरकार देश में पहले नम्बर पर है, जो अपने बजट एलोकेशन का 13.10 परसेंट पैसा एससी-एसटी, ओबीसी और माइनोरिटी के वेलफेयर पर खर्च करती है। राजस्थान सरकार को इसमें बहुत सुधार करने की जरूरत है। ये जितने मंत्रीगण बैठे हुए हैं, मैं इनसे निवेदन कर रहा हूं, जो अभिभाषण आपने अभी कैबिनेट में अप्रूव किया है, एससी-एसटी, ओबीसी और माइनोरिटी पर राजस्थान सरकार कम पैसा खर्च कर रही है, उसे आने वाले बजट में बढ़ाने का दायित्व आप सब लोगों को उठाना है। आंध्र प्रदेश की तुलना में बीजेपी रूल्ड स्टेट्स - उत्तर प्रदेश 1 परसेंट, उत्तराखण्ड 1 परसेंट, मध्य प्रदेश 3

(श्री संयम लोढ़ा)

परसेंट, गुजरात 2.40 परसेंट, बीजेपी दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, ओबीसी विरोधी है, यह इनके बजट एलोकेशन से पता चल जाता है कि इन समुदायों के लोगों पर ये कितना पैसा खर्च कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, water supply and sanitation, पूरे देश में जो बजट पेश हुए हैं, गोवा की सरकार सबसे ज्यादा 9 परसेंट water supply and sanitation पर खर्च कर रही है। राजस्थान की सरकार 4.30 परसेंट अपना बजट एलोकेशन इस पर खर्च कर रही है। बीजेपी रूल्ड स्टेट्स - यूपी 3.40 परसेंट, उत्तराखण्ड 3.60 परसेंट, मध्य प्रदेश 3.90, कर्नाटक 2.10 परसेंट, गुजरात 2.40 परसेंट, अब आप अन्दाज़ा लगाइये कि ये किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। यह धनवानों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है और इनकी सारी नीतियां इन पूंजीपतियों के दरवाजे पर जाकर खतम हो जाती हैं।

माननीय सभापति महोदय, आवासन में भी सबसे बेहतरीन प्रदर्शन जिसने किया, वह तेलंगाना का है 5.60 परसेंट। इसके विपरीत यूपी 1.70 परसेंट, एमपी 1.50 परसेंट, कर्नाटक 1.30 परसेंट, हरियाणा 0.40 परसेंट, गुजरात 1.70 परसेंट, हिमाचल प्रदेश 0.40 परसेंट। इससे आप अन्दाज़ा लगाइये कि लोगों को आवास की सुविधा मिले, इसके प्रति भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है। एक तरफ देखिये, राजस्थान में कहां तो ये हाउसिंग बोर्ड बेचने वाले थे, बन्द करने वाले थे, अशोक गहलोत ने राजस्थान के हाउसिंग बोर्ड को पुनर्जीवित करके खड़ा कर दिया और लाखों-करोड़ों रुपये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में जमा हैं। आप यह इधर जो विधायक आवास की बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका निर्माण हाउसिंग बोर्ड कर रहा है। इधर आप यह जो कान्स्टीट्यूशनल क्लब देख रहे हैं, इसका निर्माण हाउसिंग बोर्ड कर रहा है। एक समय था जब लोग हाउसिंग बोर्ड से मकान नहीं लेते थे। पहले तो उस मकान को पूरा रेनोवेट करते थे, कहीं से तो पानी गिर रहा है, चूना गिर रहा है, सीमेन्ट गिर रहा है, कीड़े-मकौड़े निकल रहे हैं, लेकिन आज अशोक गहलोत के नेतृत्व की बदौलत अपनी नाक ऊंची करके राजस्थान का हाउसिंग बोर्ड खड़ा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अब आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, ये लोग वादा करके आये थे लोगों से कि कांग्रेस तो महंगाई की डायन है, हमें राज दो, हम महंगाई दूर कर देंगे। क्या हुआ? वह 400 रुपये का सिलेंडर आज

(श्री संयम लोढ़ा)

1000 रुपये में मिल रहा है और जो उज्ज्वला में सिलेंडर दिये गये, वे लोगों के घरों में पड़े-पड़े सड़ रहे हैं। जो पेट्रोल 60 रुपये लीटर में बिक रहा था, वह अब 100 रुपये पार कर गया है। जो डीज़ल 54 रुपये लीटर में मिल रहा था, वह आज 100 रुपये के आस-पास पहुंच गया है। माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने फूड सब्सिडी पर 2021-22 के बजट की तुलना में 2022-23 में 86 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी घटायी है। इतना ही नहीं, खाद की सब्सिडी पर भी 35 हजार करोड़ रुपये पिछले साल के बजट की तुलना में इन्होंने घटाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि थोक मूल्य सूचकांक जो देश में सामने आया है, पिछले 12 साल में थोक महंगाई दर अपने हाइएस्ट लेवल पर है जो कि नवम्बर 2021 में 14.30 फीसदी हो गयी। इतना ही नहीं, आप कितनी ही बातें करें, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीज़, लेकिन धरातल पर क्या आया है? माननीय सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के आदमी की सालाना आय 8,951 रुपये घट गयी है। यह शर्म की बात होनी चाहिये, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात होनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय घटकर 99,694 रुपये रह गयी है, जो 2019-20 में 1,08,645 रुपये थी और 2018-19 में 1,05,526 रुपये थी। पूरे देश के लोगों की कमाई घटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पिछले तीन सालों में 12 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दीं। हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरियां देने का वादा किया गया था, क्या आपने 14 करोड़ लोगों को लगा दिया नौकरी पर? आज भी भारत सरकार में 8 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारे पैसे से बने हुए ये एयरपोर्ट्स बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशंस बेच रहे हैं, रेलगाड़ियां बेच रहे हैं, क्या तुम्हारे बाप का पैसा है यह? हमारी मेहनत का पैसा है और आप उनको बन्द करने का काम कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, शहरी बेरोज़गारी दर मई में सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकोनोमी के अनुसार जो 7.97 फीसदी अप्रैल महीने में थी, वह बढकर 11.84 फीसदी पर पहुंच गयी और सीएनआईआई की रिपोर्ट के अनुसार नवम्बर में बेरोज़गारी की दर 7 फीसदी

(श्री संयम लोढ़ा)

दर्ज की गयी। अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, आज गांव में किसी आदमी के परिवार में अगर बच्चा पैदा होता है, घर में कोई नयी बहू आती है, आप खाद्य सुरक्षा योजना में उसका नाम जोड़ सकते हैं। किसी के परिवार में बच्चा पैदा हुआ हो, घर में नयी बहू आयी हो, उसका क्या नाम जोड़ सकते हैं, इन्होंने पोर्टल बन्द कर रखा है। मैं आपके माध्यम से अब निवेदन करूंगा, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट आपको पढ़कर सुनाता हूं- "Here's IMF growth data for 2020. All nations slowed, thanks to COVID. None can be blamed for that. The question is: By how much? This is where India disappoints. It dropped to rank 150. This needn't have happened given the talent in the country, if we kept politics out of policy."

माननीय सभापति महोदय, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो सूची जारी की है, आप ताज्जुब करेंगे त्रिनिदाद, टोबैगो, पुर्तगाल, बोलीविया, कांगो, इक्वाडोर, नामीबिया, मोरक्को, साउथ अफ्रीका, कोलम्बिया जैसे देश हमसे बेहतर हैं। नरेन्द्र मोदी ने इन सात सालों के अन्दर देश को बरबाद करने के अलावा कोई काम नहीं किया। पण्डित जवाहर लाल नेहरू की मेहनत से इस देश का निर्माण हुआ। AIIMS बने, IIT बने, भाखड़ा नांगल बांध बना, बड़ी-बड़ी सिंचाई परियोजनाएं बनीं। हमारे बच्चे इनमें पढ़े और अमेरिका जाकर बड़ी-बड़ी कम्पनियों के CEO बने। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? आप आंकड़ा उठाकर देखिये कि हिन्दुस्तान की सारी IIT के अन्दर सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं, उनको भरने का नाम नहीं है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

जब नोटबन्दी लाये, किसने सलाह दी इनको नोटबन्दी की? खुद रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने अपने बोर्ड की मीटिंग के जरिये जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और यह सुझाव आया था तो बाकायदा प्रस्ताव पारित करके प्रधान मंत्री को भेजा था कि नोटबन्दी किया जाना देश हित में नहीं है। फिर अचानक रात को आठ बजे प्रकट हुए और देश में नोटबन्दी कर दी। दावा यह किया था कि इससे काला धन आयेगा, आतंकवाद रुकेगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, लेकिन माननीय सभापति महोदय, क्या हुआ? इन्होंने नया

(श्री संयम लोढ़ा)

रास्ता चुन लिया। ये इलेक्टोरल बांड ले आये ओर इलेक्टोरल बांड के जरिये हिन्दुस्तान का अरबों रुपया इन पूंजीपूतियों से इकट्ठा किया। एक दीनदयाल उपाध्याय, जिनका आज जन्म दिवस है, क्या व्यक्ति थे, धर्मशालाओं में जाकर रुकते थे, बसों में घूमते थे और ये दीनदयाल उपाध्याय के चेले, इन्होंने 1500 करोड़ रुपये का दिल्ली के अन्दर कार्यालय बनाने का काम किया है। नाम उसका लेते हैं जिसके नाम पर वोट लेना चाहते हैं और कर्म क्या करते हैं। हर जिले के अन्दर इनके कार्यालय बन रहे हैं। पैसे कहां से आये माननीय सभापति महोदय? वह इलेक्टोरल बांड का फंडिंग सामने लाइये तो पता चलेगा कि पूरे देश के अन्दर पूंजीपतियों को धमका-धमका कर, ब्लैकमेल करके ये लाखों-करोड़ रुपया आपने इकट्ठा करने का कमा किया है। आज ये इस सदन का, राजस्थान की जनता का लाखों-करोड़ रुपया इस सदन की बैठकों के आयोजन में खर्च हो रहा है, राजस्थान की जनता का यह पैसा बरबाद कर रहे हो इसका जवाब दीजिये।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

भारत सरकार ने NEET का आयोजन किया, भारत सरकार ने NET का आयोजन किया। जवाब दो कि उसके पर्चे लीक क्यों हुए? यू.पी. की सरकार ने ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम किया, पर्चा लीक हुआ, VDO का एग्जाम किया, पर्चा लीक हुआ। हरियाणा की सरकार ने कांस्टेबल का एग्जाम आयोजित किया, पर्चा लीक हुआ। मध्य प्रदेश की सरकार ने एस.डी.ओ. का पर्चा आयोजित किया, पर्चा लीक हुआ। क्या आपने एक मामले की जांच सी.बी.आई. को दी है? क्या आपकी पार्टी की सरकारों के कार्यकाल में जहां-जहां ये पर्चे लीक हुए हैं, क्या आपने सी.बी.आई. को जांच देने का काम किया है? आपके कार्यकाल में राजस्थान में आठ बार पर्चे लीक हुए, जरा राजस्थान की जनता को बताओ कि आपने कब ये मामले सी.बी.आई. को देने का काम किया है। आज जब एसओजी ने बढ़िया काम कर दिया, एसओजी ने बड़े-बड़े इन कुख्यात लोगों को अपने शिकंजे में ले लिया, करोड़ रुपये बरामद कर लिये, राजस्थान की जनता का पुलिस में विश्वास पैदा हुआ तो पुलिस के प्रति उनका मनोबल तोड़ने के लिए, एक अपना राजनीतिक हथकण्डा अपनाने के लिए राजस्थान की जनता के करोड़ों रुपये बरबाद करने के लिए आप इस सदन में आकर बैठे हैं।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, सच्चाई तो यह है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। राजस्थान पत्रिका जैसे अख़बार ने अपने सर्वे में लिख दिया था कि ये निकम्मे हैं, ये नाकारा हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, उस सर्वे के अन्दर राजस्थान के 70 फीसदी लोगों ने कहा कि ये निकम्में लोग हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अशोक गहलोत साहब एक विजनरी लीडर हैं जिन्होंने जमीन से शुरुआत की है और वो व्यक्ति है जो एक एनएसयूआई के कार्यकर्ता के रूप में रेलगाड़ी के थर्ड क्लास डिब्बे में टायलेट के पास बैठकर जिन्होंने अपने संगठन का काम शुरू किया। वहां से चलकर आज राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से तीन बार राजस्थान के मुख्य मंत्री बने, तीन बार केन्द्रीय मंत्री बने, तीन बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तीन बार कांग्रेस के महासचिव बने। उनके तो पैर धोकर पीयो तो ही कम है और आप उनका नाम इन बेमतलब की बातों में घसीटने की कोशिश कर रहे हो।

माननीय सभापति महोदय, ये रीट-वन का पर्चा भी रद्द कराना चाहते हैं। कल मैं एक टी.वी. डिबेट में था तो इनकी पार्टी की प्रवक्ता वहां कह रही थीं कि रीट-वन के पर्चे में भी गड़बड़ी है तो क्या आपने राजस्थान के सारे नौजवानों का भविष्य बरबाद करने का तय कर दिया है? सी.बी.आई. की जांच करवाकर क्या करवाना चाहते हैं ताकि सारा रिकार्ड सी.बी.आई. ले जाये, 6 महीने तक कुछ नहीं हो, सारे एग्जाम रुक जायें और हमारे बच्चे जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं उनका भविष्य चकनाचूर हो जाये। आप लोगों को राजस्थान की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आप उन सारे बच्चों के जीवन पर कुठाराघात कर रहे हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सोनिया गांधी जी ने इस देश की जनता को सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फार्मेशन दिया। उसके बाद आरटीई, राइट टू एजुकेशन दिया। माननीय सभापति महोदय, उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आयीं और उनको अधिकार दिया राइट टू फूड का। आज उस राइट टू फूड का क्या हश्र है? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर भारत सरकार के द्वारा वह पोर्टल बन्द करने के कारण कितने लोग उस राइट टू फूड के अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, हनुमानगढ़ में 32610 गरीबों के राशन पर संकट है। जयपुर 1,62,033, जैसलमेर 36,524, जालौर 69,175, झालावाड़ 66,812, झुन्झुनूं 69,715, जोधपुर 1,01,708, करौली 51,685, कोटा 25,569, नागौर 1,00,475, पाली 49,288, प्रतापगढ़ 47,982, राजसमन्द 74,575, सवाई माधोपुर 45,148, सीकर 83,750, सिरोही 56,900, गंगानगर 13,651, टोंक 55,324, उदयपुर 1,49,485, अजमेर 1,01,187, अलवर 1,64,684, बांसवाड़ा 99,924, बारां 53,062, बाड़मेर 1,24,289, भरतपुर 1,13,452, भीलवाड़ा 73,217, बीकानेर 79,205, बूंदी 38,296, चित्तौड़गढ़ 46,813, चूरू 29,135, दौसा 69,797, धौलपुर 28,548, डूंगरपुर 71,705 हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के 23 लाख 75 हजार गरीब लोगों को नरेन्द्र मोदी की जन-विरोधी नीति के कारण, जन-विरोधी निर्णय के कारण दो रुपये किलो के गेहूं से वंचित होना पड़ रहा है। दो साल बाद भी उन सारे परिवारों का नाम हम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने में विफल साबित हो रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने जो बेहतरीन काम किया है, चाहे नगरपालिका के चुनाव हों, चाहे पंचायतों के....

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: मैं तो यही न्याय कर सकता हूं कि आप लोगों के लिए च्यवनप्राश की व्यवस्था कराऊंगा। आपके फेफड़े मजबूत रहें इसलिए च्यवनप्राश की व्यवस्था मैं आप लोगों के लिए कराऊंगा, मैं यही न्याय कर सकता हूं। माननीय संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रतिपक्ष के सदस्यों से भी और राजस्थान से जो भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसद चुनकर गये हैं, उनसे भी विनती करूंगा कि अपने प्रधान मंत्री को जाकर समझाओ, गरीब आदमी इस देश का नागरिक है और कानून के जरिए उसे दो रुपये किलो का अधिकार मिला हुआ है। आप इस तरीके से पोर्टल बन्द करके उन गरीब, नवजात बच्चों, घरों में आने वाली बहुओं का नाम जोड़ने से और खाद्यान्न से वंचित नहीं कर सकते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि

(श्री संयम लोढ़ा)

इन सात सालों के अन्दर सिवाय कांग्रेस को गाली देने के अलावा देश के प्रधान मंत्री ने कोई काम नहीं किया। अभी आपने एक अन्तरराष्ट्रीय संवाद में देखा होगा कि किस तरीके से अपना प्रवचन कर रहे थे और आप सभी जानते हैं कि टेली प्रोम्पटर के आधार पर, सामने स्क्रीन पर उनको भाषण दिखता रहता है और वे ऐसे बोलते रहते हैं। एक अन्तरराष्ट्रीय संवाद के अन्दर वह टेली प्रोम्पटर बन्द हो गया, उनके छक्के छूट गये, पसीना निकल गया और माननीय सभापति महोदय, याआ, ऐसे कर लिया तो टेली प्रोम्पटर के जरिये देश के लोगों को गुमराह करना बन्द करो। सात साल में जिस प्रधान मंत्री ने एक बार प्रेस कांफ्रेंस नहीं की, एक बार पत्रकारों को बिठाकर के ये नहीं कहा कि आओ मेरे पत्रकार भाइयों क्या पूछना चाहते हो, पूछो। चुनिंदा पत्रकार को बुलाएंगे, एक को बुलाएंगे और उसकी स्क्रीप्ट सामने टीवी पर लिखी हुई होगी, जो सवाल वे देंगे, वे सवाल पूछे जायेंगे। आज यह चिन्ता का विषय है कि कितने लोग, कितने पत्रकार, इनकी हठधर्मिता का शिकार हुए हैं। इन सात सालों के अन्दर सिर्फ लिखने के कारण कितने लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश का एक किस्सा। जब एक स्कूल के बारे में पत्रकार ने लिख दिया कि वहां उनको नमक और रोटी खिलाई जा रही है। उस पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। उस पत्रकार को जाकर दिल्ली में छिपना पड़ा और बाद में कोर्ट से उस पर रोक लगी तो इस तरीके से इस देश के अन्दर इस तरह का वातावरण पैदा किया जा रहा है। लोग अपनी सामान्य जिन्दगी नहीं जी पा रहे हैं। एक भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है और लोगों का भरोसा नरेन्द्र मोदी की सरकार खो चुकी है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

आपको याद होगा वेस्ट बंगाल के अन्दर किस तरीके के सर्वे छपवाये गये और किस तरह की शब्दावली का उपयोग किया गया, दीदी ओ दीदी, ये देश के प्रधान मंत्री का आचरण है, माननीय सभापति महोदय। इस शब्द का, ये दीदी, ओ दीदी कहने का बंगाल की जनता ने किस तरीके से बदला लिया, वह आपने और हमने सबने देखा है।

आज इस सदन में अशोक गहलोत साहब की सरकार के लिए

(श्री संयम लोढ़ा)

महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो यह अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है। मैं इसका पुरज़ोर समर्थन करते हुए आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से आह्वान करता हूं कि इस नापाक, जन-विरोधी, अपवित्र भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से तिरस्कार करें और जिस तरीके से अभी के उप-चुनाव में धरियावद में और वल्लभनगर में इनकी जमानत जब्त करवाई है, आने वाले चुनाव में भी इसी तरीके से राजस्थान के अन्दर उनको नेस्तनाबूद करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जब 2014 में देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी बने 26 मई को, वह समय भी देश की जनता को याद है। देश की जनता के सामने क्या-क्या वायदे किये गये थे। ये वे ही प्रधान मंत्री हैं, जिस प्रधान मंत्री ने देश की जनता के सामने एक बरेली की जनसभा में यह निवेदन किया था कि आप भारतीय जनता पार्टी को हिन्दुस्तान में राज बनाने का मौका दें और हम देश को सुशासन देंगे। देश में 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, 15-15 लाख रुपये आपके खाते में डालेंगे और दो करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और विदेशों में जो काला धन है, वह वापस लेकर आयेंगे और किसानों की आमदनी 2022 तक हम दोगुनी करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, ये वे ही प्रधान मंत्री हैं, आज सात साल हो गये हैं, सात साल में किसाने की जो हालत इस देश में हुई है, वह भी आपके सामने है। ये वे ही प्रधान मंत्री हैं, जब देश में कोरोना का लॉकडाउन था, Parliament was not in function. और इस देश के किसानों के साथ धोखा करने के लिए, इस देश के प्रधान मंत्री ने तीन कृषि कानून पास किये। तीनों कृषि कानून इस देश को बरबाद करने की दिशा में बहुत बड़ी कील साबित हुए। ये ही वे प्रधान मंत्री हैं, जिसने कहा था 2014 में दो करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे और अभी हाल ही में जो बजट आया, केन्द्रीय बजट में देश के वित्त मंत्री ने कहा कि 25 साल में 60 लाख नौकरी देंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन दो करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? और जो 15-15 लाख रुपये खाते में डालने थे, हमारे तो डले नहीं हैं, बीजेपी के लोगों के खाते में डल गये होंगे और 100

(श्री जगदीश चन्द्र)

दिन में महंगाई कम करने की बात करने वाले प्रधान मंत्री जी आज देश के हालात महंगाई में क्या हो सकते हैं, आम आदमी को रोटी दुभर हो गयी है। इन्हीं प्रधान मंत्री ने कहा था किसान की आमदनी 2022 तक दोगुनी करूंगा। आज किसान की हैसियत इस सरकार ने मात्र 6 हजार रुपये साल मानी है और जिन लोगों के हाथ हिन्दुस्तान के 700 किसानों के खून से रंगे हुए हैं, वे लोग न तो किसान की बात कर सकते हैं और न ही आम जन की बात कर सकते हैं। ये ही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जिस देश के होम मिनिस्टर की कार के नीचे चार किसानों की डैथ हो गयी, जिनको कुचलकर मार दिया गया था, यूपी के लखीमपुर-खीरी में, आज तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार को तीन साल के आसपास हो गये हैं। तीन साल पहले जब हम चुनाव में गये थे, राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के लोगों से वादा किया था कि एक मौका आप कांग्रेस पार्टी को दें, अशोक गहलोत को दें। तीन साल के अन्दर 13 महीने कोरोना में चले गये और कोरोना के दौरान आर्थिक और सामाजिक तौर पर राजस्थान की जनता का नुकसान हुआ, लेकिन अब मैं बधाई देना चाह रहा हूं राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को कि कोरोना के दौरान हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे अच्छा प्रबन्धन कोरोना का राजस्थान के अन्दर किया गया। राजस्थान में स्वास्थ्य का जो ढांचा था, वह बिलकुल चरमराया हुआ था, पिछले पांच वर्षों में।

वह समय भी याद करें 2013 से लेकर 2018 तक का समय था, राजस्थान के हर कोने से सरकार के खिलाफ आंदोलन किये जा रहे थे, कभी किसान आंदोलन कर रहा था पानी के लिए, कभी नौजवान नौकरी के लिए आंदोलन कर रहा था, कभी वकील आंदोलन कर रहे थे, कभी डाक्टर आंदोलन कर रहे थे, कभी टैक्स की मार को झेलते हुए व्यापारी आंदोलन कर रहे थे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो लोग खुद आंदोलनकारी हैं, जिनके प्रधान मंत्री ने इनका नाम कर दिया आंदोलनजीवी। वे लोग आज ऐसे विषय पर आंदोलन कर रहे हैं, जिस पर इनके खुद के हाथ खून से रंगे हुए हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, 1925 में जो शुरू हुए थे इस देश को बांटने के लिए, 1925 से लेकर 2022 तक इस देश को बांटने में कोई कसर

(श्री जगदीश चन्द्र)

इन लोगों ने नहीं छोड़ी, कभी धर्म के आधार पर, कभी जाति के आधार पर, कभी गाय के नाम पर, लेकिन राजस्थान की जनता ने कांग्रेस सरकार पर विश्वास किया है।

माननीय सभापति महोदय, लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से सरकारें बनती हैं और हर राजनैतिक पार्टी अपना घोषणा पत्र चुनाव के दौरान जनता के सामने पेश करती हैं। जनता उस नेता पर, उस सरकार की नीति पर विश्वास करके सरकार पांच साल के लिए चुनती है। पांच साल के लिए कांग्रेस पार्टी को सेवा का मौका दिया है, राजस्थान की जनता ने, आज उसी का परिणाम है कि राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है, उसमें सारी बातें मेंशन की गई हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

पहली दफा तीन साल की सरकार ने, जिसकी वित्तीय हालत भी ठीक नहीं थी, जब बीजेपी की सरकार गई थी, 4 लाख करोड़ का घाटा वसुन्धरा राजे राजस्थान की जनता को देकर गई थी। पैसा नहीं था, केन्द्र से सारी सहायता रोक दी गई, जीएसटी का पैसा रोक दिया गया, नरेगा का पैसा रोक दिया और राज्य और केन्द्र सरकार की जो स्कीमें थीं, उसका पैसा भी रोक दिया। उसके बावजूद भी मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, उनको बधाई देना चाह रहा हूं, इतना शानदार प्रबन्धन करने और राजस्थान के विकास की जो गति है, उस गति में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी।

आज जो कोरोना का प्रबन्ध किया गया है, राजस्थान के अन्दर, 20 मार्च, 2020 को दो कोरोना के मरीज आये थे, टेस्ट की सुविधा नहीं थी, दोनों के सैम्पल पूना भेज गये थे और आज मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान के 33 जिलों के अन्दर 1 लाख 45 हजार के आसपास रोजाना हम टेस्ट कर सकते हैं।

जिस राजस्थान की सरकार के पास में अस्पतालों में डाक्टर नहीं थे, नर्सिंग स्टाफ नहीं था, उस कोरोना के दौरान हमने 5000 डाक्टर भर्ती किये हैं, 3000 नर्सिंग स्टाफ किया। सब सेंटर, पीएचसी और सीएचसी तमाम सरकार के जितने अस्पताल थे उन अस्पतालों में न आक्सीजन बैड की कमी थी, न रेमडेसिवियर इंजेक्शन की कमी थी और न ही किसी प्रकार की आक्सीजन की कमी आने दी। इस दौरान राजस्थान के तमाम बड़ी-बड़ी

(श्री जगदीश चन्द्र)

सीएचसी और पीएचसी में हमने आक्सीजन प्लांट लगाये। 40 हजार के करीब हमने आक्सीजन कसंट्रेटर खरीद करके राजस्थान की जनता को राहत प्रदान की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कोरोना के दौरान राजस्थान की सरकार ने जो प्रबन्ध किया उसके लिए इनके खुद के नेता और देश के प्रधान मंत्री भीलवाड़ा माडल की तारीफ कर चुके हैं। देश की जनता इस बात को जानती है। पिछले 3 वर्षों में यह विपक्ष की भूमिका निभाने में बिलकुल फैल हो गये हैं। हर मुद्दे पर फैल रहे हैं। जनता की बात को राजस्थान विधान सभा के पटल पर भी नहीं उठा पाये और सदन के पटल के बाहर भी नहीं उठा पाये। आज राजस्थान की जनता को मुंह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है इनके पास में सिवाय एकमात्र तरीका रीट के पेपर को लेकर सदन की कार्यवाही को ठप करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान की जनता का मेहनत का पैसा ये लोग बरबाद करने में लगे हुए हैं। राजस्थान की सारी जनता इस बात को देख रही है। समय का इंतजार कर रही है 2023 में इस बात का राजस्थान की जनता आपको जवाब देगी कि आप क्या काम कर रहे हो।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि पिछले 3 साल के अन्दर राजस्थान के अन्दर 5909 आक्सीजन बैड थे। हमारे पास 1211 आईसीयू बैड की उस वक्त क्षमता थी जिसको बढ़ाकर मुख्य मंत्री जी ने 28000 ऑक्सीजन बैड और 6000 आईसीयू के बैड उपलब्ध कराये हैं। राजस्थान की गरीब जनता को ध्यान में रखते हुए ऐसा महान कार्य राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने किया जो हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त में नहीं हुआ है। पहली बार पांच लाख रुपये तक का बीमा और पांच लाख रुपये तक की मुफ्त में दवाई राजस्थान की जनता को 850 रुपये में पूरे परिवार के लिए जो प्रावधान किया राजस्थान की सारी जनता इस बात की तारीफ कर रही है। यही इलाज हिन्दुस्तान में नहीं बाहर के मुल्कों में होते हैं कोई कल्पना नहीं कर सकता राजस्थान के मुख्य मंत्री के बारे में कि चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा योजना इतनी बेहतरीन सेवा हो सकती है। आज राजस्थान की सरकार के अस्पतालों के अन्दर 735 प्रकार की दवाइयां, 138 प्रकार की जांच नि:शुल्क मिल रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र पंजाब से लगता हुआ है। मेरी सादुलशहर सीएचसी में कम से कम 300 मरीज पंजाब से

(श्री जगदीश चन्द्र)

इलाज कराने के लिए आते हैं। यह बड़े गर्व की बात है राजस्थान के लिये। इस बात के लिए राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को मैं बधाई देना चाह रहा हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना बेहतरीन प्रबन्धन और कोरोना के दौरान इस प्रबन्धन की वजह से ही राजस्थान के अन्दर कम से कम यहां डैथ हुई हैं और सारे देश के दूसरे प्रान्तों के जो लोग थे हमारे प्रदेश के अन्दर इलाज कराने के लिए हमारे बीच में आते थे और यही राजस्थान की सरकार थी जिस सरकार ने पिछले बजट के अन्दर हमारे जो सब सेंटर्स थे उनको पीएचसी में तब्दील किया। पीएचसी को सीएचसी में तब्दील किया और सीएचसी को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तब्दील करने का अगर प्रयास किया गया तो राजस्थान की सरकार द्वारा और राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान सरकार ने पहली बार मेडीटूरिज्म की शुरुआत की है। मेडीटूरिज्म में बाहर से लोग आते हैं इसमें 20 सेंटर्स की हमने स्थापना की है जिसका कार्य प्रगति पर है। आर्थिक दृष्टि से कोरोना के दौरान मजदूरों को बहुत दिक्कत हो गयी थी। छोटे व्यापारियों का काम धंधा बंद हो गया था, रोजी रोटी की दिक्कत आ गयी थी उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान की सरकार ने हमारे जो प्रवासी भाई थे, मजदूर भाइयों की सहायता के लिए 33 लाख परिवारों का 5500 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से राजकोष से करीब 1815 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गयी। दिल देखिये आप राजस्थान की सरकार का कि किस तरीके से बाहर के प्रवासी मजदूरों को राजस्थान सरकार ने अपने खर्चे से उनको उनके गांव में भेजा गया। ऐसा डर का माहौल पैदा हो गया था राजस्थान के अन्दर लोग इस बात को महसूस करने लग गये थे कि पता नहीं कोई रखवाला है या नहीं है लेकिन इस दौरान राजस्थान की जनता ने राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को आशीर्वाद दिया जिसकी वजह से राजस्थान की जनता का इलाज हो सका और राजस्थान की जनता इस बात के लिए आज मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देती है कि राजस्थान के साथ-साथ जो बाहर के लोग थे उनका भी इलाज हमारी सरकार ने किया।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल के बजट में माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में इस बात की घोषणा की कि राजस्थान सरकार अलग से कृषि का बजट पेश कर रही है। अलग से कृषि का बजट एक बहुत बड़ी बात है। यह दिन इतिहास के अन्दर लिखा

(श्री जगदीश चन्द्र)

जायेगा। एक तरफ तो राजस्थान किसानों की हमदर्द सरकार है और दूसरी तरफ दिल्ली के नरेन्द्र मोदी की सरकार है जिस सरकार ने रेलवे बजट को खतम कर दिया और उसको सामान्य बजट में शामिल कर दिया और रेलवे को बेचने की तैयारी कर ली। बड़े अफसोस के साथ सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि जब से दिल्ली की सरकार बनी है जमीन उन्होंने बेच दी, आसमान इन्होंने बेच दिया। पीने का पानी इन्होंने बेच दिया, सिंचाई का पानी इन्होंने बेच दिया और जमीनें इन्होंने बेच दी हैं। यह कैसी सरकार है। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी एयरलाइन एयर इंडिया को इन्होंने औने-पौने दामों में बेच दिया। पब्लिक सेक्टर की जो सारी कंपनियां थी उनको बेचने की तैयारी की जा रही है और रेलवे का पूरा प्राइवेटाइजेशन करने की तैयारी की जा रही है। यह सरकार एक पूंजीपति की सरकार है आम व्यक्ति से इस सरकार का कोई लेना-देना नहीं है किसी प्रकार का। यह सरकार जानती ही नहीं कि गरीबी क्या होती है। बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हाथ में जो नरेन्द्र मोदी की सरकार खेल रही है उसका आप इस बात से अन्दाजा लगा सकते हो कि यह 2024 से पहले-पहले इस भारत को बेचना चाह रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं और बड़े अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूं कि जिस नरेन्द्र मोदी जी ने रेवाड़ी के अन्दर पूर्व सैनिकों की एक जनसभा की थी जिसमें नरेन्द्र मोदी जी का भाषण था कि वन रैंक वन पेंशन भारत के पूर्व सैनिकों के लिये नरेन्द्र मोदी साहब ने बात की थी। आज 7 साल का समय हो गया उस बात को नरेन्द्र मोदी जी भूल गये हैं और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पूर्व सैनिकों की पेंशन की बात तो भूल गये हैं, हिन्दुस्तान की सरकार ने 1971 में जो सैनिक शहीद हुए थे इस देश के लिए जिन्होंने बंग्लादेश की लड़ाई जीती थी। 1971 की लड़ाई को जीता था। इंडिया गेट के ऊपर हमारे अमर जवान ज्योति थी उस अमर जवान ज्योति को शिफ्ट करके घिनौनी हरकत की है और देश के सैनिकों का अपमान किया है सरकार ने। इससे बड़ी कोई बुरी बात नहीं हो सकती इस देश के लोगों के लिये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह सरकार हिन्दुस्तान की धरोहर को खतम करने की कोशिश कर रही है। पंडित नेहरू का नाम खतम करने की कोशिश की गयी है। इंदिरा जी का नाम खतम करने की कोशिश की है लेकिन यह नाम कभी खतम नहीं होंगे।

(श्री जगदीश चन्द्र)

हिन्दुस्तान के कोने-कोने में हिन्दुस्तान की हर ढाणी में कांग्रेस का कार्यकर्ता है। कांग्रेस का व्यक्ति हिन्दुस्तान के हर कोने में है। यह चाहे जितनी कोशिश कर ले हिन्दुस्तान की सरकार किसी भी तरीके से देश से हमारी धरोहर को खतम नहीं कर सकती। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आज से 3 दिन पहले देश के प्रधान मंत्री ने राज्य सभा में एक वक्तव्य दिया राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर। देश के प्रधान मंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो पंजाब के लोगों का नरसंहार नहीं होता। यह बड़े अफसोस की बात है कि पंजाब के चुनाव को देखते हुए देश के प्रधान मंत्री ने राज्य सभा में ऐसा भाषण दिया। शर्म आनी चाहिए। उनको माफी मांगनी चाहिए देश की जनता के सामने। आपने कोड ऑफ कंडक्ट का मिसयूज किया है। इलेक्शन लॉ का आपने मिसयूज किया है क्योंकि आप प्रजातंत्र को मानते ही नहीं हो। आप हिटलरशाही लोग हो, आपको पता ही नहीं प्रजातंत्र क्या होता है। मैं लोगों को आगाह करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। सभापति महोदय, ये हिटलर से भी खतरनाक लोग हैं। इनका देश के प्रति किसी प्रकार का कोई स्नेह नहीं है, न ही देश से प्यार है। यह जाति के आधार पर, यह धर्म के आधार पर, यह कभी गायों के आधार पर इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि एक तरफ तो राजस्थान में किसान की बात अशोक गहलोत साहब कर रहे हैं और पहली बार किसान का बजट पेश करने की बात कर रहे हैं। यह राजस्थान के किसानों की हमदर्दी की सरकार है। अशोक गहलोत जी ने सीपीसी की धारा-60 में संशोधन किया 5 एकड़ तक जमीन को उस धारा को चेंज करके किसान की कुर्की को रोकने का प्रयास किया उसके लिए मैं सरकार को आप सब की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है यही राज्यपाल महोदय ने 15 महीने तक उस कानून को अपने पास में रोके रखा। यही बीजेपी की सरकार है 700 लोगों की कुर्बानी, हिन्दुस्तान के 700 किसानों के खून से रंगे हुए इनके हाथ हैं यह किसी तरह से किसान के हित की बात नहीं कर सकते और दूसरी तरफ यह एमएसपी को खतम करने की बात कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार ने यह तय किया है ताकि किसान देख सके अपने बजट के ऊपर कि किसान पर कितना पैसा सरकार खर्च कर रही है। यह हमारी सरकार ने तय किया है। इस देश की 70 परसेंट आबादी किसानों की है।

(श्री जगदीश चन्द्र)

इस देश के 85 प्रतिशत किसान जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, हमारी सरकार में उसका ध्यान रखा गया है। माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान की सरकार है, जिस सरकार ने किसानों को संबल देने के लिये बिजली पर 12 हजार रुपये की सब्सिडी एक ट्यूबवैल पर एक किसान को दी है और 2023 से पहले पहले तमाम किसानों के कनेक्शन करने जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले तीन वर्षों में 2 लाख 41 हजार से अधिक नये कृषि कनेक्शन हमने जारी किये हैं। यह छोटी बात नहीं है, यह 2 लाख 41 हजार की कल्पना भी नहीं कर सकते, इन लोगों को गिनती भी नहीं आती होगी। हमारी सरकार ने जो बात राजस्थान की विधान सभा में कही है, उसको धरातल पर उतारा है। आज कृषि कनेक्शनों से किसान अपने खेतों में पानी दे रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं हमारे जो दूध का उत्पादन करने वाले किसान हैं, उन किसानों के लिये 2 रुपये की सब्सिडी प्रदान करके हमारी सरकार ने एक संबल देने का प्रयास किया है। हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि 870 नये पशु चिकित्सालय, 166 सब सेंटरों को अपग्रेड किया गया है। सभापति महोदय, पशुओं के वोट नहीं होते लेकिन हमारी सरकार ने उन ढ़ोर पशुओं की भी चिंता की है क्योंकि हमारे साथ उनका जीवन है, उनकी चिंता की है। यह लोग हर बात वोट की करते हैं। यह वोट के हिसाब से शासन करते हैं, वोट के हिसाब से फैसलें करते हैं। हमारी अशोक गहलोत जी की सरकार ने मानवता के लिये फैसला किया है, आम व्यक्ति के लिये फैसला किया है। माननीय सभापति महोदय, अशोक गहलोत जी की सरकार ने गौशाला की सहायता राशि में 4 रुपये छोटे पशुओं के लिये और 20 रुपये प्रतिदिन की राशि बढ़ायी है। जो रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं, उनमें 50 परसेंट का अनुदान दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, यह किसान की कर्जा माफी की बात कर रहे हैं। बार-बार सदन में इस बात की चर्चा होती है कि कांग्रेस की सरकार ने घोषणा पत्र में कर्ज माफी की बात की थी। हमने 50 हजार रुपये का कर्जा माफ हमारी सरकार के बनने के साथ ही किया। हमारे नेता राहुल गांधी जी का यह आदेश था, सरकार ने उसकी तामील की और 50 हजार तक का कर्जा हमने माफ किया और 14 हजार करोड़ रुपये का हमने कर्जा माफ किया है। जो 6 हजार करोड़ का आपका कर्जा बकाया था, उसका कर्जा भी हमने माफ किया है।

(श्री जगदीश चन्द्र)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं ये लोग किसान की बात नहीं कर सकते। पहली बार इस देश में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 72 हजार करोड़ का कर्जा माफ किया था। किसान आये दिन सुसाइड करते थे, हिन्दुस्तान के स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के आंकड़े उठाकर देखो तो सबसे ज्यादा कर्जा किसानों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में था और सबसे ज्यादा आत्महत्याएं इन्हीं के राज में हुई थीं। आज हिन्दुस्तान में किसान की क्या स्थिति हो सकती है? हिन्दुस्तान का किसान 140 दिन एमएसपी के लिये धरने पर बैठा रहा। आजादी के बाद इस देश में सबसे बड़ा आंदोलन दिल्ली की सरहद पर हुआ था। 700 लोगों की कुर्बानी के बाद इस सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। सरकार यह जानती है कि हिन्दुस्तान के किसान ने तय कर लिया कि हम हमारी मांग मनवा कर रहेंगे। सभापति महोदय, इन्होंने ऐसे ही कानून वापस नहीं किये, इन्होंने इसलिए कानून वापस किये क्योंकि पांच स्टेट के चुनाव थे जहां चुनावों में इनका सूपड़ा साफ हो रहा है। कल वैस्टर्न यूपी की 58 सीटों पर चुनाव हुआ है। यह लोग वहां घुसने की स्थिति में नहीं थे। देश का होम मिनिस्टर 200-200 कमांडो लेकर वहां जा रहा है। यह व्यक्ति इधर किसानों के क्षेत्र में जा नहीं सकते। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, यह किसानों का मुल्क है, किसानों के नाम पर आप नेतागीरी कर रहे हो और किसानों को मूर्ख बनाकर इस देश के आप प्रधान मंत्री बने हो। प्रधान मंत्री बनने के साथ आप किसान को तो भूल गये। आपके जो चार मित्र हैं, जिनके 10 टीवी चैनल चलते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिये आपने देश में तीन कृषि कानून लादने का प्रयास किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान में औद्योगिकीकरण का जो ढ़ांचा था, वह ढ़ांचा पिछले पांच सालों में बरबाद हो गया था। 2013 से लेकर 2018 तक राजस्थान में औद्योगिकीकरण बिलकुल खतम हो गया था। उसको दुबारा से स्टार्टअप करने के लिये, राजस्थान में रोजगार का वातावरण पैदा करने के लिये राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने हमारा जो इंडस्ट्रीयल एरिया है, हमारे रीको के सिस्टम को ठीक करने का प्रयास किया। पहली बार राजस्थान सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिये तीन वर्ष तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम, फैसिलेशन आफ एस्टेविल शमेंट एण्ड आपरेशन अधिनियम, 2019 लागू किया। राजस्थान की सरकार ने

(श्री जगदीश चन्द्र)

राज्य में समग्र औद्योगिक विकास, निवेश एवं रोजगार के नये अवसर प्रदान करने के लिये 147 सब डिविजनल हैड क्वार्टर पर चरणबद्ध तरीके से रीको का इण्स्ट्रीयल एरिया स्थापित करने की कोशिश की और 24 नये औद्योगिक खण्ड हमने स्थापित किये हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं 3816 एकड़ भूमि, 4231 भू खण्ड उद्यमियों को आबंटित किये गये हैं। रीको को देश के आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे की उन्नति के लिये 6 सितम्बर, 2021 को पुडुचेरी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपकी भारत की सरकार ने रीको को पुरस्कृत किया है। राजस्थान के रीको को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। राजस्थान रीको के 25 औद्योगिक क्षेत्रों को देश में सबसे बढ़िया माना है, यह आपकी सरकार ने ही माना है।

माननीय सभापति महोदय, लघु उद्योग प्रसारण योजना 2019 के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को 25 लाख तक का ऋण 8 परसेंट, 5 करोड़ तक का 6 परसेंट और 10 करोड़ तक का 5 परसेंट ब्याज पर उपलब्ध कराया जा रहा है। 29 जुलाई, 2021 को निर्यात बढ़ावो योजना का शुभारम्भ राजस्थान की सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, इंडस्ट्री का जो ढ़ांचा था जिसको पिछली सरकार ने बरबाद कर दिया था, दुबारा से हमारे बाहर के बिजनस मैन में आत्मविश्वास पैदा किया गया और राजस्थान की तरफ आकर्षित किया गया। हमने पूरे जिले में, पूरे भारत में सबमिट स्टार्ट की है, राजस्थान में लोग इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं और राजस्थान की जनता पर विश्वास व्यक्त किया है। यह बिलकुल सिम्पल बात है कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनस मैन वहां पैसा लगाता है जहां सोशल सिक्योरिटी हो। जहां इंडस्ट्री की सिक्योरिटी हो, पैसे की सिक्योरिटी हो, उसके बाद पैसा खर्च किया जाता है। हिन्दुस्तान में राजस्थान एक मात्र प्रदेश है जहां बाहर के उद्योगपति पैसा लगाने का प्रयास कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के सामाजिक ढांचे में अभूतपूर्व विकास के काम किये हैं। प्रशासन गांवों के संग के माध्यम से हमारी सरकार के 22 विभाग जनता के बीच में गये थे। हमारे घोषणा पत्र में था कि लोकतंत्र में सरकार लोगों के बीच में जाये। हमारी सरकार लोगों के बीच में गयी और

(श्री जगदीश चन्द्र)

22 विभागों में लोगों की रोजमर्रा की समस्या का समाधान किया गया। कैम्प के माध्यम से हमने 10 लाख ग्रामीण पट्टे वितरित किये। 1 लाख 50 हजार पट्टे हमने शहरों में वितरित किये। काफी लम्बे समय से किसानों के खाता तकसीम की बात थी। खाता तकसीम नहीं हो रहे थे, रास्तों में झगड़े थे, कोई पालनहार योजना के झगड़े थे, कोई वृद्धा पेंशन के झगड़े थे, कोई जाति प्रमाण पत्र के झगड़े थे, कोई दूसरे काम के झगड़े थे, इन कैम्पों के माध्यम से राजस्थान की ग्रामीण एवं शहरी जनता को हमने संबल प्रदान किया और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वादा किया था, उसको पूरा करने का प्रयास किया। लोकतंत्र में सरकार जनता के बीच में जाती है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हमारी सरकार लोकतंत्र में विश्वास करती है, हमारे नेता लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और इस देश में लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, आज 72 साल हो गये, यह ढांचा कांग्रेस पार्टी का बनाया हुआ है, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने लोकतंत्र में विश्वास किया, लोकतंत्र नहीं होता तो देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी नहीं होते, कोई और देश का प्रधान मंत्री होता। यह कांग्रेस पार्टी की देन थी कि इस देश में लोकतंत्र स्थापित किया गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत रत्न डा. भीमराव अम्बेडकर जी के समानता और समता के सिद्धान्त को अपनाते हुये गरीब और कमजोर वर्गों की अनेक योजनाएं लागू की गईं। 90 लाख लोगों की पेंशन चालू की गई। वित्तीय वर्ष में 60 हजार करोड़ रुपये हम लोगों ने दिये। पालनहार योजना के माध्यम से 2021-22 में 395 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और 5 लाख लोगों को इसका फायदा हुआ। माननीय सभापति महोदय, जो गरीब बच्चे अनाथ हो गये थे, जिनके परिवार में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, उन लोगों की व्यवस्था करने के लिये राजस्थान सरकार ने 395 करोड़ रुपये देकर उन बच्चों के जीवन को सुरक्षित किया है और उन बच्चों को आगे बढ़ने का मौका राजस्थान सरकार ने दिया है।

(समय: 16.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, आज तक समाज के अन्दर जो ट्रांसजेंडर, जो हमारे साथी हैं, जिनको आज तक कोई नहीं पूछता था, वह भी समाज का हिस्सा हैं। उनका ध्यान रखते हुए मुख्य मंत्री जी ने दस करोड़ रुपये का, उनके उत्थान के लिए अलग से कोष की स्थापना की गयी है ताकि ट्रांसजेंडर

(श्री जगदीश चन्द्र)

लोगों को फायदा हो सके। राजस्थान सरकार ने देवनारायण योजना में आवासीय विद्यालय छात्रावास, मुख्य मंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से 520 करोड़ रुपये का व्यय किया और 4 लाख 17 हजार विद्यार्थियों को इस बात का फायदा हुआ है। हमारी सरकार ने अनुसूचित जनजाति के समावेशी विकास हेतु 2021-22 में 100 करोड़ रुपये से जनजाति विकास कोष का गठन किया है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश की आबादी का 50 परसेंट महिलाएं हैं। ये लोग महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। हमारी सरकार ने जो 50 परसेंट आबादी महिलाओं की है, उसका सम्मान किया है। राजस्थान सरकार ने अप्रैल, 2021 को नयी महिला नीति अपनाई है। नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन का वितरण किया गया है। ''आई एम शक्ति उड़ान'' योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने की है। 19 दिसम्बर, 2021 को शुभारम्भ किया। पहले चरण में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इंदिरा गांधी महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की गयी है। 2020-21 में 17 करोड़ 30 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये हैं और 407 ऋण आवेदन स्वीकृत किये हैं। आंगनबाड़ी मानदेय में पहली बार दस परसेंट की वृद्धि की गयी है जबकि केन्द्र सरकार तो इसकी कटाई करने की कोशिश कर रही है। केन्द्र सरकार तो आंगनबाड़ियों को बंद करने की कोशिश कर रही है। अगर पांच स्टेट के चुनाव नहीं होते तो ये खाद्य सुरक्षा भी केन्द्र सरकार बन्द करने की तैयारी कर रही थी, आपकी जानकारी के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। लेकिन पांच स्टेट के चुनाव का डर सता रहा था, यूपी का डर सता रहा था इसलिए आपने खाद्य सुरक्षा बन्द नहीं की। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस बात का संकल्प लिया हुआ है कि खाद्य सुरक्षा केन्द्र सरकार चाहे बन्द कर दे, नरेन्द्र मोदी साहब बन्द कर सकते हैं, लेकिन हमारी गरीबों की सरकार है, हमारा गरीबों के साथ में कमिटमेंट है कि हम किसी भी कीमत पर खाद्य सुरक्षा को बन्द नहीं होने देंगे। इन्होंने पोर्टल को पिछले पांच साल से बन्द कर रखा है। हमारी सरकार ने तय कर रखा है कि हम किसी भी कीमत पर खाद्य सुरक्षा को बन्द नहीं होने देंगे।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(श्री जगदीश चन्द्र)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि महिलाओं की हिफाजत के लिए अलग से एडिशनल एसपी लेवल का अधिकारी नियुक्त किया है ताकि महिलाएं जाकर अपनी ग्रिवेंसेज को बता सकें। राजस्थान सरकार का कमिटमेंट है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी तरीके से हम आगे से आगे बढ़कर काम करेंगे और राजस्थान की महिलाएं सौ प्रतिशत सुरक्षित रहेंगी। यह कमिटमेंट हमारा राजस्थान की जनता के सामने है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान की सरकार ने नवाचार शुरू किया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम जहां शिक्षा के क्षेत्र में नये नवाचार शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है यहां बीजेपी के लोग बैठे हैं, पहली बार भारत सरकार ने शिक्षा के बजट में कमी की है। शिक्षा के बजट में कमी की है और देश की शिक्षा नीति में बदलाव करने जा रहे हैं। शिक्षा को प्राइवेटाइज करके सरकार के स्कूल और कालेज बंद करने की कोशिश आपकी सरकार कर रही है। लेकिन राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान में 11 हजार 500 रेवेन्यू पंचायत हैं, जहां गरीब व किसान रहता है, आम व्यक्ति रहता है। गरीब व्यक्ति के बच्चे को जीवन भर इस बात का पश्चाताप रहता है कि मैंने अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं की। आगे बढ़ नहीं सकता था, लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने उस गरीब व किसान की भावना को समझा और पहली बार अंग्रेजी माध्यम के स्कूल राजस्थान में शुरू किये। हमारी मंशा है कि हम कोशिश करेंगे कि 2023 से पहले-पहले तमाम ग्राम पंचायतों में हमारे ये स्कूल खुलें ताकि गांव का बच्चा अंग्रेजी पढ़ सके। अंग्रेजी पढ़ने के बाद में आपकी असलियत का पता लगेगा कि आपने 1925 से लेकर आज तक क्या-क्या किया है? आप किस तरीके से अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, आपके बारे में पता लगेगा आने वाली पीढ़ी को। गांव के बच्चों को जो गुमराह करते हो, आपको इस बात का अहसास होगा अंग्रेजी की पढ़ाई करने के बाद में।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार ने एग्रीकल्चर के विषय लागू किये हैं और उसमें यह तय किया गया है कि जो बच्चे एग्रीकल्चर की पढ़ाई करेंगे, पांच हजार रुपये साल का वजीफा और नौवीं क्लास तक की सारी बच्चियों को साइकिल वितरण का जो काम राजस्थान की सरकार ने किया है, उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं। पहली

(श्री जगदीश चन्द्र)

बार काली बाई स्कूटी योजना स्टार्ट की है ताकि हमारी गरीब गांव की बच्ची कालेज की पढ़ाई कर सके, उसकी व्यवस्था सरकार ने की है। 500 बच्चियों पर एक कालेज खोलने की बात की है। यह छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मुख्य मंत्री जी का संकल्प है। एक विजन है राजस्थान के मुख्य मंत्री का कि राजस्थान में बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। पहली बार गार्गी पुरस्कार की राशि को बढ़ाने का भी हम सरकार से निवेदन करेंगे ताकि गांव और देहात की बच्चियां और आगे बढ़ सकें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो राजस्थान सरकार स्कूलों को आगे बढ़ा रही है वहां आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो नयी शिक्षा नीति है भारत सरकार की, मैं हमारे साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी समाज का हिस्सा हो, नयी शिक्षा नीति इस देश को बरबाद करके रख देगी। बरबाद कर देगी इस मुल्क को अगर देश की नयी शिक्षा नीति को नहीं रोका गया। ये पूरे देश को प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं। इन्होंने रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया, एयरपोर्ट प्राइवेटाइज कर दिये, देश का पानी इन्होंने बेच दिया, देश के आसमान को इन्होंने बेच दिया और देश की सुरक्षा को चाइना को बेचकर रख दिया। चाइना ने जो हालत आपकी की है, आप मुंह दिखाने लायक नहीं हो। किस तरीके से चाइनीज सेना हमारे देश की सीमा में घुस गयी, आप लोगों से मुंह छिपाते हुए घूम रहे हैं आपके पास इस बात का जवाब है क्या? आपके पास कोई जवाब नहीं है। वे 56 इंच के सीने वाले प्रधान मंत्री कहां चले गये, जिस तरीके से रात को जब चाइना के लोग हिन्दुस्तान में घुसकर चले गये। किस तरीके से यूएस के सामने गिड़गिड़ा रहे थे आप लोग, आपको भारत की चिन्ता नहीं थी। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पहली बार भारत की विदेश नीति सबसे कमजोर विदेश नीति है। सारे पड़ोसी देशों से आपके झगड़े हैं। कोई पड़ोसी देश आपके साथ नहीं है। यह बड़े अफसोस की बात है। यह बड़ी चिन्ता की बात है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में 2018 में जब सरकार बनी, यह अशोक गहलोत की

(श्री जगदीश चन्द्र)

सरकार थी कि सरकार बनते के साथ में हमने 25 हजार मास्टर भर्ती किये। हमने रीट की परीक्षा का आयोजन किया और इनकी वजह से आज राजस्थान का जो बच्चा सलेक्ट हो गया था, इनके पेट में दर्द है। पहली बार 400 पंजाबी टीचर की भर्ती का हमने प्रयास किया। पंजाबी सब्जेक्ट खोले गये। आप लोगों के पेट में इस बात का दर्द हो रहा है कि राजस्थान के 60 हजार बच्चों को नौकरी क्यों मिले? आपने तो नौकरी दी नहीं। 2013 से 2018 तक का टाइम याद कीजिए अगर किसी को याद है तो। कटारिया जी बैठे हुए हैं यहां। हर नौकरी पर आपका स्टे था। आपने नौकरी दी नहीं, लेकिन हमारी सरकार का कमिटमेंट है, अशोक गहलोत जी का कमिटमेंट है कि एक लाख नौकरी हर साल देंगे। हम आपकी तरह नहीं हैं कि 2 करोड़ की बात करते गये, 60 लाख पर आ जायें। हम ऐसी बात नहीं करते हैं। हमने जो बात कही है, हम उस बात पर आज भी कायम हैं। राजस्थान के नौजवानों को अगर नौकरी कोई दे सकता है तो अशोक गहलोत की सरकार दे सकती है। यह हमारा कमिटमेंट है राजस्थान की जनता से।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारे केन्द्र की सरकार वो है। देश के यूपीएससी को बरबाद करने की कोशिश की गयी है, देश के यूजीसी को बरबाद करने की कोशिश की गयी है, देश के इलेक्शन कमीशन को बरबाद करने की कोशिश की गयी है और तो और ज्यूडीशियरी को बरबाद करने की भी कोशिश की जा रही है। यह पूरी की पूरी हिटलरशाही देश को तबाही की ओर ले जा रही है। यह बड़े सोचने का विषय है। यह बड़ी चिन्ता का विषय है, हिन्दुस्तान के नागरिक के लिए, लेकिन दूसरी तरफ एक लोकतंत्र की सरकार है, चुनी हुई सरकार है जिसका कमिटमेंट है लोगों के साथ में और हम उस पर काम कर रहे हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने, हमारे पानी के मंत्री यहां बैठे हुए हैं, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने तय किया है कि राजस्थान के हर घर जल जायेगा। मुझे यह बात कहते हुए खुशी है कि राजस्थान की सरकार का कमिटमेंट जितना पीएचईडी पर पैसा खर्च होगा, राजस्थान सरकार उस पर खर्च कर रही है। पहली बार 35 हजार से अधिक गांवों में 60 हजार करोड़ की लागत से 86

(श्री जगदीश चन्द्र)

लाख से अधिक कनेक्शन हमने जारी किये हैं। अब तक 22 लाख 50 हजार से अधिक परिवारों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। राजस्थान की सरकार ने 1 हजार 158 आरओ और 1 हजार 953 सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरीडेशन संयंत्र भी स्थापित किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, जो दूर-दराज के इलाकों के लोग थे, जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी और पांच साल में जो 2013 से 2018 तक का टाइम था, किस तरीके से बीजेपी ने पीएचईडी डिपार्टमेंट को बरबाद कर दिया था, हमारी सरकार वह दुरुस्त करने में, उसको आगे बढ़ाने में प्रयासरत है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, ऊर्जा के क्षेत्र में। ऊर्जा मंत्री यहां हाउस में बैठे हुए हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में, यह सरकार को याद होगा कि किस तरीके से सूरतगढ़ का थर्मल प्लांट को बेचने की तैयारी कर ली थी। छबड़ा का थर्मल प्लांट करीब-करीब बंद हो गया था। राजस्थान के जितने पावर प्रोजेक्ट हैं, यह सरकार उनको निपटाने के चक्कर में लगी हुई थी, लेकिन हमारी सरकार के आने के साथ ही हमने ऊर्जा के क्षेत्र में 16 लाख से अधिक घरेलू कनेक्शन जारी किये हैं। किसानों को अनुदानित 43 हजार 870 करोड़ रुपये हमने दिए। तीन वर्षों में 2 हजार 970 मेगावाट की वृद्धि हमने की। यह हिस्टोरिकल वृद्धि है, 2 हजार 970 मेगावाट की वृद्धि हमने जनरेशन के अन्दर की है। कुल उत्पादन की क्षमता 23 हजार 309 मेगावाट हो गई है। नई और सौर ऊर्जा नीति के अनुसार 8 हजार 420 मेगावाट क्षमता के स्थान पर पावर प्रोजेक्ट भी हम लोग लगा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। हमारी सरकार ने रेवेन्यू एक्ट में बदलाव किया है और सौर ऊर्जा के लिए, पावर प्रोजेक्ट के लिए हिन्दुस्तान के लोगों के लिए दरवाजे खोले हैं। उसी की बदौलत आज राजस्थान में सौर प्लांट लग रहे हैं। राजस्थान में बिजली की कमी है, उसकी पूर्ति करने के लिए, हमारी सरकार उसमें लगी हुई है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं सड़कें हमारे आने-जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सड़कों के ढांचे के

(श्री जगदीश चन्द्र)

लिए सरकार बहुत ज्यादा चिंतित थी। सरकार की कोशिश है कि राजस्थान में सड़क की कनेक्टिविटी है, उसको दुरूस्त किया जाय। जब कनेक्टिविटी होगी तो देश-प्रदेश आगे बढ़ेगा। उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 16 हजार 935 करोड़ रुपये व्यय करके 5 हजार 794 किलोमीटर लम्बाई में नवीन सड़कों का निर्माण, 860 किलोमीटर लम्बाई एनएच विकास के लिए, 4 हजार 689 किलोमीटर लम्बाई के लिए स्टेट हाईवे का विकास, 28 हजार 548 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का कार्य सरकार ने पूर्ण किया है। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में क्षेत्र 5 करोड़ की लागत से 1 हजार किलोमीटर सड़कें, 2 हजार 336 किलोमीटर मिसिंग लिंक और शहरी क्षेत्र में 30 किलोमीटर तक नगर निगम में, 20 किलोमीटर नगर परिषद् और 10 किलोमीटर की नगरपालिका क्षेत्र में राजस्थान की सरकार द्वारा सड़कें दी जा रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, मार्च 2018 में जब इन लोगों ने आखिरी बजट पेश किया, सादुलशहर की, गंगानगर की थी बीच में, उस सड़क की घोषणा कर दी गई और दो साल तक पत्थर भी नहीं लगा था। जैसे ही हमारी सरकार आई हमने 47 करोड़ रुपये लगाकर उस सड़क को तैयार किया। राजस्थान के बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बैठे हैं, अभी चार दिन पहले ही उस सड़क से होकर आये हैं। माननीय सतीश पूनियां जी यहां बैठे हैं, आप सादुलशहर गये थे, उसी सड़क से गये थे, यह सड़क कांग्रेस पार्टी की बनाई हुई है। आपने पत्रकारों के सामने खुद तारीफ की कि यह सड़क किस सरकार ने बनाई है। यह सड़क कांग्रेस की सरकार ने बनाई है जिस पर आप चार-पांच दिन पहले चल रहे थे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे ग्रामीण सड़कों के बारे में निवेदन करना चाह रहा हूं। केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री सड़क मामले में पैसा बंद कर दिया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा पैसा बंद कर दिया गया। राजस्थान सरकार ने, हमारा कमिटमेंट था, घोषणा-पत्र में जो बात कही थी, उस बात पर हम खरा उतरेंगे। हमारी सरकार उस पर काम कर रही है, वह हम करके छोड़ेंगे। इसलिए सभापति महोदय, सड़कों के मामले में हमारी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण विकास किया है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला खेती पर आधारित है। दोनों ज़िले के किसान खेती पर आधारित हैं। खेती-बाड़ी में

(श्री जगदीश चन्द्र)

अगर देश किसान कमजोर होगा, देश का व्यापारी कमजोर होगा, देश का मजदूर कमजोर होगा। हमारी सरकार ने कांग्रेस के विधायकों के आग्रह पर, राजस्थान की जनता के आग्रह पर, पहली बार 3 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था करके सरहिंद फीडर की मरम्मत का काम शुरू किया, 284 करोड़ रुपये सप्लीमेंट्री बजट में दिये गये थे, आज लगभग 70 किलोमीटर का काम सरहिंद फीडर का शुरू हो गया। मुझे उम्मीद है कि जिस दिन यह सरहिंद फीडर का काम पूरा होगा, हनुमानगढ़ व गंगानगर की भाखडा नहर प्रणाली है, उसमें 1400 क्यूसेक के आसपास पानी हम किसानों को दे पाएंगे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान की पिछली सरकार ने 2017 में खाले बनती थीं, बंद कर दी गईं। लेकिन हमारी सरकार ने यह तय किया है कि किसान के लिए खाला बहुत महत्वपूर्ण होता है, खालों की दिशा में सरकार काम कर रही है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी उस पर विचार करके उसकी घोषणा करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि सड़कों के साथ-साथ राजस्थान की सरकार ने खेतों में सोलर पम्प की सब्सिडी का मामला था, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, किसानों की खेती की बीमा पालिसी थी, उसकी भरपाई करने के लिए केन्द्र सरकार से तो कोई मदद नहीं आई, लेकिन हमारी सरकार ने पिछले साल जो फसल तबाह हुई थी, ओलावृष्टि के माध्यम से जो फसलें खराब हुई थीं, राजस्थान सरकार द्वारा किसान का एक-एक पैसे का भुगतान कर दिया। केन्द्र की सरकार द्वारा किसान फसल बीमा योजना का पैसा था, उसको रोक दिया। किसानों की डिग्गी का पैसा था, 60-40 का रेशो था, आज केन्द्र सरकार ने वह भी रोक दिया। हमारी सरकार ने किसानों का 98 लाख का पिछला भुगतान किया है।

सभापति महोदय, मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाह रहा हूं, राजस्थान सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए नये एक्सपरीमेंट स्टार्ट किये हैं। पहली बार आउट आफ कोटा, आउट आफ टर्न हमारे जो खिलाड़ी हैं, नेशनल, इंटरनेशनल के जो खिलाड़ी हैं, उनको हमारी सरकार के माध्यम से नौकरी प्रदान की जा रही है। जो नेशनल प्लेयर्स हैं, उन प्लेयर्स के लिए आउट आफ टर्न जाकर, उनको पारितोषिक दिए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने 182

(श्री जगदीश चन्द्र)

राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को नौकरी दी है। 164 खिलाड़ियों को आउट आफ टर्न जाकर नियुक्ति दी गई है। डूंगरपुर में तीरंदाजी की एकेडमी स्थापित की गई और जैसलमेर में हैण्डबाल की एकेडमी स्टार्ट की गई है। गांवों के अन्दर गेम्स हो रहे हैं, ओलम्पिक गेम्स हो रहे हैं, राजस्थान में स्पोर्ट का वातावरण पैदा किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे आगे बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को देश का नाम रोशन करने का मौका मिल सकें। यह कांग्रेस की सरकार ही कर सकती है, दूसरी सरकार नहीं कर सकती। अशोक गहलोत जी का कमिटमेंट था, हमारी सरकार ने यह काम किया।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, जब कोरोना चल रहा था, लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई थी। यह सारे के सारे लोग घरों में बैठे हुए थे। यह घरों में बैठे हुए थे, इनको कोरोना से डर लग रहा था। हमारे मुख्य मंत्री जी को कोरोना हो गया, हमारे एमएलएज को भी कोरोना हो गया था, लेकिन हमारी सरकार ने उस गरीब का पेट भरने के लिए, मुख्य मंत्री जी का राजस्थान की जनता से कमिटमेंट था कि कोई भूखा नहीं सोये, इसलिए उस दौरान राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई की शुरुआत की। इंदिरा रसोई के माध्यम से पौष्टिक खाना आठ रुपये में। हमने 358 रसोई शुरू की। उसमें राजकीय अनुदान 12 की जगह 17 रुपये बढ़ाया और अब तक 5 करोड़ 5 लाख लोगों को इसका फायदा हुआ। लोग अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। इंदिरा रसोई के माध्यम से हमने 71 लाख पैकेट इस साल वितरित किए हैं। इनकी कोशिश थी कि इंदिरा रसोइयों को बंद करवा दो। यह इंदिरा रसोई को बंद करवाना चाह रहे थे, लेकिन राजस्थान की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा जिसने इनकी हर बात का मुंहतोड़ जवाब दिया।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने पहली बार महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से, हमारी सरकार का कमिटमेंट था कि नरेगा काम 100 से 200 दिन करेंगे। हमने 200 दिन कर दिया नरेगा के काम को। दिल्ली की सरकार ने कम्पोनेंट मैटेरियल का जो पैसा था, वह पैसा रोक दिया। 2100 करोड़ रुपये मार्च तक का बाकी है, पिछली सरकार का बाकी है हमारा, दिल्ली सरकार की तरफ से। नरेगा के सारे काम बंद हो गए, लोग काम के लिए चिल्ला रहे हैं कि काम दीजिए, लेकिन काम नहीं मिल रहा है। गांवों के अन्दर काम नहीं मिल रहा है। हमने 200 दिन का वादा पूरा कर दिया, लेकिन

(श्री जगदीश चन्द्र)

दिल्ली सरकार द्वारा नरेगा की दिहाड़ी बढ़ाने से मना कर दिया गया। यह सेन्ट्रल एक्ट है, सेन्ट्रल एक्ट से हमारा 40 परसेंट हिस्सा, 60 परसेंट हिस्सा आप लोगों का। जो जनहित की नीतियां थीं, जन कल्याणकारी नीतियां थीं, गांव के आदमी की नीति थी, उस पर कुठाराघात करने की कोशिश की गई, दिल्ली सरकार के माध्यम से।

सभापति महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यह लोकतंत्र है। लोग सरकार बनाते हैं और सरकार बनने के बाद यह लोगों को क्यों भूल जाते हैं। यह लोगों को भूल जाते हैं और लोग इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि कब दुबारा चुनाव हो, हम इस बात का जवाब देंगे।

यह नरेगा का जो काम था, यह काम इनको अच्छा नहीं लग रहा था। इनकी बंद करने की कोशिश थी। केन्द्र सरकार ने 2500 करोड़ रुपये इस बजट 2022 में नरेगा का कम कर दिया और अगर चुनाव नहीं होता तो आप पार्लियामेंट में बिल लाकर नरेगा को खतम करने की कोशिश कर रहे थे। आपकी यह कोशिश थी, लेकिन आपको चुनाव का डर सता रहा था। चुनाव का डर आपको सता रहा था। आपने संविधान बदलने की कोशिश की है और आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुंह की खानी पड़ी और पार्लियामेंट में आप लोग बिल लेकर आ गये।

जो रिजर्व कास्ट के लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, आपने उस पर कुठाराघात करने का प्रयास किया। लेकिन इस देश का आक्रोश, इस देश की जनता के डर की वजह से आप बैक-फुट पर आ गये। जिस तरीके से आप कृषि बिल पर बैक-फुट पर आये थे, उसी तरह आपने संविधान बदलने का प्रयास किया, उसमें भी आप बैक-फुट पर आ गये। आप पूरे देश में एस.सी., एस.टी. के लोगों के खिलाफ वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कामयाब नहीं हो पायेंगे, यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, यह जो दिल्ली की सात साल की सरकार है, इस सरकार का आम आदमी से कोई लेना-देना नहीं है। यह तो देश के चार पूंजीपतियों की सरकार है और इनका बस चलेगा तो किसानों से वादाखिलाफी इन्होंने की है। यह दुबारा एम.एस.पी. खतम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो शांता कुमार कमेटी

(श्री जगदीश चन्द्र)

की रिपोर्ट थी एफ.सी.आई. की, उस रिपोर्ट के माध्यम से आपने एफ.सी.आई. को बन्द करने की कोशिश की। आपने किसान को खतम करने के लिए, व्यापारियों को खतम करने की कोशिश की है। शांता कुमार कमेटी जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में यह कमेटी बनी थी, उस कमेटी में छह अधिकारी थे, उसमें एक भी किसान प्रतिनिधि नहीं था। इस देश के 262 किसान संगठन हैं, जिनसे कोई राय नहीं ली गयी है। जिसके अन्दर यह कहा गया कि चार लाख करोड़ रुपये का डेफिसिट है और तीस से पैंतीस हजार करोड़ रुपये हर साल इसमें घाटा होता है और एफ.सी.आई. बन्द हो जाएगी तो आपको आटोमैटिक ही एम.एस.पी. को भी बन्द करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने तैयारी कर रखी है। हमने एम.एस.पी. पर खरीद की है और 21 लाख किसानों को फायदा हुआ है। हमने एम.एस.पी. पर खरीद की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले तीन, चार और पांच महीनों में जहां-जहां पर भी कांग्रेस की सरकारें थीं इस दिल्ली की सरकार ने वहां पर यूरिया की कमी, कभी डी.ए.पी. की कमी कर दी। अब हरियाणा में कमी तो नहीं आयी, यू.पी. में तो कमी नहीं आयी, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब के अन्दर डी.ए.पी. और यूरिया के लिए लाइन लगी हुई थी क्योंकि यह केन्द्र सरकार का मसला था और यह तय किया गया कि जहां-जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पर केन्द्र से जो सहायता राशि आती है, केन्द्र की जो स्कीम्स हैं, उन पर कटौती कर दी जाये ताकि किसानों में आक्रोश पैदा हो और राजस्थान में सरकार के खिलाफ वातावरण पैदा हो, लेकिन ये स्कीम्स फेल हो गयी है। उसमें यह लोग फेल हो चुके हैं और इनको बैक-फुट पर जाना पड़ा है। राजस्थान की जनता इनके तौर-तरीकों को समझ चुकी है। इनके काम के तौर-तरीकों को राजस्थान की जनता समझ चुकी है। राजस्थान की जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आपसे मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पिछले तीन वर्षों में जो आधारभूत काम किये हैं, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में भी कहा है। सरकार के सामने बीमार लोगों को उपचार उपलब्ध करवाने का चैलेंज था एवं कई ऐसे लोग भी थे जिनका रोजगार महामारी लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुआ था, उन्हें सम्बल देने का प्रयास सरकार ने किया।

(श्री जगदीश चन्द्र)

राजस्थान सरकार ने इस महामारी की शुरुआत के दौर से ही बड़े और कड़े कदम उठाये हैं। सारा जोर इस बात पर था कि कैसे लोगों को बीमार होने से बचाया जाये और उनकी आजीविका कम प्रभावित हो। इस महामारी ने हमें ऐसी परेशानियों से रूबरू करवाया जिसके लिए दूरदर्शिता और धैर्य की आवश्यकता थी। हमने यह कोशिश की कि कोई भूखा न सोये, इसके लिए भोजन की व्यवस्था के लिए करोड़ों फूड पैकेट्स वितरित किये गये एवं ऐसे समय में इन्दिरा रसोई योजना भी वरदान साबित हुई।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे दौर में जब लॉकडाउन की वजह से प्रदेश की आय बहुत घट गयी थी तब राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए, उनके लिए खर्च करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। कोविड काल में हमने जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए, निराश्रित परिवारों का सर्वे करवाया। यह कितनी बड़ी बात है कोविड काल के अन्दर सर्वे करवाना? लोग घरों से नहीं निकल रहे थे और कांग्रेस का कार्यकर्ता और सरकार घरों में जा रही थी। यह सरकार यह देख रही थी कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, किसी के पास मकान की व्यवस्था है या नहीं है, कोई दवाई की व्यवस्था है या नहीं है, यह राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आज इनको इस बात का पछतावा है कि पिछले तीन साल में तो यह कुछ नहीं कर पाये। यह एक मौका मिल गया सरकार के खिलाफ वातावरण बनाने के लिए। तीन साल में तो यह फ्यूज हो गये हैं। इनके पास में कोई मौका था नहीं, यह अपने हाथ से मौका खो चुके हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने इस संकट की घड़ी में आमजन की जरूरत को समझते हुए भी निजी क्षेत्र में भी टैस्ट की व्यवस्था की। सरकारी अस्पताल में तो टैस्ट फ्री हो, लेकिन निजी क्षेत्र में भी छूट दी गयी ताकि लोगों को दिक्कत न हो, परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। हमारी सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री थे, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि कोरोना काल के दौरान नर्सिंग स्टाफ घर-घर में जाकर टेस्ट कर रहा था, दवाइयां बांट रहा था और दवाइयों के किट बांट रहा था ताकि बीमारी से उनको बचाया जा सके।

मुझे याद है कि जब पहला लॉकडाउन हुआ, राठौड़ साहब तो हमारे

(श्री जगदीश चन्द्र)

क्षेत्र से ही आते हैं। किसान को फसल बेचने में दिक्कत आ रही थी। अनाज मण्डियां बंद कर दी गयी थीं। केन्द्र सरकार का जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, जिसके माध्यम से कलेक्टर को यह ताकत दे दी गयी थी। किसान फसल बेचने के लिए घूम रहा था, मारा-मारा फिर रहा था, किसान को पैसे की आवश्यकता थी। यह हिन्दुस्तान का किसान ही था जिसकी वजह से हमने फर्स्ट लहर के अन्दर इस देश को बचाया और राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री जी ने बेहतरीन प्रबन्धन करके किसान की फसल बिकवायी और समय पर फसल का भुगतान राजस्थान की सरकार ने किया, राज्य सरकार ने किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो हमने ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काम किया, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काफी लोगों को दिक्कत हो रही थी। बसों के परमिट नहीं थे, बसों की हालात खराब थी। हमने राजस्थान के रोडवेज डिपार्टमेंट को उबारने की कोशिश की है और राजस्थान सरकार के मुखिया ने छह जगह नये डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट आफिस, डी.टी.ओ. दफ्तर खोले हैं। लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई जगह पर उप केन्द्र भी खोले हैं और डी.टी.ओ. के दफ्तर भी खोले हैं।

एक मुख्य मंत्री जो 24 घंटे में से 16-16 घंटे जनता के लिए काम करे, इनको इस बात की तकलीफ है कि मुख्य मंत्री क्यों काम कर रहा है? खुद दो बार कोरोना से पीड़ित हो गये, उसके बावजूद भी लोगों के लिए वी.सी. से बात कर रहे हैं। राजस्थान के सबसे छोटे व्यक्ति से लेकर सबसे बड़े व्यक्ति तक उन्होंने बात की है और हर व्यक्ति से उस कोरोना बीमारी के लिए सुझाव मांगे गये हैं, यह कितनी बड़ी बात है? कितना बड़ा दिल करके आपसे यह सुझाव मांगे गये हैं कि राजस्थान की जनता को बचाने के लिए सरकार किस तरह से आप लोगों की मदद करे। सरकार मदद करे, यह कोई छोटी बात नहीं थी, आप लोग तो घरों से भी नहीं निकल रहे थे, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने तीन साल का जो समय था, जो डवलपमेंट के, विकास के जो आयाम स्थापित किये राजस्थान की सरकार ने यह इतिहास में लिखा जायेगा, यह बात मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे और भी जो दूसरे क्षेत्र हैं, हमारे पत्रकार साथी जो ऊपर बैठे रहते हैं, इन पत्रकारों की किसी ने भी चिन्ता नहीं की। किसी ने भी पत्रकारों की चिन्ता नहीं की। कोरोना काल के दौरान वालेंटियर के तौर इन्होंने काम

(श्री जगदीश चन्द्र)

किया। यह घूम रहे थे, सारे प्रदेश और देश की ख़बरें दे रहे थे। राजस्थान की सरकार ने, मुख्य मंत्रीजी ने पत्रकारों के लिए पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की दिशा में पत्रकार कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न नियमों, प्रावधानों एवं सुविधाओं की समीक्षा एवं सरलीकरण हेतु समिति का गठन किया। इसी प्रकार राज्य प्रेस अधिस्वीकरण समिति, पत्रकार समस्या समाधान समिति, पत्रकारों की आवासीय समस्या समाधान समिति, राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष प्रबन्ध समिति एवं राज्य वर्गीकरण सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है।

कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य में एमनेस्टी स्कीम-2021 लागू की गयी है। इसके तहत राज्य में पहली बार कर की छूट के साथ ही ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत तक की छूट दी गयी है। कोविड-19 से प्रभावित अवधि में मांग राशि में से 6 हजार 982 करोड़ रुपये की मांग राशि कम कर व्यवहारियों को राहत प्रदान की गयी।

लॉकडाउन की अवधि के दौरान करदाताओं को जी.एस.टी. में रिटर्न फाइल करने के लिए लेट फीस की सशर्त छूट देकर और ब्याज की दर कम करके राहत प्रदान की गयी है। साथ ही पांच करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम तथा 50 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए ई-इनवाइस की व्यवस्था लागू की गयी है। इसी क्रम में कोविड से सम्बन्धित दवाइयों, आक्सीजन उपकरणों इत्यादि पर जी.एस.टी. की दर कम कर राहत प्रदान की गयी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण एवं राज्य के सरकारी, अर्द्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारियों, अधिकारियों तथा पेंशनरों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आर.जी.एच.एस.) प्रारम्भ की गयी। इस योजना के तहत 01 जुलाई, 2021 से कैशलेस इंडोर एवं डे-केयर चिकित्सा सुविधा तथा 01 नवम्बर, 2021 से कैशलेस आउटडोर चिकित्सा सुविधा समस्त राजकीय एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में प्रारम्भ कर दी गयी है। योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को 01 नवम्बर, 2021 से सहकारी उपभोक्ता भण्डार एवं अनुमोदित निजी मेडिकल स्टोर्स पर कैशलेस दवाइयां प्रदान की जा रही हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(श्री जगदीश चन्द्र)

सभापति महोदय, अब आप बताओ कितनी बड़ी बात है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि बिना पैसे के दवाई मिल रही है। सारे सरकारी कर्मचारियों को, सारे विधायकों को, सारे महत्वपूर्ण लोगों को फ्री में दवाइयां मिल रही हैं। कितनी बड़ी बात है। गुरदीप सिंह जी हमारे साथी हैं, मैं इनको भी कहना चाह रहा हैं। कैशलेस, बिना पैसे के दवाई मिल रही है। कितनी बड़ी व्यवस्था राजस्थान की सरकार ने की है। माननीय मुख्य मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, पेंशन आवेदन ऑनलाइन प्राप्त होंगे। ग्रेच्युटी एवं कम्युटेशन के अधिकृत ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर डीएचसी से जारी करने की व्यवस्था की गयी है। पेंशन के नियम में संशोधन कर पेंशन कुलक के साथ विभाग से सेवा पुस्तिका मंगवाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। बार-बार डायरी मंगवाई जाती थी, उसके कारण जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसको रोक दिया गया है, राजस्थान की सरकार के द्वारा। ई-सिस्टम के माध्यम से सारा काम कैशलेस कर दिया गया है और पेंशन भुगतान की केन्द्रीकृत व्यवस्था साफ्टवेयर के माध्यम से करने की व्यवस्था की गयी है।

कुबेर का खजाना है अशोक गहलोत की सरकार। आपकी पूरी कोशिश थी कि सरकार की आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ा जाए। आपके आकाओं ने राजस्थान की सरकार को गिराने की पूरी कोशिश की धन के बल पर, लेकिन आप कामयाब नहीं हो पाये। मैं अभी भी आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह तीर भी आपका फेल जायेगा। आप इस तीर को वापस ले लीजिये।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार प्रदेश की जनता के लिए है। कोविड महामारी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। प्रदेश में विकास को सिरे से प्राथमिकता देते हुए हमने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का ध्येय वाक्य को मानकर नीतियों का निर्माण किया। हमारा प्रयास रहा कि प्रदेश में अमन चैन और माहौल कायम रहे, लेकिन ये प्रदेश के अमन चैन को कायम नहीं रहने देना चाहते। ये चाहते हैं कि प्रदेश का वातावरण बिगड़ा रहे, लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति खराब हो। इनकी मंशा ठीक नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रदेश के भविष्य के लिए आप थोड़ा-सा शांति का दान दें। प्रदेश के शांति के वातावरण को आप खराब नहीं

(श्री जगदीश चन्द्र)

करें। सभापति महोदय, हमारा प्रयास है कि प्रदेश का अमन चैन और माहौल कायम रहे और प्रदेश में निवास करने वाले सभी धर्म के लोगों को सौहार्द के साथ जीवन-यापन करें।

सभापति महोदय, वे राजस्थान के मुखिया हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। उनकी मंशा है कि सारा देश आगे बढ़े। उनकी कोशिश है कि देश आगे बढ़े और देश के साथ प्रदेश भी आगे बढ़े। स्टेट के इन्ट्रेस्ट में जो इश्यू था, उस पर राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने विपक्ष के नेताओं से भी चर्चा की है कि किस तरीके से आम जनता का कल्याण हो। लोकतंत्र की सबसे बड़ी यही खूबी है कि पब्लिक के जो इश्यू हैं, उन पर चर्चा कर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें लेकिन इन लोगों की संकुचित मानसिकता है। इस देश को बांटने की मानसिकता है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि देश का प्रधान मंत्री पंजाब के दौरे पर जाता है। फिरोजपुर में भीड़ इकट्ठी नहीं होती और नाटक किया जाता है देश के प्रधान मंत्री के द्वारा, नाटक कम्पनी की तरह। भटिण्डा एयरपोर्ट से वापस 135 किलोमीटर की यात्रा बाई रोड जा रही है और दिल्ली में आकर बोलते हैं कि मैं जिन्दा वापस आ गया हूं। बड़े शर्म की बात है कि देश के प्रधान मंत्री के मुंह से जो शब्द थे, प्रदेश के मुख्य मंत्री के लिए। एक दलित का बेटा मुख्य मंत्री है पंजाब के अन्दर। प्रधान मंत्रीजी के द्वारा किस भाषा का इस्तेमाल किया गया, 135 किलोमीटर की यात्रा बाई रोड जाएंगे और यह आरोप लगाया गया प्रदेश के मुख्य मंत्री के ऊपर कि यहां लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। अगर आपमें हिम्मत थी तो आप डिसमिस करते सरकार को और पंजाब के अन्दर राष्ट्रपति शासन लागू करते। आप डरे हुए थे, आप फेल हो गये। आपके मन में डर था, देश के प्रधान मंत्री के मन में डर था। अगर हिम्मत है तो पंजाब में जाएं, क्यों वर्चुअल मीटिंग्स कर रहे हैं। पंजाब के बहादुर लोगों का इस सदन के माध्यम से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, पंजाब के उन किसानों का, उनके कमिटमेंट की वजह से, आपने तीनों किसान बिल वापस लिए। यह पंजाब के लोगों का जज्बा था। यह पंजाब की पांच नदियों की वह धरती है, किसी जमाने के अन्दर कहावत थी कि 'खालो पीलो लावदा, बाकी अब दूले सावदा' हम उस धरती के लोग हैं, हम डरपोक नहीं हैं। हम लड़ना जानते हैं, हम देश और राजस्थान की जनता के लिए भिड़ना जानते हैं।

सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो यहां

(श्री जगदीश चन्द्र)

पढ़ा गया, उसका मैं आशा और विश्वास के साथ पुरजोर समर्थन करता हूं। ये लोग अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और सरकार की मदद करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण बहुत शानदार और जानदार रहा। यह कोई आंकड़ों का खेल नहीं है, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं जिस प्रकार से बीजेपी के लोग करते हैं और आंकड़ों से खेलते हैं, वह चीज इस अभिभाषण में नहीं है। इसमें वही चीजें हैं जो तीन साल में राजस्थान की लोकप्रिय सरकार ने काम किये हैं, उन्हीं का वर्णन है। ऐसे काम हुए हैं जो बहुत ऐतिहासिक रहे हैं। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं, अभी कुछ दिनों पहले एक माननीय सांसद कह रहे थे कि जवाहर लाल नेहरू ने इतने पी एस यूज़ क्रिएट किये और डिस-इन्वेस्टमेंट किया। लाल बहादुर शास्त्री ने इतना किया, मनमोहन सिंह जी ने इतना किया, अटल बिहारी जी ने इतना किया, सबका उन्होंने बताया लेकिन मोदी जी के बारे में माननीय सांसद महोदय ने पार्लियामेंट में कहा कि मोदीजी ने एक भी पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग का क्रिएशन नहीं किया और अगर नहीं किया तो सारे के सारे जितने भी थे उन्होंने बेच दिये। हवाई जहाज बेच दी, रेल का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। जगह-जगह, जहां भी वह कर सकते थे, देश के मजदूरों के खिलाफ, देश के अनुसूचित जाति के खिलाफ, देश के दलितों के खिलाफ, देश के मुसलमानों के खिलाफ, देश के किसानों के खिलाफ सब उन्होंने किया। यहां तक कि अभी जो हमारे किसान तीन काले कानून को लेकर आन्दोलन पर थे, हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी में इतनी भी इनसानियत नहीं थी कि किसानों से आकर बात करें। तोमर जी को आगे कर दिया। वह खाली मीठी-मीठी बातें करते थे और कोई कान्क्रीट बात सामने नहीं आ रही थी और जब उनको यह लगा कि पांच राज्यों के चुनाव आ रहे हैं तो फिर डर कर तीन काले कानूनों को स्वत: ही वापस लिया, उनकी हार हुई।

इसी प्रकार से, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो अन्य बातें कही गई हैं, वह बिलकुल ऐसी बातें हैं, राज्य में जो कार्य हुए हैं, उनका सच्चा वर्णन है। कोरोना प्रबन्धन का कार्य सम्पूर्ण देश में सबसे उत्कृष्ट कार्य

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

हमारे मुख्य मंत्रीजी ने किये। उस उत्कृष्ट कोरोना प्रबन्धन की प्रशंसा माननीय प्रधान मंत्रीजी ने भी की, इतना ही नहीं, पूरे विश्व में इसका वर्णन हुआ, इसका बखान हुआ। कोरोना वारियर्स का जितना सम्मान राजस्थान राज्य में किया गया, डाक्टर्स का, नर्सेज का, सफाई कर्मचारियों का और अन्य जो भी फ्रन्ट लेवल पर जिन्होंने कोरोना के लिए काम किया, उन सबका बहुत सम्मान हमारे राज्य में हुआ। इसके लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। जनता की पूरी सहभागिता रही। जनता की पूरी सक्रियता रही और बिना किसी डर के कोरोना का मुकाबला हमारे राज्य में किया गया। राजस्थान राज्य में जो कोरोना प्रबन्धन किया गया, वह सराहनीय था। जहां बीजेपी का राज है, वहां बिलकुल नहीं किया गया।

इसी प्रकार आपदा से मानव जीवन और जीविका दोनों की रक्षा हमारे राज्य के माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने की। यह एक एक्जाम्पल है। बहुत बड़ी बात है कि जीविका और जीवन की सुरक्षा की। वह दिन हमको याद आता है, जब पलायन हो रहा था और हमारे किसान भाई, मजदूर भाई, हमारे दलित भाई नंगे पैरों से धूप में पैदल चलकर सड़क पर आ रहे थे, पैरों में छाले पड़ गये थे। राजस्थान की बाउण्ड्री पर उनका वार्म वेलकम किया गया, उनको चप्पलें दी गईं, उनको खाना दिया गया, उनको ट्रीटमेंट दिया गया। उनको घरों पर पहुंचाने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था थी, वह की गयी। हमें यह सुनकर बड़ी शर्म आती है कि जैसे ही वह यूपी में प्रवेश करने लगे या अन्य राज्यों में प्रवेश करने लगे तो वहां के मुख्य मंत्रीजी और वहां के बीजेपी के लोगों ने उनके घरों तक जाने में भी अड़चन पैदा की।

(भा.ज.पा. के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

और वहां से किराया भी वसूल किया उन्होंने, यह एक बहुत ही निन्दनीय बात है। राजस्थान में जरूरतमन्दों के लिये 33 लाख परिवारों को 5,500 रुपये के हिसाब से 1,815 करोड़ रुपये बांटे गये, यह कोई छोटी बात नहीं है। हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति उस समय जो थी, वह किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने कैसे प्रबन्ध किया, किस तरह से प्रबन्ध किया, यह वही जानते हैं। 1,815 करोड़ रुपये की व्यवस्था करना और 5,500 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से बांटना, 33 लाख परिवारों को बांटना, यह कोई छोटी बात नहीं है। RTPCR की नि:शुल्क व्यवस्था करना और जो भी जांच कराना चाहते थे, उनको निर्बाध रूप से जांच

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

कराने का जो काम था, वह भी किया। दवाइयों की उपलब्धता के लिये हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री महोदय ने हवाई जहाज तक का उपयोग किया और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन के सभी लोगों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध करायी गयीं। RUHS का जो कोरोना प्रबन्धन था, वह आज हमारे यहां जो बैठे हुए साथी हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। RUHS में जोरदार प्रबन्ध किया गया और इतना ही नहीं, 473 से अधिक जनरेटर प्लांट हमारे यहां राज्य में लगाये गये और 40 हजार आक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था करके एक हजार मीट्रिक टन आक्सीजन के उत्पादन क्षमता आज हमारे राज्य की हो गयी है। ईश्वर नहीं करे कि किसी प्रकार का कोई चैलेंज हमारे सामने आये, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी दुर्भाग्य से बात आती है तो हमारे राज्य में, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी ने आक्सीजन की इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है और हमें किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। 28 हजार आक्सीजन बेड्स और 6 हजार आई.सी.यू. बेड्स की सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है। अगर 2018 से इसकी हम तुलना करें तो पांच गुना व्यवस्था हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने राजस्थान राज्य में कर दी है।

कोविड टीकाकरण का अगर अपन देखें तो कोविड टीकाकरण में 03 फरवरी, 2022 तक 18 वर्ष से अधिक आयु के 5 करोड़ 28 लाख लोगों को प्रथम डोज और 4 करोड़ 6 लाख लोगों को द्वितीय डोज, 9 लाख 62 हजार लोगों को प्रिकाशन डोज लगायी जा चुकी है। इससे स्पष्ट होता है कि कोरोना प्रबन्धन के लिये, कोरोना की रोकथाम के लिये आगे हमको संकट का मुकाबला नहीं करना पड़े, इसके लिये निश्चित रूप से हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री बधाई के पात्र हैं। जब मेडिसिन की बात करें और आक्सीजन की बात करें, वैक्सीनेशन की बात करें तो दिल्ली की सरकार ने समय पर वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं कराये, यह एक बहुत बड़ी निन्दनीय बात है। जब बार-बार मांग की गयी तो उस मांग के बावजूद भी जो पूर्ति नहीं की गयी, उस पूर्ति को कैसे भी करके हमारे राज्य ने व्यवस्था की। अगर कहीं कमी भी रही तो भी बड़े धैर्य के साथ, बड़े उत्साह के साथ माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने, राजस्थान की पूरी टीम ने, हमारे डाक्टर्स ने, हमारे फ्रंट वर्कर्स ने इसके लिये संघर्ष किया।

(भाजपा के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आमजन की चिकित्सा सुविधा के लिये कई कठोर कदम, कई लोकप्रिय कदम माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उठाये हैं। अगर आप देखें कि यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज के लिये एक इंश्योरेंस की योजना लाये, जिसके लिये 1597 पैकेज और प्रोसीजर सम्मिलित किये गये, जिसका नाम 'चिरंजीवी योजना' रखा गया। आज हम गर्व से कहते हैं कि 'चिरंजीवी योजना' के अन्तर्गत 01 करोड़ 33 लाख परिवारों को जोड़ा जा चुका है और इतना ही नहीं, यह योजना कोई काल्पनिक योजना नहीं है, 7 लाख 41 हजार से अधिक मरीजों का इलाज करके 930 करोड़ रुपये का खर्चा 'चिरंजीवी योजना' के अन्तर्गत राज्य सरकार ने किया है ताकि उन लोगों को, जिनको इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं है, मुफ्त इलाज मिल सके और 'चिरंजीवी योजना' से वह फायदा उठा सकें।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दवा योजना में कैंसर, हार्ट रोग, डायबिटीज आदि गम्भीर बीमारियों को भी सम्मिलित किया है। मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सा संस्थानों में 969, सैटेलाइट अस्पतालों में 844, सी.एच.सी. में 635, पी.एच.सी. में 414 और सब-सेंटर्स में 50 तरह की दवाइयां और टैस्ट वगैरह का इन्तजाम किया गया है। इसी तरह मेडिकल कालेजेज में जो स्पेशिलिटी ब्लाक हैं, उनका विस्तार किया गया है, उनका विकास किया गया है।

हमारे राज्य में एक नई और बात की गयी है कि जहां-जहां नर्सेज का प्रशिक्षण सेंटर नहीं था, वहां सब जगह प्रशिक्षण सेंटर खोले गये हैं ताकि मेडिकल सैक्टर में नर्सेज की कमी नहीं आये। 33 जिलों में से 30 जिलों में हमारे मेडिकल कालेज खोले जा रहे हैं ताकि डाक्टर्स की कमी नहीं आये। हैल्थ के सैक्टर में राजस्थान में जो काम किया गया है, उसके लिये हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी बधाई के पात्र हैं और यह राजस्थान में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में एक बहुत बड़ा उदाहरण है।

आयुर्वेद का प्रचार-प्रसार आजकल बड़ा लोकप्रिय हो रहा है, तो 500 सेंटर्स आयुर्वेद हैल्थ और वैलनेस के भी हमारे राज्य में खोले गये हैं, इसके लिये भी राज्य सरकार बधाई की पात्र है।

(भाजपा के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय नवाचार करते रहते हैं, नये-नये

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। यह कोई असत्य नहीं, यह सत्य है, आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए। नवाचारों ने यूनिवर्सल हैल्थ इंश्योरेंस स्कीम, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस, सोशल साइंसेज स्थापित की गयी है, शांति और अहिंसा का जो प्रकोष्ठ है, उसको अपग्रेड करके शांति और अहिंसा निदेशालय बनाया गया है। इसी प्रकार सिलिकोसिस बीमारी के लिये सिलिकोसिस की नीति बनायी गयी है। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु तीन वर्ष तक उद्यम विभिन्न विभागों की स्वीकृतियों और निरीक्षण से मुक्त किये गये हैं।

सहकारी फसल ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना 2019 से प्रारम्भ की गयी है।

राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेताओं को आउट आफ टर्न नियुक्ति प्रदान की गयी है और राज्य के खेल जगत में जिन खिलाड़ियों ने हमारे राज्य का सम्मान बढ़ाया है, जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और कांस्य पदक लेकर आये हैं, उनको करोड़ों रुपये और अन्य सुविधाएं दी गयी हैं। वह हमारा गर्व हैं, हमें उन लोगों पर गर्व है और आगे भी जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनको नौकरियों में प्राथमिकता दी जा रही है, रिजर्वेशन भी है।

इसी प्रकार जो दिव्यांग हैं, उनके लिये प्रमोशंस में भी 4 प्रतिशत रिजर्वेशन की व्यवस्था की गयी है, जोकि एक मानवीय दृष्टिकोण भी है और जरूरी भी था।

अम्बेडकर मूर्ति पर, इन लोगों को मानसिकता देखिए, 10 दिन पहले अम्बेडकर की मूर्ति पर कालिख पोती गयी कोटा के एक गांव में और विधान सभा में 10 दिन पहले यह काम किया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर न केवल हमारे राज्य के, न केवल हमारे देश के, बल्कि विश्व की एक महान् विभूति थी। उनकी मूर्ति पर कालिख पोतना एक बहुत गम्भीर बात है और जिन्होंने कालिख पोती, वह इन्हीं की मानसिकता के थे, इन्हीं की विचारधारा के थे, हम इनकी घोर निन्दा करते हैं।

सामाजिक न्याय की दृष्टि से अगर देखें तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कोरोना सहायता योजना प्रारम्भ की और लाखों परिवारों को एक-एक लाख रुपये, परिवार का जो मुखिया था, उनकी डैथ हो गयी, उनके लिये व्यवस्था की, उनके बच्चों के लिये व्यवस्था की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चालू की गयी। इसी प्रकार 'प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान'

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

के तहत लाखों पट्टे दिये गये। लाखों इन्तकाल चढ़ाये गये और दूसरे भी किसी प्रकार के ट्रांसफर हुए, जो प्रभावित नहीं थे, राजस्व रिकार्ड में उनकी एंट्री की गयी।

पालनहार योजना उन लोगों पर लागू की गयी, जो बच्चे निराश्रित हो गये थे, कोरोना के कारण से उनको इसका लाभ दिया गया।

ट्रांसजेण्डर्स की पहले कोई व्यवस्था नहीं थी। ट्रांसजेण्डर्स के लिये भी एक उत्थान कोष की व्यवस्था हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने की है, जो एक बहुत ही सराहनीय बात है।

देवनारायण योजना, हमारे लिये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और राज्य का एक बहुत बड़ा तबका है, बल्कि देवनारायण भगवान को तो सभी मानते हैं। उनके नाम से एक योजना यहां पर चालू की गयी, उसके लिये भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं।

इसी तरह एक योजना सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, 2021 में चालू की गयी और मुख्य मंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जो शिड्यूल्ड कास्ट के बच्चों को देने की है, उसके लिये बहुत बड़े इन्तजाम किये गये। इसके लिये भी मुख्य मंत्रीजी बधाई के पात्र हैं।

माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अपने अभिभाषण में इन चीजों का जो वर्णन किया गया है, वह कोई हवाई बात नहीं है, वे वास्तविक बातें हैं। अगर आप लोग सुनना चाहें तो सुन लीजिये। महिलाओं और बालिकाओं की स्वायत्तता, गरिमा और उनके मानवीय अधिकारों की सुरक्षा के लिये और उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिये और उनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने, राजस्थान की सरकार ने नई महिला नीति अप्रैल, 2021 से लागू की है।

उनके स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए, महिला एवं किशोरियों के लिये जो आई.एम. शक्ति उड़ान योजना 19 दिसम्बर, 2021 से की गयी है, उसमें 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह एक बहुत बड़ी बात है। यह जो महिलाओं के विकास के लिये, उनके सशक्तीकरण के लिये जो उड़ान योजना लागू की गयी है, आपको हो सकता है कि पसन्द नहीं आ रही हो क्योंकि आप महिला विरोधी हैं। लेकिन हमें पसन्द आती है। कांग्रेस की सरकार को पसन्द आती है इसलिए वह योजना चालू की गयी है।

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

इन्दिरा रसोई योजना की बात करें तो आप लोग एक सड़क के किनारे खड़े होकर के नाश्ता कराते थे। उसमें मक्खियां भिनभिनाती थीं। लोग बीमार हो जाते थे। हमारी इन्दिरा योजना के अन्तर्गत प्रेम से बैठकर, अन्दर बैठकर साफ-सुथरा भोजन कराया जाता है। लाखों लोगों ने इसका लाभ उठाया है। मैं इसके लिए हमारी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। राजीव गांधी जल संचय योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। राजस्थान में पानी की व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। राजीव गांधी संचय योजना भी प्रमुख रूप से राजस्थान में टेकअप की गयी है।

प्रमुख धार्मिक पर्यटन सर्किट तथा शेखावाटी पर्यटन सर्किट के विकास हेतु 149 करोड़ 72 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। राजस्थान पर्यटन नीति, 2020 के तहत गेस्ट हाउस स्कीम, 2021 तथा राजस्थान होम स्टेट योजना, 2021 लागू की है। राजस्थान में बिना किसी दिक्कत के निर्बाध रूप से बिना किसी दिक्कत के एफआईआर लॉज करने का प्रावधान माननीय मुख्य मंत्री महोदय की संवेदनशील नीतियों के कारण हुआ है। राज्य सरकार की अपराध विरोधी नीतियों के कारण हुआ है। आपके समय में एफआईआर लॉज होती ही नहीं थी। इसके ऊपर कहना यह कि हमारे टाइम में अपराध कम होता है। अब जो भी अपराध होता है उसकी शत प्रतिशत एफआईआर लॉज होती है। नतीजा जो भी होता है। इन्वेस्टिगेशन जो भी होता है, वह होता रहेगा। लेकिन एक गरीब को, एक दलित को, एक किसान को, एक कमजोर व्यक्ति को इस बात का सामना नहीं करना पड़ता कि उसके साथ कोई अपराध हो गया हो, उसके साथ कोई गलत काम हो गया हो और उसकी एफआईआर के लिये भी उसको नीचा देखना पड़े।

नयी सौर ऊर्जा नीति की बात करें तो 8420 मेगावाट सोलर क्षमता का विकास राजस्थान राज्य में हुआ है। यह एक बहुत ही नयी बात है। एनर्जी के सेक्टर में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। 16 लाख से अधिक घरेलू कनेक्शन जारी किये गये हैं। इन 3 वर्षों में 43870 करोड़ का अनुदान देकर किसानों को राहत प्रदान की गयी है। यह आंकड़े नहीं हैं। यह यथार्थ हैं। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 35 हजार से अधिक गांवों में 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत लगाकर के 86 लाख से अधिक घर-घर कनेक्शन देने की स्वीकृति जारी की गयी है।

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

माननीय सभापति महोदय, मैंने पिछले सत्र में यह निवेदन किया था कि जिस प्रकार के हिल स्टेट्स हैं, जिस प्रकार से दूसरे विषमता वाले स्टेट्स हैं, राजस्थान भी एक डेजर्ट स्टेट है। राजस्थान में कई तरह की प्रोब्लम हैं। राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। हमारे यहां के जो जोधपुर से एम.पी. चुनकर गये हैं, वह भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री हैं। उनसे विशेष पैकेज की मांग राजस्थान सरकार ने की। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने, हमारे जल संसाधन मंत्री महोदय ने वहां तक बात पहुंचायी। हमने कहा कि 50 परसेंट का देते हैं। जो कठिनाई वाले स्टेट हैं, विषमता वाले स्टेट हैं, उनमें कहीं आप 90:10 का औसत दे रहे हैं। कहीं आप 80:20 का दे रहे हैं। कहीं आप 70:30 का दे रहे हैं। हमें 50:50 का क्यों दे रहे हैं। जब हमारे यहां का एम.पी. चुनकर गया हो तो उनका धर्म बनता है, उनका कर्तव्य बनता है। मोदी जी में जरा भी संवेदनशीलता है, 25 सांसद यहां से चुनकर गये हैं, इस बात को भी उन्होंने ध्यान में नहीं रखा। हमें 50:50 का दे रहे हैं। 50 परसेंट स्टेट का और 50 परसेंट गवर्नमेंट आफ इण्डिया का। यह हमारे साथ में सरासर अन्याय है। यह बहुत बड़ी विषमता है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से राज्य में सड़कों के नवनिर्माण और सुदृढ़ीकरण हेतु सरकार ने 16935 करोड़ रुपये व्यय किये हैं। 5794 किलोमीटर लम्बाई की नवीन सड़कों का, 860 किलोमीटर लम्बाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का तथा 4689 किलोमीटर लम्बाई के राज्य राजमार्गों का विकास किया है। इसी प्रकार से 26548 किलोमीटर की लम्बाई में ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है।

राज्य की आर्थिक स्थिति बिलकुल खराब थी। फिर भी इतना बड़ा काम करना कोई छोटी बात नहीं है। भारत में सूचना क्रांति के जनक पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी हैं। ई-गवर्नेंस और आईटी का लाभ देने हेतु जो सपना देखा था, आज राजस्थान सरकार ने ही उसको साकार किया है। हमारी सरकार संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन की प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। प्रौद्योगिकी विकास कर रही है, ई-गवर्नेंस पर काम किया जा रहा है, वह राजीव गांधी जी ने जो सपना देखा था, उसको साकार किया जा रहा है। जो मोदी जी नहीं कर पाये, उससे कहीं ज्यादा राजस्थान में ई-गवर्नेंस से काम किया जा रहा है।

राजस्थान फाउण्डेशन द्वारा 4 सितम्बर, 2021 से 'मिलिये सरकार से' एक अनूठी योजना स्वीकार की थी। जिसके अन्तर्गत प्रवासी राजस्थानी

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

राज्य के मंत्रियों से सीधा सम्पर्क करके निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी ले सकते थे और अपना सुझाव दे सकते थे। वह एक बहुत बड़ी योजना है। किसी राज्य में ऐसा नहीं किया गया है। राजस्थान में अगर कोई भी इनवेस्टमेन्ट करना चाहता है, वह बिलकुल फ्री है। वन स्टाप शाप प्रणाली के अन्तर्गत ऑनलाइन पोर्टल राजनिवेश के आवेदन प्राप्त हुए हैं। वन स्टाप शाप प्रणाली यहां लागू की गयी है।

रीको के सराहनीय प्रदर्शन और देश के आर्थिक विकास में बुनियादी ढांचे की उन्नति की दिशा में जो उत्कृष्ट कार्य किया है, 6 दिसम्बर, 2021 को पुडुचेरी में राष्ट्रीय पुरस्कार हमारे लिये गर्व की बात है कि रीको को दिया गया है। यह एक बहुत बड़ी बात है।

मुख्य मंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना, 2019 के अन्तर्गत सूक्ष्म और लघु उद्योगों के उद्यमियों को करोड़ों रुपयों के ऋण उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जो हमारी महत्वाकांक्षी रिफाइनरी योजना है, जिसको बीजेपी ने पीछे कर दिया था, उसके अन्तर्गत 11895 रुपये का व्यय कर दिया है। वह हमारे लिये एक बहुत बड़ी जीवन दायिनी होगी। पत्रकारों के लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत बड़ा काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के इस शानदार और जानदार अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घण्टा बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घण्टा बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घण्टा बढ़ाया गया।

श्री राजकुमार रोत।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, आज आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का जो अवसर दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

वर्तमान में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अभी जो पक्ष और विपक्ष का चल रहा है कि हम डाल-डाल, हम पात-पात, इधर से डाल-डाल, उधर से पात-पात। वर्तमान में सरकार मजबूत स्थिति में खड़ी हुई है।

अभी 3 दिन से जो दिख रहा है कि राजस्थान की जनता ने इनको चुनकर भेजा था कि हमारी समस्याओं को विधान सभा के पटल पर रखेंगे। हमारे क्षेत्र की जो मांग है उसको विधान सभा में रखेंगे। इस जनता की बात को विधान सभा तक पहुंचायेंगे। इस बात के लिए राजस्थान की जनता ने इस सदन में भेजा। लेकिन यह जो 2-3 दिन से ड्रामा चल रहा है, उससे कहीं न कहीं इस लोकतंत्र की हत्या की जा रही है।

अभी देश के अन्दर कोरोना जैसी महामारी आयी। कोरोना जैसी महामारी में इस राज्य सरकार ने इस राज्य के लोगों की सेवा की।

मैं डूंगरपुर के चौरासी विधान सभा क्षेत्र से आता हूं। मेरा जो इलाका है वह गुजरात बार्डर से सटा हुआ है। वर्तमान में गुजरात में बीजेपी की सरकार है। जब कोरोना की दूसरी लहर आयी तो इस देश के मजदूर और गरीब वर्ग के साथ केन्द्र ने क्या स्थिति की।

(समय: 17.00 बजे)

अगर देख सकते उस रात को, हमारे प्रधान मंत्री आधी रात को फैसला करते हैं और एक आदेश पारित करते हैं कि किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, अगर मूवमेंट होता है तो सम्बन्धित जिला कलेक्टर, जिला एसपी पर कार्यवाही होगी। ऐसा आधी रात को उठकर हमारे देश के प्रधान मंत्री और गृह मंत्री कहते हैं और उस समय देश के लोगों की स्थिति बनी थी, मैंने मेरी आंखों से देखा है गुजरात बोर्डर पर, उनकी वजह से गुजरात से लोगों को पशुओं की तरह बाहर इधर फेंका जा रहा था और इधर के भी कलेक्टरों की मजबूरी थी क्योंकि प्रधान मंत्रीजी ने आदेश पारित किया था, उन लोगों की स्थिति खराब हो गयी थी,

(श्री राजकुमार रोत)

कोरोना काल के अन्दर ये जो बात है, हम आजाद भारत के अन्दर रह रहे हैं, हमारा देश 1947 में आजाद हो गया और हम कहते हैं कि हमारे लोग हैं उन लोगों की हम सेवा कर रहे हैं, इस देश में जो राज है वह लोगों के हाथ में है लेकिन स्थिति यह बनी हुई है और हमें गम्भीरता से सोचना पड़ेगा कि हमारे देश की जो चिकित्सा व्यवस्था है, हमारे देश की जो गरीबों की स्थिति है, हमारे देश के मजदूरों की जो स्थिति है, कमजोर वर्ग के लोगों की जो स्थिति है, वह किस स्थिति में हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के सभी विधायकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि कोरोना काल आया और उस काल में सबसे भयंकर स्थिति बनी हुई थी कि आक्सीजन की जरूरत होती थी। हर मरीज को और राजस्थान सरकार ने आक्सीजन की व्यवस्था करवायी और सारे विधायकों ने आक्सीजन के लिए अपने विधायक कोटे से बजट दिया उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज राज्य सरकार ने एक चिरंजीवी योजना लागू की, उस चिरंजीवी योजना से कई भयंकर बीमारियों के इलाज को जोड़ा गया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन हमारे डूंगरपुर जिले में अभी वर्तमान में यह स्थिति बनी हुई है, हमारे यहां चिकित्सा मंत्री जी बैठे हुए हैं, राजस्थान की जनता और हमारे डूंगरपुर की जनता में यह कंफ्यूजन है कि हमारा सीएमएचओ कौन है। क्योंकि दो-दो सीएमएचओ हैं। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति, आज राज्य में कांग्रेस की सरकार है लेकिन डूंगरपुर जिले के अन्दर बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी चिकित्सा व्यवस्था में, वे सारी चिकित्सा व्यवस्था को बिगाड रहे हैं, अभी कंफ्यूजन है क्योंकि दो-दो सीएमएचओ हैं, मैं ऐसे वक्त में कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस पर फैसला ले और सही व्यक्ति को नियुक्ति दे।

माननीय सभापति महोदय, देश में एक माहौल था किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो कोई भी व्यक्ति मदद के लिए नहीं जाता था क्योंकि उसे यह डर होता था कि मदद के लिए जायेंगे तो पुलिस हमसे बयान मांगेगी, हमारे पीछे पड़ी रहेगी, अगर किसी की दुर्घटना होती है तो कोई भी आम व्यक्ति उसको मदद करेगा तो उसको 5000 रुपये मिलेंगे, प्रशस्ति पत्र मिलेगा, यह बहुत बढ़िया योजना लागू की। मैं सारे नेता और प्रशासनिक

(श्री राजकुमार रोत)

अधिकारियों को कहना चाहूंगा कि आम जनता तक इस योजना का फायदा नहीं पहुंचाया गया है। हमें राज्य सरकार की योजना को धरातल पर लागू करने में सभी को मदद करने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर डूंगरपुर जिले में चिकित्सा व्यवस्था में सफाईकर्मियों की जो स्थिति बनी हुई है, इस प्रदेश में देखा जाये या देश में देखा जाये तो एक प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू सारे डिपार्टमेंटों में कार्मिक लगाने की जो व्यवस्था, वह व्यवस्था कहीं न कहीं हमारे देश को, हमारी चिकित्सा व्यवस्था को खतम कर रही है। हमारे जिले में आकांक्षा कंसलटेंसी एजेंसी बनी हुई है, उसकी ओर से सफाई कर्मचारी लगाये हुए हैं, वे सफाई कर्मचारी को 3000 रुपये मासिक वेतन दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में पूरे जिले की सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है तो मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस व्यवस्था को सुधारा जाये।

माननीय सभापति महोदय, हमारा जो जिला है वो गुजरात बोर्डर से सटा हुआ है और हमारे लोग आज यह स्थिति बनी हुई कि कुछ भी छोटी मोटी समस्या होती है, हमारे सीमलवाड़ा सीएचसी पड़ती है, उसको उप जिला चिकित्सालय बनाया जाये। इस बजट घोषणा में शामिल किया जाये तो हमारे क्षेत्र के लोग और हम आभारी रहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, कल ही एक पत्र जारी हुआ है। सिकल सेल एनीमिया नामक एक बीमारी है जो अधिकतर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में फैली हुई है। इस बीमारी के बारे में आम लोग अनभिज्ञ हैं लेकिन मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सिकल सेल एनीमिया मरीजों को दिव्यांग की श्रेणी में लाने का काम किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह ऐसी भयंकर बीमारी है और मैं कहना चाहूंगा कि इसके इलाज के लिए एक इंजेक्शन आता है, प्रत्येक माह इंजेक्शन लगता है वह एक लाख रुपये का एक इंजेक्शन आता है। गरीब व्यक्ति ऐसे इलाज नहीं करवा पायेगा तो राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि ऐसी बीमारियों के लिए विशेष पैकेज लाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, अभी शिक्षा को लेकर काफी बात हो रही है। कल, हमारे सदस्य कामरेड आते हैं, उन्होंने कहा था कि देश में जहां पर बीजेपी है वहां पर स्कूल खोले जायें और स्कूल खोले जायें तो बच्चे पढ़ेंगे तो

(श्री राजकुमार रोत)

इलाके में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। यह स्थिति हमको देखने को मिल रही है। हमारे उदयपुर सम्भाग में और हम चाहेंगे, आज बड़े दु:ख की बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में कालीबाई भील ऐसी बालिका थी, उस बालिका ने अपने गुरु को बचाने के लिए और अपनी शिक्षा के लिए, अपनी जान की बलि दी, उसको अंग्रेजी शासन काल में वहां के अंग्रेजी रजवाड़ों ने गोलियां चलायीं और उन्होंने अपनी जान गंवायी लेकिन बड़े दु:ख की बात है कि पिछली बार हमारे राज्य की जो मुख्य मंत्री थीं वो एक महिला थीं, उन्होंने इस राज्य की कई स्कूलें बन्द कीं और उनमें एक स्कूल हमारे कालीबाई के नाम से रास्ता पाल के अन्दर कालीबाई का जो जन्म स्थान था, वहां पर स्कूल खुली थी, उस स्कूल को बन्द करने का काम किया इन्होंने। यह सोचने की बात है। हमारा जो डूंगरपुर जिला है राजस्थान के अन्दर सबसे अधिक लिंगानुपात है, राजस्थान के अन्दर अगर सबसे अधिक लिंगानुपात है तो वह डूंगरपुर जिले के अन्दर है। सबसे अधिक बालिकाओं की, महिलाओं की संख्या डूंगरपुर जिले में है लेकिन मैं दोनों सरकारों को कहना चाहूंगा कि इसके लिए किसी ने कोई विशेष अभियान नहीं चलाया और पिछली सरकार ने कालीबाई के नाम से जो स्कूल थी उसको भी बन्द करने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर शिक्षा मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि हमारे डूंगरपुर जिले के अन्दर बालिकाओं की सबसे अधिक संख्या है तो हमारे चौरासी विधान सभा क्षेत्र में अधिक से अधिक बालिका स्कूल और बालिका महाविद्यालय खोलने का काम किया जाये। राज्य सरकार ने स्कूटी वितरण का जो काम किया और उसका नाम कालीबाई भील जो दिया गया उसके लिए आदिवासी समाज उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार एक योजना लायी कि जिस विद्यालय के अन्दर 500 से अधिक बालिकाएं होंगी, उस बालिका विद्यालय को हम महाविद्यालय की श्रेणी में लाना चाहेंगे, इसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा और साथ ही मांग करूंगा कि हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां पर ऐसी भौगोलिक स्थिति है तो वहां पर इस बार इस बजट में घोषणा की जाये कि जिस विद्यालय में 300 बालिकाओं का नामांकन है वहां पर भी महाविद्यालय खोला जायेगा, उस अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में यह व्यवस्था की जाये।

माननीय सभापति महोदय, अभी आदिवासी बहुल क्षेत्र जो है वहां पर

(श्री राजकुमार रोत)

बच्चे तीरन्दाजी के क्षेत्र में काफी दक्ष हैं, उस इलाके से आर्चरी में काफी लोग निकले हैं, एक प्रसिद्ध लिम्बाराम, नरेशजी हैं, ऐसे कई लोग जो निकले हैं और इंटरनेशनल लेवल पर खेले हैं और आदिवासी क्षेत्र का, पूरे देश का नाम रोशन किया है। पिछली बजट घोषणा में आर्चरी एकेडमी खोली गयी, उसके लिए हम धन्यवाद अर्पित करना चाहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एकेडमी तो खोल दी गयी है लेकिन इसके अन्दर जो सामग्री है उसको जल्दी से जल्दी, हमारे खेल मंत्री आज हैं नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि उस सामग्री को जल्दी से जल्दी वहां भिजवाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, हमारा डूंगरपुर जिला है, मैंने शुरुआत में कहा था कि इधर डाल-डाल, उधर पात-पात, एक गम्भीर स्थिति बनी हुई है कि वहां पर, मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहूंगा और राजस्थान की जनता को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के सारे नेता कहते हैं कि बीजेपी से देश को खतरा है, बीजेपी देश के लिए घातक है लेकिन हमारे डूंगरपुर जिले के अन्दर हमारे कुछ ऐसे कांग्रेस के लोग हैं जो कांग्रेस का मुखौटा पहने हैं और बीजेपी के हैं, उन लोगों ने कांग्रेस के सदस्य बीजेपी को देकर बीजेपी का जिला प्रमुख बनाने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, एक जो गरीब व्यक्ति था, एक जो बुजुर्ग व्यक्ति था, जो देश आजाद हुआ, उसके बाद से लगाकर आज तक कांग्रेस पार्टी को वोट देता रहा।

उस आदमी पर क्या गुजरी होगी अगर यह स्थिति बनी। मैं इस सदन के माध्यम से हमारे उन नेता को अवगत कराना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य हैं और बीजेपी को वोट देकर जिला प्रमुख बनाया है, ऐसे लोगों को पार्टी से बर्खास्त किया जाये और वहां पर हम चाहेंगे कि आम सहमति से लोकतंत्र की जो भावना है, लोग जिसे चाहेंगे, उसे जिला प्रमुख बनाया जाये।

(भाजपा के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, पिछली बजट घोषणा में हम कहते हैं कि हमारे देश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। कई बार देखने को मिलता है, कई जगहों पर गैंगरेप जैसी घटनाएं होती हैं। अधिकतर यह देखा गया है,

(श्री राजकुमार रोत)

यह सच्चाई है कि कहीं भी ऐसा हुआ तो कोई भी नेता हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वह अपने वोट बैंक को लेकर मुद्दा बनाती है, माहौल बनाती है। वह उस पीड़िता के साथ अन्याय करती है, उसका नाम बदनाम करती है और अपने वोट बैंक के लिए माहौल बनाती है, लेकिन पिछली बार सरकार ने राज्य में जो नयी महिला नीति लागू की, उसके लिए मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ में यह बताना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ जिले में एक ऐसा माहौल बना, मुझे खुशी होती इस बात के लिए अगर आज जितने बीजेपी के विधायक हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं जो उदयपुर सम्भाग से आते हैं, प्रतापगढ़ में एक ऐसी घटना हुई।

मुझे और हमारे पूरे आदिवासी बहुल क्षेत्र को खुशी होती कि प्रतापगढ़ के गैंगरेप की घटना को यदि बीजेपी उठाती तो हमें समझ में आता, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि वहां पर जो सीआई लगे हुए थे, उन्होंने एक डकैती के मामले में कुछ मुल्जिमों को गिरफ्तार किया और उनके मोबाइल जब्त किये। मोबाइल में 30 से 35 नाबालिग बालिकाओं के साथ बलात्कार के वीडियो थे। यह मैं नहीं कह रहा, वहां के पुलिस अधिकारियों ने मीडिया में बयान दिया। उस बयान में कहा गया है कि उन लड़कों के पास 30 से 35 नाबालिग बालिकाओं के वीडियो थे, लेकिन हुआ क्या? विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने भी जाकर उलटा काम किया कि जिस पुलिस अधिकारी ने निष्पक्ष काम किया, उसे निलम्बित कराने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं जब विधान सभा में आया तो मैंने शपथ ली कि हम संविधान की, लोकतंत्र की पालना करेंगे और जो भी बोलेंगे, सही बोलेंगे। आज मैं सदन को बताना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ जिले में अभी बारह दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, यह आज की वर्तमान स्थिति में देखा जाये तो यह राज्य का सबसे बड़ा इश्यु है, लेकिन चूंकि बालिका आदिवासी थी, इसलिए इस मामले को नहीं उठाया जा रहा है। एक-दो बालिकाएं नहीं, 30 से 35 बालिकाएं हैं। हमें खुशी होती यदि इस बात को विपक्ष उठाता। सरकार से हम कहना चाहेंगे कि ऐसे अधिकारियों को भी बर्खास्त किया जाये जो पार्टी और सरकार को बदनाम करते हैं और गलत लोगों का साथ देते हैं, ऐसे दरिन्दों को आगे बढ़ाते हैं। इसका जो मास्टरमाइंड था, जो चोरी का माल खरीदता था, इस गैंग को पनाह देता था, ऐसे लोगों को बचाने का काम किया गया है।

(श्री राजकुमार रोत)

(भाजपा के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में राजस्थान सरकार ने संविदा कर्मियों के लिए एक कमेटी बनायी। हमारे मंत्री बी.डी. कल्ला जी को इसका अध्यक्ष बनाया। सारे संविदा कर्मियों को खुशी हुई कि हमारा कुछ न कुछ समाधान होगा। कई मामलों में प्रोग्रेस हुई, उसके लिए हम धन्यवाद अर्पित करेंगे, लेकिन ऐसे कई संविदा कर्मी हैं जो आज भी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार अपने कार्यकाल में इन संविदा कर्मियों पर विशेष ध्यान दे तो वे भी सरकार की ओर ध्यान देंगे।

माननीय सभापति महोदय, आज हमारा जो देश है, हमारे देश में नारे लगते हैं, "जय जवान, जय किसान।" हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसानों की देश में जो स्थिति बनी हुई है, यह बड़ी दु:खद बात है। मैं एक क्षेत्रीय पार्टी से आता हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि देश में किसानों की जो स्थिति बनी हुई है, हम देखते हैं कि किसान डेढ़ साल से दिल्ली हाई-वे पर बैठे हुए थे, हमारे माननीय सदस्य भी यहां बैठे हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय करो, उनके तीन दिन ही हुए और वे किसान डेढ़ साल से हाईवे पर बैठे हुए थे तो उनकी क्या स्थिति हुई होगी, वह सोचने की बात है।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य बेहोश हो गये, तीन दिन यहां पर नारे लगाये और बेहोश हो गये और किसान डेढ़ साल से वहां बैठे थे तो नरेन्द्र मोदी जी ने क्यों उनकी सुध नहीं ली, यह सोचने वाली बात है और इस देश की जनता समझ चुकी है। इस देश में जो माहौल बन रहा है, इस देश में जो गरीबों, आदिवासियों, पिछड़ों के खिलाफ, किसान कौम के खिलाफ सरकार जो कानून बना रही है, नियम बना रही है, इसे आज पूरे देश की जनता समझ चुकी है।

माननीय सभापति महोदय, एक खाद्य सुरक्षा की बात आती है कि हर गरीब को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जायेगा, हर गरीब को अनाज उपलब्ध कराया जायेगा, लेकिन आज दो साल हो गये, खाद्य सुरक्षा के लिए हमारे लोग आवेदन कर रहे हैं जिन्हें सख्त जरूरत है, लेकिन आज तक इन आवेदनों को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया और नये खाद्य सुरक्षा में लोगों को नहीं जोड़ा जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान सरकार इस पर विशेष ध्यान दे कि यह जो पंजाब है, बिहार है,

(श्री राजकुमार रोत)

हरियाणा है, वहां से हम गेहूं आयात करते हैं और हमारे लोगों को खिलाते हैं लेकिन हम यह चाहते हैं, राजस्थान की जनता यह चाहती है, राजस्थान का किसान यह चाहता है कि राजस्थान में जो गेहूं पक रहा है, राजस्थान में जो खेती हो रही है, वही अनाज राजस्थान सरकार खरीदे और खाद्य सुरक्षा में जो बंट रहा है, वह गरीबों को बांटे।

समझने की बात है कि पंजाब में सारा गेहूं जो पक रहा है, वह कहीं न कहीं यूरिया खाद से, जहरीले पानी से, जहरीले छिड़काव से पक रहा है, इससे हमारे राज्य के गरीब लोगों की स्थिति बिगड़ रही है। कई बार ऐसा गेहूं भी आता है कि पशु भी नहीं खाते हैं, पशुओं को भी खिलाने के लिए उन्हें धोना पड़ता है, धोकर पशु को देना पड़ता है, इस प्रकार के भी गेहूं आते हैं। राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करे। हम देखते हैं, हमारा जो प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, वहां काफी खेती होती है। वहां का एक गरीब किसान साल भर खेती करता है। अगर गेहूं का सीजन आया है, गेहूं करता है और गेहूं करने के बाद वह उस अनाज को तैयार करता है, तैयार करने के बाद मार्केट में लेकर दर-दर की ठोकरें खाता है, भाव पूछता है। जिन सेठों को, यह गेहूं कहां लग रहा है, यह गेहूं कहां पकता है, गेहूं को कितनी बार पानी पिलाना पड़ रहा है, वही नहीं पता है, वे बैठे-बैठे कहते हैं कि भाव उतर गये हैं अभी तो। यह क्या स्थिति बनी हुई है देश के किसानों की?

आज राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि इस बात को गम्भीरता से ले। मानते हैं, केन्द्र सरकार तो किसानों की हितैषी नहीं है, किसानों की विरोधी है, लेकिन राज्य सरकार इस चीज का ध्यान रखे और हमारे बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ में जो लोग हैं, राज्य सरकार मण्डी बनाये और वहां से जो किसान हैं, उन्हें किस वस्तु का कितना पैसा है, वह तय करके गरीब लोगों को जो अनाज पका रहे हैं, रात-दिन मजदूरी करते हैं, उन्हें पैसा देने का काम करे।

(भाजपा के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, राज्य में, विशेषकर हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र, यह जो आदिवासी समाज है, वह कृषि एवं पशुपालन से जुड़ा हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए मंत्री जी ने लगभग 10 से 12 उप-स्वास्थ्य केन्द्र दिये, पशु उप-स्वास्थ्य केन्द्र और कई किसान सेवा केन्द्र खोले, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन साथ ही राज्य सरकार का एक विषय की ओर

(श्री राजकुमार रोत)

ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि उस इलाके में अभी एक जंगली बबूल और एक-दो ऐसी प्रजातियां पायी गयी हैं, उनकी वजह से हमारे इलाके में और देखा जाये तो पूरे राजस्थान में जो पशु धन है, वह धीरे-धीरे खतम होता जा रहा है। वह एक ऐसी जहरीली चीज है। राज्य सरकार इसकी व्यवस्था करे।

हमारे ये जो सदस्य बोल रहे हैं, इनसे भी कहना चाहूंगा कि ऐसे विषयों पर ध्यान दें, गरीबों, आदिवासियों पर ध्यान दें, उनके इश्युज पर ध्यान दें, लेकिन ये देते नहीं हैं। सिर्फ चिल्लाना जानते हैं। कोरोना आया, देश में तालियां बजा दीं, देश में थालियां बजा दीं और देश के लोगों से कहा कि ताली-थाली बजाने से कोरोना चला जायेगा। यह समझने की बात है। ये कौन-सी सदी में जी रहे हैं? ये कौन-से अंधविश्वास की सदी में जी रहे हैं, समझने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे टीएडी मंत्री महोदय बैठे हुए हैं। केन्द्र सरकार के द्वारा संविधान में एक प्रावधान किया गया है कि पूरे भारत में जो शिड्यूल 5 और शिड्यूल 6 है, केन्द्र सरकार का जो बजट है, उस बजट को सभी शिड्यूल 5 और 6 इलाकों में एक निश्चित मात्रा में तय किया हुआ है, वह देना होता है, लेकिन केन्द्र सरकार ने राजस्थान के आदिवासियों के लिए जो बजट आता है, वह संविधान में प्रावधान है, उस बजट को भी उन्होंने नहीं दिया है। हमारे मंत्री महोदय आज गरीबी-सी महसूस कर रहे हैं। वे अपने इलाके के लोगों के काम नहीं करा पा रहे हैं। हम भी जाते हैं तो कहते हैं, केन्द्र सरकार बजट नहीं दे रही है तो हमारे इन माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा और हमारे डूंगरपुरबांसवाड़ा के विधायकों और राजस्थान के जो 25 सांसद गये हैं, उन सांसदों से कहना चाहूंगा कि जब आदिवासियों की बात आती है तो बड़े-बड़े कार्यक्रम करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक सोचने की बात है, समझने की बात है कि बीजेपी के अन्दर यह कटु सत्य है कि बीजेपी का जो विधायक होता है, सांसद होता है उनको आदिवासी शब्द नहीं बोलने दिया है, उनको क्या कहा जाता है, वनवासी कहा जाता है। वनवासी कल्याण परिषद् है, आदिवासी इलाके के अन्दर उन्होंने लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए गांव-गांव, सब जगह वनवासी कल्याण परिषद् की दुकानें खोली हैं और स्कूलों को बन्द करने का काम पिछली सरकार ने किया है। आज झाड़ोल-फलासियां इलाका है, हर बार न्यूज में आता है, हमारे बीजेपी के दिग्गज नेता राजनीति करने के

(श्री राजकुमार रोत)

लिए हर बार वहां चले जाते हैं लेकिन उन्होंने उस इलाके में क्या किया? स्कूलें बन्द करने का काम किया है और आरएसएस की वनवासी कल्याण परिषद् की शाखाएं खोलने का काम किया है। अब समय दूर नहीं रहा है कि आदिवासी इलाका, एससी समाज हो, गरीब समाज हो, पिछड़ा समाज हो, वह उनकी जो चाल और नीतियां हैं, उनको समझने लग गये हैं और बहुत जल्दी उस इलाके में उनका खाता भी नहीं खुलने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, आज वर्तमान में राज्य सरकार ने प्रत्येक विधायक को 5-5 करोड़ रुपये की मिसिंग लिंक सड़कों का काम दिया है। मैं हमारे मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सभी विधायको को, भले ही वह बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या निर्दलीय हो या क्षेत्रीय पार्टी का हो, सबको 5-5 करोड़ रुपये की मिसिंग लिंक सड़कें देने का काम किया है। हम चाहेंगे कि इसमें एक व्यवस्था बनी हुई है कि कोई भी सरकार हो, इस सरकार ने भी दिया, लेकिन जो एक ठेकेदार होता है, वह मान लो 100 रुपये की है, पर वह कहता है कि मैं इसको 50 रुपये में पूरी कर दूंगा तो वह 50 परसेंट बिलो में उस सड़क को लेता है और घटिया सामग्री का उपयोग करता है। ऐसे कई ठेकेदार होते हैं, ऐसे कई लोग होते हैं इसलिए मैं इस पार्टी से कहना चाहूंगा, इस सरकार से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को चिह्नित किया जाए कि कौन इस देश का हितैषी है, कौन इस संगठन का हितैषी है, कौन गरीबों का हितैषी है और ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाया जाए तथा बाकी लोग जो घटिया किस्म की सड़कें बनाते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

माननीय सभापति महोदय, अभी केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री सड़क योजना बनायी। उस प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत देश के अन्दर 500 की जनसंख्या वाले राजस्व गांवों में सड़क बनाने का नियम बनाया है। अब देश के अन्दर जो स्थिति बनी हुई है उसमें हर इलाके की भौगोलिक स्थिति अलग-अलग है। हमारा इलाका देखा जाए तो एक इस पहाड़ी पर, एक उस पहाड़ी पर गांव है और मुश्किल से कोई बहुत बड़ा राजस्व गांव होगा जिसमें मुश्किल से 250-300 की जनसंख्या होगी। तो राज्य सरकार केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजे और हमारे जो तालियां बजा रहे हैं उन सदस्यों को भी कहना चाहूंगा और राजस्थान के जो 25 सांसद चुनकर गये हैं, उनको कहना चाहूंगा कि आदिवासी इलाके के अन्दर 250 की जनसंख्या वाले राजस्व गांवों को भी प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ा जाये।

(श्री राजकुमार रोत)

माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में सहरिया जनजाति के लिए 100 दिवस का रोजगार था उसको 150 से 200 दिवस करने के लिए राज्य सरकार ने पहल की, उसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। लेकिन केन्द्र सरकार ने इस मामले में भी रोड़ा अटकाने का काम किया है। आज देश के अन्दर जितना गरीब वर्ग है, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है वह सारा का सारा नरेगा से जुड़ा हुआ है लेकिन लम्बे समय से जो एक मेट है, एक कारीगर है उसको भुगतान नहीं किया गया और केन्द्र सरकार उसका पैसा नहीं दे रही है। आज वह व्यक्ति छह महीने से दर-दर भटक रहा है और जिसको रोज की मजदूरी 200 रुपये मिल रही है तो वह क्या करेगा? माननीय सभापति महोदय, ऐसा जो जनता से जुड़ा हुआ है एक यह जो कानून बना हुआ है, रोजगार गारंटी कानून, मतलब व्यक्ति को रोजगार देना अनिवार्य है, परन्तु ऐसे मामलों में भी केन्द्र सरकार बजट देने में काफी आनाकानी करती है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे पंचायती राज मंत्री महोदय बैठे हुए हैं वे काफी सक्रिय रहते हैं, वे मेहनत करते हैं तो आज इस अवसर पर मैं चाहूंगा कि नरेगा की जो गाइडलाइन बनी हुई है उसके अन्दर विद्यालय के विकास का विषय जोड़ा जाये, विद्यालय की जो चारदीवारी है उसको जोड़ा जाये और हमारे वहां जो चरागाह भूमि है उसके विकास के लिए नरेगा के तहत काफी कार्य किया जाये।

साथ ही हमारे राज्य के अन्दर पिछले बजट में राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र में देखा जाए तो कई ऐसे बड़े काम किये जो काबिले तारीफ हैं। लेकिन साथ ही हम चाहेंगे कि नरेगा के अन्दर अनिवार्य किया जाए कि प्रत्येक राजस्व गांव में एक खेल मैदान होना चाहिए और वह नरेगा की गाइडलाइन में जोड़ा जाए। हमारे खेल मंत्री जी खेल में काफी रुचि रखते हैं और उन्होंने अच्छे काम किये हैं। हमारे डूंगरपुर में भी उन्होंने स्टेडियम दिया, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि उन्होंने ध्यानचन्द स्टेडियम एक योजना चलायी है और हमसे कह रहे हैं कि विधायक को भी 25-25 लाख रुपये देने चाहिए तो इसमें हम गुजारिश करना चाहेंगे कि इसमें थोड़ी कटौती की जाये और उनके कोटे से राज्य सरकार इस बार बजट घोषणा में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक-एक करे।

(श्री राजकुमार रोत)

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में जल-जीवन योजना चल रही है। जल-जीवन योजना के अन्तर्गत अब केन्द्र सरकार ने कह दिया है कि पूरे देश के लोगों को हम 2023 तक पानी देंगे और पूरे देश के लिए एक तरह का नियम बना दिया है। अब सोचने वाली बात है कि गुजरात की स्थिति अलग है, राजस्थान की स्थिति अलग है और पूर्वी भारत की स्थिति अलग है पर सभी जगह एक अनुपात में केन्द्र और राज्य का पैसा है। एक तरफ रेगिस्तान का इलाका है और हमारा इलाका पहाड़ी इलाका है तो केन्द्र सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि 80 परसेंट पैसा केन्द्र सरकार दे और 20 परसेंट पैसा राज्य सरकार पर थोपे तो हमें लगेगा कि केन्द्र सरकार देश हित में सभी लोगों को अच्छा पानी देने की व्यवस्था करना चाहती है।

माननीय सभापति महोदय, अभी वर्तमान में हमारे कडाणा से गेजी घाटा तक एक बड़ा प्रोजेक्ट था और हमारे क्षेत्र की जो मांग थी, उसमें सोचने की बात है कि हमारे लोगों ने चार दिन तक एक बड़ी जल यात्रा निकाली थी पर पिछली गवर्नमेंट ने उस काम को रोक दिया था कि इस पर गुजरात गवर्नमेंट का अधिकार है इसलिए हम पानी नहीं ले पायेंगे। लेकिन हमारे लोगों ने ठान लिया था, संघर्ष किया, चार दिन तक जल यात्रा निकाली और उस जल यात्रा के अन्तर्गत उन्होंने अपना संघर्ष किया, जिसकी राज्य सरकार ने बात मानी और वह सफल हुआ उसके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, राज्य के सभी पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनाने का निर्णय किया है। माननीय सभापति महोदय, इसमें कहना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन का देखा जाए तो कोरोना में भी अच्छा काम किया है, लेकिन एक सोचने की बात है कि वर्तमान में डूंगरपुर में पुलिस प्रशासन द्वारा प्रत्येक थाने को टार्गेट दिया जाता है कि आपको रोज 100 चालान काटने हैं। उस स्थिति में आज गरीब लोगों का, मजदूर लोगों का रोज सुबह से शाम नुकसान किया जा रहा है, उनसे चालान का पैसा वसूला जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, यह सोचने की बात है और आदिवासी समाज महसूस करता है कि भले कोई सरकार रही हो लेकिन आदिवासियों के लिए उन्होंने व्यवस्थित ध्यान नहीं दिया है। आज भी पुलिस प्रशासन के द्वारा लूटने का काम किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, यह कटु सत्य है और डूंगरपुर में स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हमारे डूंगरपुर के विधायक एक कांग्रेस सरकार के हैं और एक यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनको 9 घण्टे

(श्री राजकुमार रोत)

तक धरने पर बैठना पड़ा है ऐसी कार्यशैली डूंगरपुर पुलिस प्रशासन की बनी हुई है। आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को 9 घण्टे तक थाने के अन्दर धरने पर बैठना पड़ रहा है। यह बात समझनी पड़ेगी और इसके बावजूद भी हमारे वहां के पुलिस अधीक्षक उनसे वार्ता करने के लिए नहीं आते हैं तो यह कौनसी व्यवस्था बना रखी है? एक चीज महसूस होती है कि हमारे इलाके में विशेषकर देखा जाए तो कोई भी सरकार हो, उसमें आदिवासी समाज को कहीं न कहीं आड़े हाथों लिया गया है और उनकी बातों को, उनकी मांगों को नहीं सुनने का काम किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, बेरोजगारी को देखा जाए तो अभी एक सर्वे आया है, यह सरकार का आंकड़ा है, लोक सभा, राज्य सभा में एक क्वेश्चन की रिप्लाई में आया है कि पूरे भारत में 25 हजार लोगों ने खुदकुशी की है। इनमें 9 हजार बेरोजगार युवाओं ने खुदकुशी की है और 16 हजार लोगों ने आर्थिक तंगी को लेकर खुदकुशी की है। यह हमारे देश की स्थिति बनी हुई है, यह बेरोजगारों की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने चुनाव जीतने थे तो कह दिया कि हम यह करेंगे, वह करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आज बेरोजगारों की बात आती है, भर्तियों की बात आती है तो हमारा जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें एक ऐसा नियम बना रखा है, जो मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि जो थर्ड ग्रेड टीचर हैं, उन पर बैन लगा रखा है।

श्री सभापति: सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 14 फरवरी 2022 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.30 बजे सोमवार, दिनांक 14 फरवरी 2022 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अधूरे रहे तारांकित प्रश्नोत्तर का सम्पूर्ण विवरण

सिरसली ग्राम (जालसू) में गाड़िया लुहार परिवारों को बसाने की योजना

21. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आमेर की पंचायत समिति जालसू के ग्राम सिरसली में अस्थाई रूप से निवास कर रहे गाड़िया लुहार परिवारों को स्थाई रूप से बसाने हेतु गौचर किस्म की भूमियों पर बसे गांव की आबादी को नियमित करने हेतु सरकार द्वारा विधिक परीक्षण करवाया गया है? यदि हां, तो उक्त के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त गाड़िया लोहार परिवारों को स्थाई रूप से बसाने की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला कार्यालय, जयपुर के पत्र क्रमांक 960 दिनांक 08.02.2021 द्वारा तहसील आमेर स्थित राजस्व ग्राम सिरसली के खसरा नम्बर 1360/550 रकबा 6.24 हैक्ट. में से 0.18 हैक्ट. खसरा नम्बर 542/1353 रकबा 0.07 हैक्ट. किता 2 रकबा 0.25 हैक्ट. चरागाह भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित किये जाने एवं उक्त अधिनियम की धारा 102(क) के तहत संबंधित ग्राम पंचायत सिरसली के अधीन किये जाने के संबंध में प्रस्ताव राजस्व विभाग को प्राप्त हुआ था। प्रकरण में आवेदित भूमि की किस्म चरागाह श्रेणी की है, जो कि माननीय न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों द्वारा व्यापक जनहित में ही वर्गीकरण परिवर्तन किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं।

चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर वर्षो से बसी सघन आबादी को नियमितीकरण किये जाने हेतु राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा मंत्रीमण्डल की आज्ञा क्रमांक 157/2021 दिनांक 20.12.2021 की पालना में दिनांक 27.12.2021 को पालिसी जारी की गई है एवं उक्त क्रम में राजस्व (ग्रुप-

(राजस्व मंत्री)

6) विभाग द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 में संशोधन कर जारी अधिसूचना दिनांक 27.01.2022 के तहत प्रकरण का परीक्षणोपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु जिला कलेक्टर, जयपुर को विभागीय प. 4(02) राज-3/22 दिनांक 04.02.2022 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है। (परिशिष्ट-अ)

(2) चरागाह भूमि पर बसी आबादी को नियमित किये जाने हेतु जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा उक्त पालिसी के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर में डीएमएफटी फण्ड से स्वीकृत कार्य

22. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बीकानेर में डीएमएफटी फण्ड से 01 जनवरी, 2019 से 20 जनवरी, 2022 तक कितनी राशि के विकास कार्य कराये गये? विधान सभा क्षेत्रवार स्वीकृत कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त फण्ड का उपयोग उक्त जिले के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में समान रूप से नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त जिले में डीएमएफटी फण्ड का उपयोग प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में समान रूप से करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में डीएमएफटी फण्ड से 01 जनवरी, 2019 से 20 जनवरी, 2022 तक की अवधि में विभिन्न विकास कार्यों पर 673.77 लाख व्यय किये गये हैं। उक्त अवधि में स्वीकृत कार्यों की विधानसभावार सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। ट्रस्ट फण्ड में उपलब्ध राशि का उपयोग राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार

(खान मंत्री)

जिले में खनन से प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के हित व लाभ के लिए किया जाता है। बीकानेर जिले में खनन से प्रभावित क्षेत्रों में गवर्निंग काउंसिल के अनुमोदन अनुसार ट्रस्ट फण्ड की राशि का उपयोग किया गया है।

(3) जी नहीं। विस्तृत विवरण प्रश्न के भाग संख्या 2 के जवाब में दिया गया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा में स्थानीय विधायक व सांसद कोष से स्वीकृत राशि

25. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार को जिला कोटा में स्थानीय विधायक व सांसद कोष से स्वीकृत 65 लाख की राशि के दुरुपयोग के संबंध में शिकायत प्राप्त होने के उपरांत स्वीकृत कार्य पूर्ण कर लिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्य को कब प्रारम्भ किया गया व उक्त कार्य को पूर्ण करने की कितनी अवधि निर्धारित थी? उक्त कार्य पर स्थानीय विधायक व सांसद कोष से कितनी राशि व्यय की गई तथा कार्यकारी संस्था द्वारा उसके हिस्से की कुल कितनी राशि व्यय की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या शिकायतें प्राप्त होने के बाद सरकार द्वारा उक्त कार्य का मूल्यांकन करवाया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं तो, क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार कार्य पूर्ण नहीं करवाने पर व्यय राशि को वसूल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो, क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभाग को कोटा जिले में विधायक कोष व सांसद कोष के 65 लाख की राशि के दुरुपयोग के संबंध में माननीय विधायक महोदय विधान सभा क्षेत्र सांगोद द्वारा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में सभागार निर्माण कार्य की शिकायत प्राप्त हुई थी। (परिशिष्ट-1)

कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगतिरत है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) उक्त स्वीकृत कार्य को दिनांक 23.06.2016 को प्रारम्भ किया गया था। जिसकी पूर्ण कराने की अवधि दिसम्बर, 2017 थी।

कार्य में विधायक कोष से राशि रुपये 35.71 लाख व सासंद कोष से राशि रुपये 11.25 लाख एवं कार्यकारी संस्था श्री दिगम्बर जैन भगवान महावीर संस्थान दादाबाड़ी कोटा की हिस्सा राशि 21.43 लाख सहित कुल राशि 68.39 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

(3) जी नहीं। कार्य का मूल्यांकन कार्यकारी संस्था द्वारा उसे उपलब्घ करवायी गई प्रथम किश्त का उपयोग पूर्ण होने के बाद द्वितीय अथवा अंतिम किश्त की मांग किये जाने पर किया जाता है। कार्य पूर्ण होने पर कार्यकारी संस्था द्वारा अन्तिम किश्त की मांग के समय नियमानुसार मूल्यांकन करवाया जायेगा। वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है।

(4) वर्तमान में कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य माह फरवरी, 2022 के अन्त तक पूर्ण करा लिया जायेगा। विलम्बित कार्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बेटी-बचाओ-बेटी-पढ़ाओ योजनान्तर्गत आबंटित राशि

28. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार से वर्ष 2019 से 2021 तक प्रदेश को कितनी धनराशि आबंटित हुई? वर्षवार आबंटित राशि व प्रदेश में व्यय की गई राशि का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजनान्तर्गत ब्लाक टास्क फोर्स, जिला एवं राज्य टास्क फोर्स की नियमित बैठकें आयोजित नहीं होने से उचित निगरानी के अभाव में उक्त आबंटित राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसके लिए कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत वर्ष 2019, 2020, 2021 में प्रदेश को धनराशि निम्न प्रकार से आबंटित हुई -

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

वर्ष	**जिलों के लिए प्राप्त राशि**	**व्यय राशि**
2019-20	8 करोड़ 86 लाख 61 हजार रु.	4 करोड़ 36 लाख 37 हजार रु.
2020-21	8 करोड़ 45 लाख 41 हजार रु.	5 करोड़ 25 लाख 67 हजार रु.
2021-22	6 करोड़ 94 लाख 60 हजार रु.	2 करोड़ 28 लाख 35 हजा ररु. (31.01.2022 तक)

जिलेवार आबंटित राशि व व्यय का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में योजनान्तर्गत ब्लाक टास्क फोर्स, जिला एवं राज्य टास्क फोर्स की नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। योजना की निगरानी हेतु राज्य स्तर से भी समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रदान किये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सूरजगढ़ में शुभशक्ति आवास योजना के लाभार्थी

29. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में संनिर्माण श्रमिक मण्डल द्वारा संचालित शुभशक्ति सुलभ आवास योजना के कितने आवेदन लम्बित हैं? उक्त आवेदनों के लम्बित होने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2021 तक किन-किन ग्राम पंचायतों में कितने श्रमिकों को लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूरजगढ विधान सभा क्षेत्र में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की शुभशक्ति योजना में 1,253 तथा सुलभ्य आवास योजना में 24 आवेदन लम्बित हैं। आवेदनों के लम्बित रहने के मुख्यत: निम्न कारण हैं:-

(राज्य मंत्री, श्रम)

1. मण्डल में अपर्याप्त कोष एवं विभाग में सीमित मानव संसाधन
2. संवेदनशील योजनाओं जैसे सिलिकोसिस, मृत्यु सहायता, प्रसूति, शिक्षा एवं टूलकिट योजनाओं को प्राथमिकता
3. कोरोनाकाल में निर्माण कार्य बाधित होने के कारण उपकर प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव

(2) दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2021 तक मण्डल की संवेदनशील योजनाओं जैसे मृत्यु सहायता, प्रसूति, शिक्षा एवं टूलकिट आदि योजनाओं के अन्तर्गत कुल 907 आवेदकों को लाभान्वित किया गया है, जिनका ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रानीवाड़ा में गारण्टी अवधि की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

30. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की कौन-कौनसी सड़कें गारण्टी अवधि में हैं व वर्तमान में कितनी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में संबंधित संवेदकों को गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत करने हेतु नोटिस दिये गये हैं? यदि हां, तो कब-कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त अवधि में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत कराई गई है? यदि हां, तो कब-कब व किन-किन सड़कों की मरम्मत कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में कुल 205.48 किमी लम्बाई की 66 सड़कें गारण्टी अवधि में हैं, इनमें से वर्तमान में 11 सड़कें, जिनकी लम्बाई 12.90 किमी है आंशिक क्षतिग्रस्त हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की जिन 11 सड़कों (लम्बाई

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

12.90 किमी) की संबंधित ठेकेदार द्वारा गारण्टी अवधि में मरम्मत कार्य नहीं किया गया उनको नोटिस दिये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। मरम्मत कार्य पूर्ण करवाया जाना दिनांक 15.02.2022 तक लक्षित है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त कुल 55 सड़कें लम्बाई 63.54 किमी का मरम्मत कार्य संबंधित संवेदकों द्वारा कर दिया गया है। जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

विप्र कल्याण बोर्ड का गठन

31. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा अपने नीतिगत दस्तावेज जन घोषणा पत्र में विप्र कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त बोर्ड गठन हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई व बोर्ड में किन-किन पदों पर किस-किसको मनोनीत किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बोर्ड के नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 व 2020-21 के बजट में वित्तीय प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त बोर्ड के गठन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इस संबंध में तथ्य यह है कि विप्र कल्याण बोर्ड के गठन किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

(2) जी नहीं।

(3) इस संबंध में तथ्य यह है कि विप्र कल्याण बोर्ड के गठन किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

सिन्दरू व हरजी गांव (सुमेरपुर) में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की कार्ययोजना

32. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जोराराम कुमावत)

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सिन्दरू व आहोर के हरजी गांव में आयुर्वेदिक औषधालयों की सुविधा है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त गांवों में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सिन्दरू व आहोर के हरजी गांव में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय संचालित नहीं है।

आयुष नीति 2021 के अनुसार वित्तीय संसाधनो की उपलब्धता तथा गुणावगुण के आधार आयुर्वेदिक औषधालय खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) जी नहीं। अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नन्दीशाला खोलने की पंचायत समिति स्तर पर कार्ययोजना

34. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति में नन्दीशाला खोलने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो प्रदेश में विगत तीन वर्षों में कितनी पंचायत समितियों में नन्दीशालाएं खोली गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में जिला जयपुर में किस-किस पंचायत समिति में कहां-कहां नन्दीशाला खोली गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त नन्दीशालाओं के लिए बजट आबंटित किया गया है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों? आबंटित बजट का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित बजट 2019-20 में आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नन्दीशालाएं स्थापित करने बाबत घोषणा की गई थी। बजट 2021-22 में इस कार्य को और व्यापक रूप से करने की दृष्टि से अब इन नन्दीशालाओं को

(गोपालन मंत्री)

राशि 1.50 करोड़ रुपये के माडल के आधार पर बनाये जाने की घोषणा की गई है।

बजट घोषणा अनुरूप पंचायत समिति स्तर पर नन्दीशालाएं स्थापित करने बाबत दिशा-निर्देश दिनांक 27.08.2021 को जारी किये जा चुके हैं। नन्दीशाला संचालन करने वाली संस्थाओं का चयन संबंधित जिला गोपालन समितियों द्वारा किये जाने हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण वर्तमान तक प्रदेश में पंचायत समिति स्तरीय स्थापित नन्दीशालाओं की संख्या शून्य है।

(2) जिला गोपालन समिति, जयपुर द्वारा नन्दीशाला संचालन करने वाली संस्था का चयन करने हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण जयपुर जिले की पंचायत समिति में वर्तमान तक नन्दीशाला खोले जाने की संख्या शून्य है।

(3) इस वित्तीय वर्ष में पंचायत स्तरीय समिति नन्दीशाला के लिए राशि रु. 111.91 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। जिला गोपालन समितियों द्वारा नन्दीशाला संचालन करने वाली संस्था का चयन करने हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण वर्तमान तक प्रदेश में नन्दीशाला खोले जाने की संख्या शून्य है। जिलों को राशि आबंटन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

पर्यटन विकास कोष से कराये गये विकास कार्य

36. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पर्यटन को गति प्रदान करने एवं आधारभूत संरचना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में पर्यटन विकास कोष की स्थापना की गयी थी? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में उक्त कोष से प्रदेश के किन-किन पर्यटन स्थलों पर कितनी-कितनी राशि के कौन-कौनसे विकास कार्य प्रारम्भ किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पर्यटक स्थलों पर आवागमन हेतु मार्ग विकसित किये जाने प्रस्तावित थे? यदि हां, तो सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त कोष से किस-किस पर्यटन स्थल पर कितनी-कितनी राशि के कौन-कौनसे मार्ग विकसित किये गये एवं उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

(3) पर्यटन स्थलों के चयन के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य बजट वर्ष 2021-22 में पर्यटन गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए पर्यटन विकास कोष में 500 करोड़ का प्रावधान किये जाने की घोषणा की गई है। जिसमें से 200 करोड़ रुपये प्रदेश की Tourist Destination के रूप में Branding करने तथा 300 करोड़ रुपये आधारभूत संरचना व निवेश आदि के लिए खर्च किये जायेंगे।

उक्त के क्रम में, राज्य के पर्यटन स्थलों पर स्वीकृत विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राजस्थान पर्यटन नीति-2020 के बिन्दु संख्या 3.5 के अन्तर्गत पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के सुविधार्थ सम्पर्क सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट मद से प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना निर्दिष्ट है।

इस निमित्त चिन्हित सड़क मार्गों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) पर्यटन विभाग में स्थल विशेष को पर्यटक स्थल बनाने का प्रावधान नहीं है। स्थल विशेष पर्यटकों की आवाजाही से स्वत: ही पर्यटक स्थल बन जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बामनवास में प्रशासन गांवों-के-संग-अभियान के तहत जारी पट्टे

37. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत कितने लोगों ने आवासीय पट्टे हेतु आवेदन किया व कितने लोगों को पट्टे जारी किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अभियान के तहत सभी आवेदकों को अब तक पट्टे जारी नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? उक्त आवेदनों के लम्बित रहने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती इन्द्रा)

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अभियान में किस-किस प्रकार की क्या-क्या शिकायतें कैम्प प्रभारी को प्राप्त हुईं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत कुल 7,174 लोगों ने आवेदन किया व 4,062 को पट्टे जारी किये गये। जारी किये गये पट्टों की सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बामनवास में पारिवारिक विधिवत बटवारे के अभाव में, चरागाह भूमि, सिवायचक, खातेदारी एवं वन भूमि इत्यादि के कारण कुल 3,112 लोगों के आवेदन निरस्त किये गये हैं। निरस्त किये गये पट्टों की सूची परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) उक्त क्षेत्र में उक्त अभियान के तहत 22 विभागों से संबंधित विभिन्न प्रकार की कुल 3,633 शिकायतों का निस्तारण किया गया है। निस्तारित प्रकरणों की विभागवार व संख्यावार सूची परिशिष्ठ-ग पर संलग्न है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान हेतु संचालित योजनाएं

38. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान हेतु किन-किन योजनाओं के माध्यम से कितना-कितना बजट आबंटित किया गया व उसमें से कितना-कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान हेतु अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

विगत 3 वर्षों में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए सरकार द्वारा राशि 45,617.44 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया एवं उसमें से राशि 43,115.14 लाख रुपये का व्यय किया गया। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

माण्डलगढ़ में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

39. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में से कितने सरकारी व निजी भवनों में संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित किन-किन आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिक व आशा सहयोगिनियो के कितने पद रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में 2 बाल विकास परियोजनाएं क्रमश: माण्डलगढ़ एवं कोटड़ी संचालित है। परियोजना माण्डलगढ़ के अन्तर्गत 242 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र 50 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र एवं परियोजना कोटड़ी में 71 मुख्य एवं 9 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं।

विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग में 372 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं जिनमें 244 आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवन में, 95 आंगनबाड़ी केन्द्र विद्यालय में, 9 आंगनबाड़ी केन्द्र सामुदायिक एवं अन्य भवनों में संचालित हैं तथा 24 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं। परियोजनावार एवं आंगनबाड़ी केन्द्रवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका तथा आशा सहयोगिनी के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	परियोजना	रिक्त पद			
		आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	**मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता**	**आंगनबाड़ी सहायिका**	**आशा सहयोगिनी**
1	माण्डलगढ़	9	1	10	10
2	कोटड़ी	1	0	2	1
	योग-	10	1	12	11

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

रिक्त पदों को उपनिदेशक द्वारा जिला स्तर पर समय-समय पर विज्ञप्ति जारी कर भरा जाता है, जो कि एक सतत प्रक्रिया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

पाली स्थित लेबर कालोनी (शिवाजी नगर) का नगर परिषद् को हस्तान्तरण

40. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली शहर स्थित लेबर कालोनी (शिवाजी नगर) को नगर परिषद् पाली को हस्तान्तरित करने की वर्तमान में क्या प्रगति है?

(2) उक्त कालोनी को कब तक नगर परिषद् को हस्तांतरित कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गठित प्रबंध समिति की बैठक दिनांक 06.11.2020 में लेबर कालोनी (शिवाजी नगर) को श्रम विभाग से नगर परिषद्, पाली को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया जिसके तहत नगर परिषद्, पाली द्वारा श्रम विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु खाली भू-भाग पर क्वार्टर निर्माण करने के पश्चात् कालोनी नगर परिषद् को हस्तान्तरित की जाएगी। उक्त निर्णयानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) बिन्दु 1 में दिये गये विवरण अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

रेवदर में सम्पर्क सड़कों का निर्माण

41. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र में रेवदर भट्टाणा से जावल (मगरी वाडा) मिसिंग लिंक कि.मी. 0/0 से 8/0, सम्पर्क सड़क भट्टाणा से सेबरा खेड़ा 0/0 से 3/0, सम्पर्क सड़क भट्टाणा से कम्बोइया खेडा 0/0 से 4/0 एवं सम्पर्क सड़क भट्टाणा से पावटी 0/0 से 4/0 के निर्माण हेतु विगत तीन वर्षों से क्षेत्रीय जनता व जनप्रतिनिधियों की ओर से मांग की जा रही है? सरकार द्वारा उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगसी राम)

(2) क्या सरकार उक्त सड़कों के निर्माण की स्वीकृति जारी कर सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रेवदर की तहसील- रेवदर में भटाणा से जावल (मगरी वाडा) की दूरी 8 किमी है, जिसका निर्माण करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

भटाणा जो कि एक ग्राम पंचायत है, के अन्तर्गत आने वाले गांव यथा सेबराखेड़ा, कम्बोड़याखेड़ा व पावटी जनगणना वर्ष 2011 के पश्चात् घोषित राजस्व ग्राम हैं, जो डामर सड़क मार्ग से जुड़े हुए नहीं हैं। सेबराखेड़ा एवं कम्बोड़याखेडा वर्ष 2012-13 में नवीन घोषित राजस्व ग्राम हैं तथा पावटी वर्ष 2015 मे नवीन घोषित राजस्व ग्राम है। इस प्रकार उक्त ग्रामों को वर्ष 2011 के पश्चात् नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया गया है।

क्षेत्रीय जनता व जन प्रतिनिधियों की ओर से मांग की जा रही उक्त चारों सड़कों का निर्माण करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(2) उक्त कार्यों का निर्माण करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

श्रीगंगानगर में विशेष योग्यजन हेतु आस्था योजना का संचालन

42. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों के लिए आस्था योजना संचालित की जा रही है? यदि हां, तो जिला श्रीगंगानगर में जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2021 तक उक्त योजना के तहत कितने परिवारों को आस्था कार्ड जारी किये गये? ग्राम पंचायतवार व तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के तहत आस्था कार्डधारकों को बीपीएल के समान सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? यदि हां, तो जनवरी 2018 से दिसम्बर 2021 तक उक्त जिले के कितने परिवारों को

(श्रीमती संतोष)

लाभान्वित किया गया? ग्राम पंचायतवार, तहसीलवार लाभान्वित परिवारों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला श्रीगंगानगर में उक्त योजना से वंचित आस्था कार्डधारी परिवारों की ग्राम पंचायत व तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त वंचित परिवारों को लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्रीगंगानगर जिले में जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2021 तक उक्त योजना के तहत 819 परिवारों को आस्था कार्ड जारी किये गये हैं। आस्था कार्ड धारकों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। योजना के तहत आस्था कार्ड धारकों को बीपीएल के समान सुविधाएं प्रदान किये जाने का प्रावधान है। उक्त योजना के तहत रसद विभाग श्रीगंगानगर के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर जिले में आस्था कार्ड धारकों को बीपीएल राशन कार्ड धारकों में सम्मिलित कर उनके समान सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। समस्त लाभान्वितों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) आस्था कार्डधारी का जिला श्रीगगांनगर में कोई भी आवेदन पत्र लम्बित नहीं है।

(4) यदि किसी वंचित परिवार का आवेदन आता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राणासर ग्राम (कुचामन सिटी) की नाड़ी पर अतिक्रमण

21. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कुचामन सिटी के अन्तर्गत पंचायत आनन्दपुरा के ग्राम राणासर में मोट्याणी नाड़ी (गोचर भूमि) स्थित है? यदि हां, तो कितने क्षेत्र में नक्शा, खसरा एवं नाप सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नाड़ी के आस-पास के काश्तकारों द्वारा अतिक्रमण कर नाजायज कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो किस-किसके द्वारा कब से एवं कितनी भूमि पर? उक्त के विरुद्ध अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि मोट्याणी नाड़ी के आगे राजस्व रिकार्ड में दर्ज खाता संख्या 361 के खसरा नम्बर 51 व 63 के मध्य स्थित रास्ते को नियम विरुद्ध बदल दिया गया? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अधिकारी/ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त खाते व खसरे के मध्य स्थित रास्ते को पुन: खोलकर आमजन को सुविधा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि पंचायत समिति कुचामनसिटी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत आनन्दपुरा के ग्राम राणासर में मोट्याणी नाड़ी गौचर भूमि स्थित है। जिसका खसरा नम्बर 302 कुल रकबा 8.60 हैक्टेयर स्थित है। जमाबंदी एवं नक्शा की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि उक्त नाड़ी के आस पास के काश्तकारों द्वारा अतिक्रमण कर रखा था, जिन्हें चिन्हित किया गया। उक्त अतिक्रमियों का विवरण निम्नानुसार है:-

(राजस्व मंत्री)

क्र.सं.	**अतिक्रमी नाम**	**अतिक्रमित रकबा (हैक्ट. में)**
1	हीराराम	0.01
2	गिरधारी कुमावत	0.04
3	रामेश्वर कुमावत	0.04
4	हरिबक्श कुमावत	0.048
5	जयराम मेघवंशी	0.01

उक्त अमिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की जाकर बेदखली के आदेश किये गये हैं। उक्त नाड़ी से किये गये अमिक्रमणों को दिनांक 04.02.2022 को मौके से हटा दिया गया है। मौका पर्चा परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) उक्त रास्ते के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर बेदखली के आदेश जारी कर दिये गये हैं तथा उक्त रास्ते को खुलवाये जाने के लिए आदेश जारी किये जा चुके हैं। जिसको 15 दिवस में खुलवा दिया जाएगा। उक्त रास्ते को खसरा नम्बर 51 एवं 63 के मध्य से शिफ्ट कर खसरा नम्बर 51 की पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे खाता संख्या 361 के खातेदारों ने अपनी सहमति/सहूलियत से किया है। इसमें किसी राजस्व कार्मिक/अधिकारी की मिलीभगत नहीं है। मौके पर उक्त शिफ्ट रास्ता पर ग्रेवल सड़क बनी है तथा रास्ता निर्बाध रूप से चालू है।

(4) राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 51 व 63 के मध्य दर्ज रास्ता के संबंध में धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण में बेदखली/रास्ता खुलवाए जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं, जिसको 15 दिवस में खुलवा दिया जाएगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं)

धौलाई, मानसरोवर (जयपुर) में खोले गये नामान्तरण

22. श्रीमती गंगा देवी (बगरू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती गंगा देवी)

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1994 में विधान सभा नगर धौलाई, मानसरोवर, जयपुर में काश्तकारों द्वारा संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति को अपनी जमीन का बेचान कर देने के उपरान्त वर्ष 2008 में उक्त समस्त जमीनों की 90बी की कार्यवाही हो चुकी थी?

(2) क्या यह सही है कि 90बी होने के उपरान्त काश्तकारों ने अपने नाम नामान्तरण खुलवा कर जमीनों पर कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो किस आधार पर उनके नाम नामान्तरण खोला गया?

(3) क्या सरकार काश्तकारों, खातेदारों के नाम गलत खोले गये नामान्तरण को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार गलत नामान्तरण खोलने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि वर्ष 2008 में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के प्रकरण संख्या 28/07 द्वारा विधान सभा नगर धौलाई में स्थित ख.नं. की जविप्रा, जयपुर द्वारा वर्ष 2008 में नामान्तरकरण संख्या 211 द्वारा 90बी होने से जविप्रा की खातेदारी दर्ज हुई।

काश्तकारों द्वारा संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति को बेचान किया या नहीं, इसका राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं है।

(2) जी हां। यह सही है कि संभागीय आयुक्त जयपुर के अपील सं. 665/12 उनवानी कालूराम चौधरी बनाम जविप्रा, जयपुर से जविप्रा के विरुद्ध निर्णय दिनांक 08.01.2014 द्वारा पारित हुआ, जिसमें जविप्रा जयपुर का हि. 2/3 बदस्तूर तथा ख.नं. 167, 168, 170, 170/238, 171, 265, 259, 261 में छीतर, कालू व अन्य खातेदारान के हिस्सा 1/3 का नामान्तरकरण दर्ज हुआ। मौके पर उक्त ख.नं. में जविप्रा, जयपुर हिस्सा 2/3 तथा खातेदारान का हिस्सा 1/3 होने से दोनों के बीच आपसी कब्जे सम्बन्धी विवाद रहते हैं, जिसमें उक्त खसरा नम्बरान पर विभिन्न न्यायालयों से स्थगन मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश हैं।

(3) बिन्दु संख्या 2 के अनुसार प्रकरण न्यायिक प्रकृति का है।

(राजस्व मंत्री)

(4) नामान्तरकरण नियमानुसार, आदेशानुसार एवं रिकार्ड के आधार पर किया जाता है।

ब्यावर में राजस्व ग्राम घोषित करने की कार्ययोजना

23. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नये राजस्व ग्राम घोषित करने की क्या प्रक्रिया निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में कौन-कौन से ग्राम हैं, जो राजस्व ग्राम की पात्रता रखते हैं किन्तु उन्हें राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त पात्रता रखने वाले ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में नवीन राजस्व ग्राम बनाये जाने के संबंध में निर्धारित मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) नवीन राजस्व ग्राम बनाने का प्रस्ताव सामान्यत: किसी प्रकार की मांग, जनसंख्या व भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप तैयार किया जाता है। तहसील ब्यावर में ऐसा कोई सुसंगत प्रस्ताव किसी ग्राम पंचायत/ जनप्रतिनिधि/अभियान के दौरान प्राप्त नहीं हुआ है। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उस पर नियमानुसार समुचित कार्यवाही की जावेगी।

(3) जिला कलेक्टर द्वारा समय-समय पर मापदण्ड पूर्ण करने वाले ग्राम/ढाणी व मजरों को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर राजस्व मण्डल अजमेर के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उसके उपरान्त सरकार स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् अधिसूचना जारी की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जैतारण में अवैध बजरी खनन

24. श्री अविनाश (जैतारण): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में वर्तमान में कुल कितनी बजरी खानें हैं? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बजरी खनन के सम्बन्ध में वर्तमान योजना के अनुसार बजरी खनन वैध है अथवा अवैध? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि माननीय न्यायालय के निर्देश के पश्चात् सभी निजी बजरी माइन्स अवैध हो गई हैं? यदि हां, तो उक्त आदेश के पश्चात् भी अवैध बजरी खनन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की समस्त निजी बजरी खानों को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में वर्तमान में बजरी का कोई भी खनन पट्टा प्रभावी नहीं है।

(2) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत खनन पट्टा/अन्य अनुमति के माध्यम से किया गया खनन ही वैध है।

(3) जी हां। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 10587/2019 बजरी लीज एल.ओ.आई. होल्डर्स वेलफेयर सोसायटी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.11.2021 से खातेदारी भूमि में नदी क्षेत्र से 5 किलोमीटर की सीमा में स्वीकृत खनिज बजरी के खनन पट्टों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों की पालना में विभाग द्वारा जैतारण विधान सभा क्षेत्र में खातेदारी भूमि में स्वीकृत खनिज बजरी के समस्त खनन पट्टों को निरस्त किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.11.2021 के पश्चात् दिनांक 03.02.2022 तक की अवधि में प्रदेश एवं विधान सभा क्षेत्र जैतारण में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(खान मंत्री)

(4) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.11.2021 की पालना में विधान सभा क्षेत्र जैतारण में नदी क्षेत्र से 5 किलोमीटर की सीमा में खातेदारी भूमि में खनिज बजरी के स्वीकृत समस्त खनन पट्टों को निरस्त किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही में संचालित नन्दी शालाएं

25. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सिरोही में विगत पांच वर्षों में कितनी लागत से कितनी नन्दी शालाएं कहां-कहां पर खोली गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नन्दी शालाओं में वर्षवार कितने गौ-वंश (नन्दी) का पालन-पोषण, उपचार किया गया? आबंटित राशि, व्यय राशि तथा प्रत्येक नन्दी शाला की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, आडिट रिपोर्ट तथा अधिकारियों व कर्मचारियों के पदनाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उचित देखरेख के अभाव में नन्दी गौशालाओं के नाम पर आबंटित बजट को खुदबुर्द किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नंदीशाला जन सहभागिता योजनान्तर्गत जिला स्तरीय नंदीशाला खोले जाने हेतु सिरोही जिले से पात्र संस्था का प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण जिला स्तरीय नन्दीशाला नहीं खोली गई हैं।

जिला गोपालन समिति द्वारा नन्दीशाला स्थापना व संचालन करने वाली संस्था के चयन हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण वर्तमान तक पंचायत समिति स्तर पर भी नन्दीशाला खोले जाने की संख्या शून्य है।

(2) जिला सिरोही में वर्तमान तक नन्दीशालाएं नहीं खुल पाने के फलस्वरूप उनमें नन्दी का पालन-पोषण, उपचार, आबंटित बजट, खर्च, भौतिक सत्यापन एवं आडिट रिपोर्ट की सूचना शून्य है।

(3) जी नहीं। इस वित्तीय वर्ष में पंचायत स्तरीय समिति नन्दीशाला

(गोपालन मंत्री)

के लिए राशि रु. 111.91 करोड का प्रावधान रखा गया है। जिला गोपालन समिति द्वारा नन्दीशाला संचालन करने वाली संस्था का चयन करने हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण वर्तमान तक नन्दीशाला खोले जाने की संख्या शून्य है जिसके फलस्वरूप जिले से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण राशि आबंटित नहीं की गई है एवं न ही राशि खुर्दबुर्द हुई है।

किशनगढ़ रेनवाल पंचायत समिति में स्वीकृत कार्य

26. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) किशनगढ़-रेनवाल पंचायत समिति में जनवरी, 2021 से 24 जनवरी, 2022 तक किस-किस मद के कौन-कौन से कार्य कब-कब स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में पूर्व के स्वीकृत एवं निर्माणाधीन कार्यों सहित कौन-कौन से कार्य कब-कब, किस-किस मद के कितनी-कितनी राशि के पूर्ण हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में कराये गये कितने कार्यों की गुणवत्ता किसके द्वारा जांच की गई और गुणवत्ता जांच रिपोर्ट में क्या पाया गया? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) पंचायत समिति किशनगढ़-रेनवाल में उक्त अवधि में स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन कार्यों का विवरण परिशिष्ट-02 पर संलग्न है।

(3) उक्त अवधि में कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा समय-समय पर की गई व संतोषप्रद होने पर कार्यों का भुगतान किया गया है। विवरण परिशिष्ट-03 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

छबड़ा में पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों में रिक्त पद

27. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री प्रताप सिंह)

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में पंचायती राज के अन्तर्गत पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों में विभिन्न संवर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं? उक्त में से कितने पद रिक्त चल रहे हैं? सरकार द्वारा उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला परिषद बारां एवं अधीनस्थ पंचायत समिति छबड़ा एवं छीपाबड़ौद में पंचायती राज अन्तर्गत पंचायत समिति व ग्राम पंचायत में विभिन्न संवर्ग के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति परिशिष्ट-क पर संलग्न हैं।

रिक्त पदों को भरना राज्य सरकार की एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें रिक्त पदों को स्थानान्तरण/पदस्थापन, सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालसू व आमेर पंचायत समितियों में प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान में दर्ज परिवाद

28. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 प्रारम्भ किया गया है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र आमेर की पंचायत समिति जालसू एवं आमेर में उक्त अभियान अन्तर्गत क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये व कितने लक्ष्य प्राप्त किये गये? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियान में उक्त पंचायत समितियों के ग्रामीणों की ओर से किस-किस प्रकार के कितने-कितने परिवाद दर्ज किये गये तथा कितनों का निस्तारण किया गया? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अभियान के दौरान लम्बित रहे परिवादों का निस्तारण नहीं होने के क्या-क्या कारण रहे व सरकार की इस संबंध में क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में दिनांक 02 अक्टूबर, 2021 से प्रशासन गांवों

(पंचायती राज मंत्री)

के संग अभियान प्रारम्भ किया गया था। उक्त अभियान में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे।

(2) विधान सभा क्षेत्र आमेर की पंचायत समिति आमेर में ग्रामीणों की ओर से कुल 1090 परिवाद दर्ज किये गये जिनमें से 876 परिवादों का निस्तारण कर दिया गया है तथा पंचायत समिति जालसू में ग्रामीणों की ओर से कुल 2367 परिवाद दर्ज किये गये जिनमें से 2314 परिवादों का निस्तारण कर दिया गया है। ग्राम पंचायतवार परिवादों एवं उनके विषय की सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(3) उक्त अभियान के दौरान लम्बित रहे परिवादों का निस्तारण नहीं होने के कारण सहित पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

उक्त अभियान के दौरान लम्बित रहे परिवादों में त्वरित कार्यवाही की जाकर निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

सांगानेर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

29. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां पर संचालित हैं? उनमें कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व आशा सहयोगिनी की सूची मय नाम सहित विवरण सदन की मेज रखें।

(2) वर्तमान में उक्त का मानदेय क्या-क्या है तथा क्या सरकार उक्त का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व आशा सहयोगिनी को सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) सरकार इनको स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना सांगानेर शहर संचालित है जिसमें 123 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका व आशा सहयोगिनी का विवरण मय नाम पते सहित परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में मानदेय कर्मियों को दिये जाने वाले मानदेय का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

जी नहीं। वर्तमान में इनके मानदेय वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका व आशा सहयोगिनी केन्द्र परिवर्तित योजना समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम की सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित मानदेय आधार पर कार्यरत हैं।

(4) जी नहीं। वर्तमान में राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा सहयोगिनियों को स्थायी सरकारी कर्मचारी करने का विचार नहीं रखती।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

शिक्षा सेतु योजना के लाभार्थी

30. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान एवं विगत तीन वित्तीय वर्षो में संभाग अनुसार प्रत्येक जिले में शिक्षा सेतु योजना में कितनी महिलाओं एवं बालिकाओं को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए सहायता दी गई एवं कुल कितनी राशि की सहायता दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) औपचारिक शिक्षा से वंचित एवं अध्ययन बीच में छोड़ने वाली महिला एवं बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए उक्त योजना का प्रचार-प्रसार किस प्रकार किया जा रहा है एवं प्रचार-प्रसार पर वर्तमान एवं विगत तीन वर्षो में कितना बजट आबंटित किया गया एवं कितना वास्तविक व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान एवं विगत तीन वित्तीय वर्षो में उक्त योजना में लाभान्वित महिलाओं एवं बालिकाओं में से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले एवं उत्तीर्ण नहीं होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शिक्षा सेतु योजना के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 में लाभान्वित बालिकाओं का सम्भागवार एवं जिलेवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

लाभान्वित बालिकाओं हेतु निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल को भुगतान किया जाता है। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल को किये गये भुगतान का विवरण निम्नानुसार हैः-

1. 2020-21: 12 करोड़, 68 लाख, 40 हजार, 275 रु.

2. 2021-22: 4 करोड़, 58 लाख, 60 हजार, 385 रु.

(2) शिक्षा सेतु योजना के प्रचार-प्रसार के लिए पृथक से बजट आबंटित नहीं किया जाता है। विभाग के अधीन ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत मानदेयकर्मी साथिन के माध्यम से योजना की जानकारी ग्राम स्तर पर प्रदान की जाती है।

साथ ही राज्य एवं जिला स्तरीय अभियान, प्रदर्शनी आदि के माध्यम से योजना की जानकारी दी जाती है।

(3) राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2020-21 में पंजीकृत हुए महिलाओं/बालिकाओं में से उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण की संख्या निम्नानुसार हैः-

क्र.स	**वर्ष**	**माध्यमिक (10वीं)**		**उच्च माध्यमिक (12वीं)**	
		उत्तीर्ण	**अनुत्तीर्ण**	**उत्तीर्ण**	**अनुत्तीर्ण**
1	2020-21	20,214	29,430	11,843	15,839

वर्ष 2021-22 में वर्तमान में पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

भीलवाड़ा में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

31. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि महिलाओं एवं बालकों में पौष्टिक भोजन

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

आदि उपलब्ध कराने हेतु आंगनबाड़ी केन्द्र केंद्र चलाए जा रहे हैं? यदि हां, तो जिला भीलवाड़ा में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन स्वयं के हैं या किराए के भवनों में संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या सरकार स्वयं के भवन निर्माण कराए जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भीलवाड़ा जिले में 12 बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं जिसमें 1,966 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 251 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र कुल 2,217 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। वर्तमान में 2,213 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) भीलवाड़ा जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन की स्थिति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय द्वारा नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बाड़ी के नवीन राजस्व ग्रामों को मुख्य सड़क मार्गों से जोड़ने की योजना

32. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के घोषित नवीन राजस्व ग्रामों को मुख्य सड़क मार्गों से जोड़े जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के अन्तर्गत 2011 के पश्चात् 6 नये राजस्व गांव घोषित हुए हैं जिनमें से 2 गांव सड़क मार्ग से जोड़े जा चुके हैं एवं 4

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

गांव को सड़क मार्ग से जोड़ा जाना शेष है। सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। शेष 4 गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

केशोरायपाटन की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

33. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग के खण्ड लाखेरी व नैनवा विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में निर्मित सड़कें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी, कितने-कितने किलोमीटर की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग उक्त खराब सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखता है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि से, कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सानिवि खण्ड लाखेरी व नैनवा, विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में कई सड़कें क्षमता से अधिक ओवरलोड परिवहन के कारण एवं अत्यधिक वर्षा के कारण तथा कुछ सड़कें नवीनीकरण आवधिक की समयावधि पार होने के कारण अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों के नाम, उनकी कुल लम्बाई व क्षतिग्रस्त लम्बाई एवं अन्य विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। इनमें से कुछ सड़कें नवीनीकरण हेतु स्वीकृत की जाकर कार्य प्रगतिरत है। शेष सड़कों का नवीनीकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा, जिनका विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

रामगंज मण्डी में मिसिंग लिंक सड़कों को जोड़ने की योजना

34. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मदन दिलावर)

(1) क्या सरकार मिसिंग लिंक सड़कों को जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र में कितनी मिसिंग लिंक सड़कें हैं जिन्हें जोड़ना प्रस्तावित है तथा इस हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में राज्य मद से कितनी-कितनी नवीन सड़कें किस-किस लम्बाई की कितनी-कितनी लागत की स्वीकृति जारी की जाकर सड़कों से गांवों को जोड़ा गया है? सूची सदन की मेज पर रखे।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में राज्य मद से स्वीकृत नई सड़कों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा कब तक पूरी होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मिसिंग लिंक सड़कों को जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र में मिसिंग लिंक सड़कों के कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में राज्य मद से स्वीकृत नवीन सड़कें एवं डामर सड़क से जोड़े गये गांव की संख्या शून्य है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में राज्य मद में पूर्व में स्वीकृत नई सडकों की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बस्सी में ओवरलोडिंग वाहनों से क्षतिग्रस्त सड़कें

35. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी में अधिकतर ग्रामीण सड़कों को ओवरलोडिंग वाहनों के दिन-रात आवागमन के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी हैं? यदि हां, तो ओवरलोडिंग वाहन के कारण कौन-कौनसी सड़क कितने समय में क्षतिग्रस्त हुई हैं? सड़कों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री लक्ष्मण मीणा)

(2) क्या सरकार उक्त सड़कों का सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण करने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितनी-कितनी लम्बाई की कौन-कौनसी सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त है? उक्त सड़कों को कब तक ठीक कर दिया जावेगा?

(4) सरकार उक्त क्षेत्र की ढूंढ नदी पर बरालागांव के पास क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कब तक करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बस्सी में ओवरलोडिंग वाहनों के दिन रात आवागमन के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत/नवीनीकरण राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर निर्भर करेगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पूरी तरह क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण किया जाना राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय पारस्परिक प्राथमिकता एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(4) सांभरिया से बराला सड़क पर ढूंढ नदी पर पुलिया का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 12 वर्ष पूर्व कराया गया था। उक्त पुलिया अतिवृष्टि के कारण वर्तमान में क्षतिग्रस्त हो चुकी है। क्षतिग्रस्त पुलिया निर्माण के लिये अनुमानित राशि रु. 950.00 लाख की आवश्यकता होगी। पुलिया निर्माण राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय पारस्परिक प्राथमिकता एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सहायक अभियन्ता, उपखण्ड द्वितीय गांधीनगर, जयपुर को आबंटित बजट

36. श्री सुरेश टाक (किशगनढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री सुरेश टाक)

(1) सरकार द्वारा सहायक अभियंता, उपखण्ड द्वितीय गांधीनगर, जयपुर को जनवरी, 2019 से 25 जनवरी, 2022 तक किस-किस दिनांक को कितनी-कितनी राशि का बजट किन-किन कार्यों हेतु आबंटित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त के द्वारा माह जनवरी, 2019 से अब तक प्राप्त बजट से कौन कौन से आवास में कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य करवाये गये? आवासवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यालय में रखी गई शिकायत पंजिका में आवासों में रहने वाले लोगों के द्वारा शिकायत दर्ज करने के कितने दिन पश्चात् शिकायत का निवारण कर दिया जाता है? उक्त कार्यालय में नवम्बर, 2020 से 25 जनवरी, 2022 तक शिकायत पुस्तिका में दर्ज शिकायतों का निवारण कब-कब किया गया? शिकायत पुस्तिका की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपखण्ड स्तर पर बजट आबंटन नहीं होता है। उपखण्ड के अधीन क्षेत्राधिकार में आने वाले आवासों के लिए विशेष परिवर्तन/परिवर्धन के कार्य सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृत कर बजट आबंटित किया जाता है। साधारण दैनिक मरम्मत के कार्य आवश्यकतानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग को उपलब्ध बजट अनुसार कराये जाते हैं। विवरण परिशिष्ट-1 व 2 पर प्रस्तुत है।

(2) सहायक अभियंता, उपखण्ड गांधीनगर द्वितीय जयपुर के अन्तर्गत आवासों बाबत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विशिष्ट मरम्मत कार्यों के लिए जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक राशि रुपये 128.84 लाख की स्वीकृतियों के विरुद्ध अब तक कुल राशि रुपये 33.04 लाख व्यय की गई है। आवासवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

इसके अतिरिक्त साधारण मरम्मत कार्यों पर जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक उपखण्ड गांधीनगर द्वितीय जयपुर के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों के लिए कार्यादेश राशि रुपये 473.35 लाख के दिये गये हैं जिसके विरुद्ध अब तक राशि रुपये 318.52 लाख का व्यय किया गया है। जिसका आवासवार विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) सहायक अभियंता उपखण्ड गांधीनगर द्वितीय कार्यालय में रखी

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

गई शिकायत पंजिका में आवासों में रहने वाले लोगों द्वारा दर्ज शिकायतों का निवारण यथासंभव समय पर कर दिया जाता है। नवम्बर 2020 से अब तक शिकायत पुस्तिका में दर्ज शिकायतों एवं उनके निवारण का विवरण शिकायत पुस्तिका की छाया प्रति में परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

उदयपुर ग्रामीण में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत प्राप्त आवेदन

37. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में विगत एक वर्ष में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए? संख्यावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त प्राप्त आवेदनों में से कितनों को लाभान्वित किया गया एवं कितने आवेदन शेष रहे?

(3) क्या सरकार शेष रहे आवेदनों का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में गत एक वर्ष में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 15 आवेदन प्राप्त हुए।

(2) प्राप्त 15 आवेदनों में से 11 आवेदकों को लाभान्वित किया गया तथा 4 आवेदन पत्र प्रार्थी के स्तर पर आक्षेप होने के कारण शेष रहे। सूची परिशिष्ट-अ व ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। आवेदक द्वारा आक्षेप पूर्ति करवाने पर निस्तारण कर दिया जायेगा।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

कोरोना महामारी से मृत्यु पर देय मुआवजा

38. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री संदीप शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि कोरोना महामारी से मृत्यु होने पर मुआवजे का प्रावधान है? यदि हां, तो राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा कितना-कितना मुआवजा देय है?

(2) उक्त मुआवजा प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है तथा इसके अन्तर्गत अब तक कितने आवेदन सरकार को प्राप्त हुए व कितने लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है? जिलेवार स्त्री व पुरुषों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में कोरोना महामारी से अब तक कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि कोरोना के कारण आत्महत्या करने वालों के परिवार को भी मुआवजा देने का प्रावधान है? यदि हां, तो ऐसे प्रकरणों में परिजनों को किस प्रकार की सहायता देय है और अब तक प्रदेश में कितने परिवारों को उक्त सहायता दी जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कोरोना महामारी से मृत्यु होने पर राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है।

राज्य सरकारः

मुआवजा राशिः योजना अन्तर्गत प्रत्येक अनाथ बालक/बालिकाओं को तत्कालिक सहायता के रूप में राशि रुपए 1.00 लाख की एकमुश्त सहायता, 18 वर्ष की आयु तक राशि रुपये 2,500/- प्रतिमाह एवं राशि रुपये 2,000/- वार्षिक देय है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर राशि रुपए 5.00 लाख की सहायता राशि देय है। विधवा महिला को राशि रुपये 1.00 लाख की तात्कालिक सहायता के साथ ही राशि रुपये 1500/- प्रति माह पेंशन देय है। साथ ही विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक राशि रुपये 1000/- प्रतिमाह एवं राशि रुपये 2,000/- वार्षिक देय है।

कोविड-19 के अन्तर्गत ड्यूटी के दौरान संविदाकर्मी, मानदेय कर्मचारी अधिस्वीकृत पत्रकार एवं राशन डीलर के संक्रमित होने एवं इलाज के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर उनके आश्रित को राशि रुपये 50.00 लाख की सहायता दिये जाने का प्रावधान है। यह राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

केन्द्र सरकारः

कोविड-19 से मृतकों के आश्रितों को अनुग्रहिक सहायता राशि 50,000 रुपये प्रति मृतक दिये जाने का प्रावधान है।

(2) राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजनान्तर्गत मुआवजा प्राप्त करने हेतु आवेदनकर्ता द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय/विभाग के जिला/ब्लाक कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत करना होता है। जिला कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त स्वीकृतियों के आधार पर अब तक 11,439 आवेदन प्राप्त हए हैं तथा 9,830 लोगों को 1,00,000/- लाख रुपये की एकमुश्त सहायता (मुआवजा) राशि दी जा चुकी है।

जिलेवार स्त्री व पुरुषों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

ड्यूटी के दौरान संविदाकर्मी, मानदेय कर्मचारी अधिस्वीकृत पत्रकार एवं राशन डीलर के संक्रमित होने एवं इलाज के दौरान असामयिक मृत्यु वाले प्रकरणों में जिला कलेक्टर्स से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर अब तक कुल 22 लोगों को मुआवजा राशि दी जा चुकी है।

जिलेवार स्त्री व पुरुषों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कोविड-19 अनुग्रह सहायता राशि योजनान्तर्गत मुआवजा प्राप्त करने हेतु आवेदनकर्ता ईमित्र कियोस्क के माध्यम से आनलाइन आवेदन करने का प्रावधान है। जिला कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त स्वीकृतियों के आधार पर अब तक विभाग को भुगतान हेतु प्राप्त 9,886 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा 8633 लोगों को मुआवजा राशि दी जा चुकी है।

जिलेवार स्त्री व पुरुषों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में कोरोना महामारी से अब तक 9,310 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचनानुसार) परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। कोरोना के कारण आत्महत्या करने वालों के परिवार को मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

कृषि कार्य करते समय किसान की मृत्यु होने पर देय सहायता

39. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में कृषि कार्य करते हुए किसान की मृत्यु होने पर सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो कितनी राशि दी जाती है व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सहायता राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में कृषि/कृषि विपणन कार्य करते हुए किसानों/ खेतीहर मजदूरों की मृत्यु हो जाने पर राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत 2.00 लाख रुपये की सहायता राशि राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों के माध्यम से मृतक के आश्रित को दिये जाने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में सहायता राशि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अजमेर में पंजीकृत श्रमिक

40. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अजमेर में कितने श्रमिक विभाग में पंजीकृत हैं? विधान सभावार विवरण प्रस्तुत करें।

(2) विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में विगत तीन वर्षों में कितने पंजीकृत श्रमिकों को किस-किस योजना में कितना-कितना भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में योजना हेतु कितनी राशि का प्रावधान रखा गया। उसमें कितनी राशि का भुगतान किया गया व कितना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले में 1,55,769 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन हुआ है। विधान सभावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(श्रम मंत्री)

(2) अजमेर उत्तर विधान सभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनको मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है, का योजनावार विवरण मय राशि परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) सरकार द्वारा योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान नहीं किया जाता है। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं का वित्त पोषण निर्माण कराने वाले नियोजकों से निर्माण लागत की 1 प्रतिशत वसूली गई उपकर राशि से होता है एवं प्राप्त उपकर राशि का उपयोग ही संचालित योजनाओं के लिये किया जाता है। जिलों को आवश्यकतानुसार एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर युक्तियुक्त बजट का आबंटन मण्डल द्वारा किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

आयुर्वेद विभाग में रिक्त पद

41. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विभाग में विभिन्न श्रेणी के कितने पद स्वीकृत व कितने पद रिक्त हैं? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या यह सही है कि बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के तहत विभाग में 890 पदों पर भर्ती किये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या उक्त घोषणानुसार भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है? यदि हां, तो कब व नही, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) आयुर्वेद, होम्योपैथिक व यूनानी चिकित्सा विभागान्तर्गत स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट अ, ब, स पर संलग्न है।

(2) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के बिन्दु संख्या 60 के तहत विभाग में दो वर्षों में 890 पदों पर भर्ती किये जाने की घोषणा की गई थी। उक्त 890 पदों पर आगामी 03 वित्तीय वर्षों में होने वाली रिक्तियों के आकलन अनुसार भर्ती किये जाने थे-

(आयुर्वेद मंत्री)

पदनाम	**31.03.2021**	**31.03.2022**	**31.03.2023**	**कुल**
चिकित्साधिकारी	155	104	145	404
नर्स/कम्पाण्उडर	150	147	174	471
कनिष्ठ सहायक		10	5	15
योग	**305**	**261**	**324**	**890**

(3) बजट घोषणा वर्ष 2021-22 में भर्ती के सम्बन्ध में की गई घोषणा के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के बिन्दु संख्या 60 के तहत विभाग में दो वर्षों में 890 पदों पर भर्ती किये जाने की घोषणा की गई थी।

राज्यादेश दिनांक 20.10.2021 के द्वारा 597 आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। जिसमें पदोन्नति से रिक्त हुए 147 आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के रिक्त पद भी सम्मिलित हैं।

नर्स/कम्पाउण्डर के 704 पद जिसमें पदोन्नति से रिक्त हुए 154 पद भी सम्मिलित हैं, की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है।

साथ ही, कनिष्ठ सहायक के 10 पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के तहत दिनांक 31.12.2021 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)